Telephone No.
205

'भविष्य' का चन्दा
वार्षिक चन्दा ... १२) रु०
छः माही चन्दा ... ६॥) रु०
तिमाही चन्दा ... ३॥) रु०
एक प्रति का मूल्य चार आने
Annas Four Per Copy

Telegrams
'Bhavishya'

एक प्रार्थना

वार्षिक चन्दे अथवा फ्री कॉपी के मूल्य में कुछ भी नुक़्ताचीनी करने में पहिले मित्रों को 'भविष्य' में प्रकाशित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टिपात करना चाहिए।

वर्ष १, खण्ड ४

इलाहाबाद—बृहस्पतिवार ; २७ अगस्त, १९३१

संख्या १२, पूर्ण सं० ४८

श्री० बटुकेश्वरदत्त (जो एसेम्बली बमकाण्ड के लिए आजीवन क़ैद की सज़ा भोग रहे हैं) की सहोदरा—श्रीमती प्रमिला देवी—जिनका हाल ही में स्वर्गवास हो गया है, आपने अपना सारा जीवन देश को अर्पित कर दिया था और जो काशी में एक पुण्यशीला सन्यासिनी की भाँति रहा करती थीं।

कौन-सा ऐसा शिक्षित परिवार है,

जिसमें न जाता हो ?

'चाँद'-जैसे निर्भीक पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना—जिसने अपने जीवन के प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की उपासना में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है—निश्चय ही सद्विचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ; और यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ट-मित्रों को ऐसा करने की सलाह दीजिए। 'चाँद' का वार्षिक चन्दा केवल ६।।) रु० है अर्थात् आठ आने फ़ी कॉपी—ऐसी हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पैसे रोज़ में वह ज्ञान उपार्जन करने से इन्कार करे—जो हज़ारों रुपए व्यय करने पर भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ?

अगस्त, १९३१ को विषय-सूची

लेख — लेखक

१—आदेश (कविता) [प्रोफ़ेसर रामकुमार जी वर्मा, एम० ए०]
२—हमारी धार्मिक समस्याएँ [सम्पादक]
३—जला-भुना (कहानी) [डॉ० धनीराम जी 'प्रेम' लन्दन]
४—वर्तमान मुस्लिम जगत [एक डॉक्टर ऑफ़ लिटरेचर]
५—अज्ञात (कविता) [श्री० हज़ारीलाल जी वर्मा, 'रञ्जन']
६—ईश्वरवाद की परीक्षा [श्री० रमाशङ्कर जी मिश्र, एम० ए०, बी० एल०]
७—अति (कहानी) [श्री० विश्वम्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक]
८—मेरा प्रेम (कविता) [श्री० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल]
९—पुष्प (कविता) [श्री० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल]
१०—नारी-जीवन (कविता) [श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव]
११—सी० आई० डी० विभाग में स्त्रियाँ [श्रीमती संयोगिता देवी मेहता]
१२—भारतवासियों का स्वास्थ्य [श्री० दीनानाथ जी व्यास, विशारद]
१३—चुम्बन [श्री० वंशीधर जी मिश्र, एम० ए०, एल्-एल्० बी०]
१४—पर्दा उठ कर ही रहेगा [महाराज-कुमारी ललिता देवी (बर्दवान)]
१५—आध्यात्मिक शिक्षा [श्री० ज्ञानमल्ल हंसराज जैन]
१६—अर्वाचीन भारतीय ग्रामीण-समाज [श्री० प्रकाशचन्द्र दत्त]
१७—दिल की आग उर्फ़ दिल-जले की आह...... ['पागल']
१८—तुमसे (कविता) [श्री० 'व्यथित हृदय']
१९—अभिशाप और लज्जा [सम्पादक]
२०—अन्धों की समस्या [सम्पादक]
२१—उपहासजनक अभिज्ञता [सम्पादक]
२२—एक अनुकरणीय बिल [सम्पादक]
२३—वेलफ़ेयर-ऑफ़-इण्डिया लीग [सम्पादक]
२४—जीवन का आदर्श और स्त्रियाँ [सम्पादक]
२५—साहित्य-संसार [आलोचक श्री० अवध उपाध्याय]
२६—उपन्यास-कला और श्री० प्रेमचन्द के उपन्यास [श्री० केशरी-किशोर शरण जी, बी० ए० (ऑनर्स), साहित्य-भूषण, विशारद]
२७—केसर की क्यारी (कविता) [हज़रत 'नूह', कवि० 'बिस्मिल]
२८—स्त्रियों के वोट देने और कौन्सिलों की सदस्या होने के अधिकार (सङ्कलित)
२९—स्त्रियों का व्यापक क्षेत्र (सङ्कलित)
३०—सङ्गीत-सौरभ [श्री० नीलू बाबू]
३१—दुबे जी की चिट्ठी [श्री० विजयानन्द 'दुबे जी']
३२—उपालम्भ (कविता) [श्री० 'सुकुमार']
३३—स्वास्थ्य और सौन्दर्य [श्री० रतनलाल जी मालवीय, बी० ए०, एल्-एल्० बी०]
३४—श्रीजगद्गुरु का फ़तवा [हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द विरूपाक्ष]

इसके अतिरिक्त ३ तिरङ्गे तथा रङ्गीन चित्र (आर्ट पेपर पर), अनेक चुटीले कार्टून तथा ऐसे चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो और किसी पत्र-पत्रिका में मिल ही नहीं सकते।

'चाँद' का सम्पादकीय मण्डल

१-श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए० (जेल में)
२-पं० भुवनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए० (जेल में)
३-श्रीमती लक्ष्मीदेवी
४-पं० नन्दकिशोर जी तिवारी, बी० ए०
५-मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव
६-श्री० रामकिशोर जी मालवीय
७-श्री० राधामोहन गोकुल जी
८-श्री० सत्यभक्त
९-पं० देवीदत्त जी मिश्र, बी० ए०, एल्-एल्० बी०
१०-कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव (हिन्दी-क०-वि०)

हृदय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में ऐसा सुसम्पादित और सुसञ्चालित पत्र दूसरा कौन है ?

☞ व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

स्थानापन्न सम्पादिका :—श्रीमती लक्ष्मी देवी

इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की जाती है कि यथाशक्ति 'भविष्य' तथा 'चाँद' और विद्याविनोद-ग्रन्थमाला का प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !!

वर्ष १, खण्ड ४ || इलाहाबाद—वृहस्पतिवार ; २७ अगस्त, १९३१ || संख्या १२, पूर्ण संख्या ४८

इङ्गलैण्ड के पुराने मन्त्रिमण्डल का रहस्यपूर्ण पतन !

नागपुर में श्रीमती लक्ष्मी देवी के भाई के घर की तलाशी !!

षड्यन्त्र केस के जज के नाम "लाल चिट्ठी" :: बनारस थाने में बम !!

क्या महात्मा गाँधी वास्तव में गोलमेज़ परिषद् में भाग लेंगे ?

ब्रिटेन का नया मन्त्रि-मण्डल

इङ्गलैण्ड के बेकार श्रमजीवियों और सरकारी नौकरों के वेतन में कमी करने के प्रश्न के कारण मज़दूर-सरकार को इस्तीफ़ा दे देना पड़ा। अब वहाँ राष्ट्रीय सरकार स्थापित हुई है और मज़दूर दल, उदार दल तथा अनुदार दल, इन तीनों दलों के लोगों को मिला कर नया मन्त्रि-मण्डल बनाया गया है। नए मन्त्रि-मण्डल में ये लोग सम्मिलित किए गए हैं :—

प्रधान मन्त्री—मि० रैमज़े मेकडॉनल्ड
कौन्सिल के लॉर्ड प्रेज़िडेण्ट—मि० बाल्डविन
चान्सलर ऑफ़ एक्सचेकर—मि० स्नोडेन
गृह-मन्त्री—सर हर्बर्ट सैमुएल
लॉर्ड चान्सलर—लॉर्ड सैङ्की
वैदेशिक सचिव—लॉर्ड रीडिङ्ग
भारत-मन्त्री—सर सैमुएल होर
उपनिवेश-मन्त्री—मि० जे० एस० टॉमस
स्वास्थ्य-मन्त्री—मि० चैम्बरलेन
बोर्ड ऑफ़ ट्रेड—सर फ़िलिप कूलिफ़ लिस्टर

इस नए मन्त्रि-मण्डल के सम्बन्ध में इङ्गलैण्ड में कहा गया है कि इस मन्त्रि-मण्डल का भारतीय राजनीति और गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोलमेज़ का प्रश्न तो तीनों दलों के लोगों की स्वीकृति से तय हुआ था।

—पञ्जाब के गवर्नर पर गोली चलाने वाले मुक़द्दमे की सुनवाई करने वाले लाहौर के सेशन्स जज मि० गार्डन वाकर को धमकी का एक पत्र मिला है। कहा जाता है कि यह पत्र किसी क्रान्तिकारी द्वारा लिखा गया है। कुछ लोगों को यह भी सन्देह है कि यह पत्र सफ़ाई की पैरवी को ख़राब करने के लिए किसी सी० आई० डी० वाले ने लिखा है।

—सीमाप्रान्त में सरकार ख़ूब खुल कर खेल रही है। बड़े ज़ोरों की गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। पेशावर में दफ़ा १४४ की घोषणा कर, दो महीने के लिए उसकी अवधि और बढ़ा दी गई है। ६ लालकुर्ते वाले स्वयंसेवकों को १४४ धारा तोड़ने के सम्बन्ध में एक और दो वर्ष की सज़ाएँ भी दी गई हैं। इसके अतिरिक्त बन्नू ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के सदस्य मौ० ग़ुलाम सरवर ख़ाँ और लूखी कॉङ्ग्रेस कमिटी के मन्त्री श्री० शोभाराम गिरफ़्तार किए गए हैं।

—गत मङ्गलवार की ख़बर है कि बनारस के दशाश्वमेध पुलीस नाके की सीढ़ी पर बम फटा। इससे एक सिपाही का पैर जल गया और उसके बेहोश होकर गिर पड़ने से कई जगह चोटें भी आईं। इस सम्बन्ध में (बिहार गुरुकुल के) प्रो० नारायण मूर्ति गिरफ़्तार किए गए हैं। मामले की पेशी ३१ अगस्त को रखी गई है।

"भविष्य" का साप्ताहिक संस्करण

चूँकि १ली सितम्बर से "भविष्य" का दैनिक संस्करण भी प्रकाशित होने लगेगा इसलिए पूर्व सूचना के अनुसार आगे से "भविष्य" का साप्ताहिक संस्करण वृहस्पतिवार को प्रकाशित न होकर प्रति सोमवार को प्रकाशित हुआ करेगा।

इस हिसाब से 'भविष्य' (साप्ताहिक संस्करण) का आगामी अङ्क वृहस्पतिवार को प्रकाशित न होकर, ७वीं सितम्बर (सोमवार) को प्रकाशित होगा। कृपया इसे स्मरण रक्खें।

—मैनेजर "भविष्य"

—पटना बम-केस के सम्बन्ध में श्री० सूरजनाथ चौबे पर जो मुक़द्दमा चल रहा है, उसकी पेशी सेशन्स जज ने बाँकीपुर जेल में ही की। अभियुक्त पर अस्त्र-आईन की दफ़ा १९ (ई) और (एफ़) और विस्फोटक क़ानून की दफ़ा ४ (बी) का अभियोग लगाया गया। अभियुक्त ने अपने को निर्दोष कहा। इसके बाद सरकारी गवाहों की गवाहियाँ हुईं।

—२४ वीं अगस्त का समाचार है कि इटारसी (नागपुर) में 'चाँद' और 'भविष्य' की स्थानापन्न सम्पादिका श्रीमती लक्ष्मी देवी के भाई श्री० कन्हैयालाल के यहाँ ख़ुफ़िया पुलिस ने धावा किया और श्री० सहगल जी द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र—जिसका नम्बर १००४ और तारीख़ ३० जून, १९३० है—उठा ले गई। यह भी पता चला है कि यहाँ की पुलिस भी देवी जी का पीछा कर रही है।

—लखनऊ ई० आई० रेलवे श्रमजीवी सङ्घ के मन्त्री और "मज़दूर" पत्र के सम्पादक श्री० मुन्शीसिंह दफ़ा १२४ (अ) के अनुसार प्रतापगढ़ में गिरफ़्तार कर लिए गए।

—रायबरेली के कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ता पं० अर्जुनकुमार, बाबू चन्द्रिका प्रसाद, श्री० यतीन्द्रनाथ तिवारी, चौबे हज़ारी लाल, चौबे गौरीशङ्कर, चौबे बाल कृष्ण, पं० महादेवप्रसाद पहलवान आदि पर दफ़ा १०७ का जो मुक़द्दमा चल रहा था, उसका फ़ैसला सुना दिया गया और सब लोगों को एक-एक साल की सादी सज़ा दी गई।

—अलीगढ़ की छर्रा तहसील में ज़मीदार और सरकार दोनों ओर से कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं पर बड़ा दमन हो रहा है। पं० ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु, ठा० मक्खनसिंह, ठा० टोडरसिंह, श्री० तोताराम राठी, डॉ० शिवदयाल आदि १७ प्रतिष्ठित सज्जनों का चालान दफ़ा १०७ में किया गया है।

—युक्त प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी ने गत २४ अगस्त की बैठक में यह निश्चय किया है कि प्रान्त की वर्त्तमान राजनीतिक स्थिति में कॉङ्ग्रेस के लोग म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनावों में हिस्सा न लें।

—दिल्ली के एक बङ्गाली अध्यात्मवेत्ता ने भविष्य-वाणी की है कि वर्तमान गाँधी-वाइसराय विवाद में कोई समझौता न होगा और बिना महात्मा गाँधी के गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स न होगी। सरकार के राज़ी करने पर ३ नवम्बर को महात्मा जी इटैलियन जहाज़ 'जेनोवा' द्वारा लन्दन जायँगे, तब कॉन्फ़्रेन्स होगी।

—ख़बर है कि भारत के वाइसरॉय लॉर्ड विलिङ्गडन किफ़ायत के ख़याल से अपने सफ़र के लिए एक हवाई जहाज़ ख़रीदने वाले हैं।

श्री० एम० एन० रॉय का मुक़दमा

आँख में तकलीफ़ हो गई

प्रसिद्ध भारतीय साम्यवादी मि० एम० एन० रॉय के मुक़दमे की सफ़ाई का बड़े ज़ोरों से इन्तज़ाम हो रहा है। ख़बर है कि जर्मनी के एक भारी वकील आ रहे हैं और मद्रास के भूतपूर्व ऐडवोकेट-जनरल श्री० श्रीनिवास आयङ्गर भी आ रहे हैं। परन्तु बाद की ख़बर है कि आयङ्गर ने आने से इन्कार कर दिया है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉङ्ग्रेस के जनरल सेक्रेटरी श्री० मुकुन्दलाल भी श्री० रॉय से मुलाक़ात करने और सफ़ाई का इन्तज़ाम करने आएँगे। श्री० रॉय की ज़मानत के लिए दरख़्वास्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेज दी गई है। श्री० रॉय स्वयं अपनी ज़मानत की दरख़्वास्त पर बहस करेंगे। उन्होंने अपने क़ानूनी सलाहकार को ७२ पेजों की लिखी हुई हिदायतें दी हैं तथा अभी और लिख रहे हैं। कालाकाँकर के कुँवर ब्रजेशसिंह ने श्री० रॉय के जेल में रक्खे जाने के सम्बन्ध में महात्मा जी को तार दिया है। श्री० रॉय की आँख में भी तकलीफ़ हो गई है। कैप्टन वैरियावा ने उनकी आँखों की परीक्षा की और अपने पास से नए चश्मे देने को कहा है।

कानपुर में नेताओं की फ़ज़ीहत

कानपुर में हिंसात्मक कार्यों की निन्दा करने के लिए उस दिन कॉङ्ग्रेस की ओर से एक मीटिङ्ग की गई थी। श्री० नारायणप्रसाद अरोड़ा उसके सभापति थे। श्री० गोपीनाथसिंह ने हिंसात्मक कार्यों की निन्दा का प्रस्ताव किया। प्रस्ताव के उपस्थित करते ही उपस्थित जनता ने 'शर्म-शर्म' के नारे लगाने शुरू किए। शोर मचाने वालों को शान्त करने के लिए पं० बालकृष्ण शर्मा और श्री० इक़बाल कृष्ण कपूर पहुँचे; किन्तु उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उलटे वे लोग पिटते-पिटते बचे। इसके बाद प्रायः पन्द्रह मिनट तक मीटिङ्ग में बहुत गड़बड़ मची रही। उस पर सभापति ने खड़े होकर कहा कि विपक्षी दल के लोगों को भी अपना मत प्रकट करने का अवसर दिया जायगा। इसी बीच में पं० श्रीनारायण तिवारी व्याख्यान-मञ्च पर चढ़ गए और वक्तृता देने लगे। उन्होंने कहा—"मैं कॉङ्ग्रेस की चुनौती को स्वीकार करता हूँ।" उन्होंने कहा कि—"मैं व्यक्तिगत आतङ्क के बजाय सामूहिक आतङ्क का पक्षपाती हूँ और सारे देश में क्रान्ति चाहता हूँ, क्योंकि स्वाधीनता प्राप्त करने का यही एक साधन है।" इन शब्दों के साथ उन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया।

इसके बाद श्री० लोग प्रस्ताव के पक्ष में बोलने को खड़े हुए। उन पर भी 'शर्म', 'देशद्रोही', 'सरकारी भेड़िया', 'सी० आई० डी०' आदि कहा गया। श्री० लोग के बोलने के बाद बहुत से लोग मीटिङ्ग से चले गए और कई लोगों के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के बाद प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया।

बर्मा-गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स

इङ्गलैण्ड की सरकार ने बर्मा का विधान और भारत और बर्मा का सम्बन्ध आदि झगड़ों के निर्णय के लिए भारतीय गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स की तरह बर्मा गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स नियुक्त की है। इस कॉन्फ्रेन्स की बैठक आगामी नवम्बर मास में भारतीय गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स की विधान-कमिटी की बैठक के बाद ही होगी। बर्मा-गोलमेज़ का प्रमुख कार्य अलग किए गए बर्मा के विधान पर विचार करना होगा। जब इन कार्यवाहियों का फल मालूम हो जायगा तो सम्राट की सरकार द्वारा बर्मा को भारत से अलग करने सम्बन्धी प्रश्न पर अपनी तजवीज़ें पार्लामेण्ट के पास भेजने के पहले सभी दलों द्वारा सारी परिस्थिति पर विचार होगा। परन्तु बर्मा-निवासी इस कॉन्फ्रेन्स के विरुद्ध हैं और उनका कहना है कि कॉन्फ्रेन्स का अर्थ क्या यह है कि बर्मा का भारत से अलग किया जाना निश्चित है ?

बर्मा की घरेलू स्थिति इस समय बड़ी विचित्र है। एक ओर डाके पड़ रहे हैं और दूसरी ओर बलवाई लोग आत्म-समर्पण कर रहे हैं। अब तक ३,५०० बलवाई आत्म-समर्पण कर चुके हैं।

भारत सरकार पर आर्थिक सङ्कट ?

क़र्ज़ से लदी हुई और ख़र्च से चूर भारत-सरकार इस साल दिल्ली षड्यन्त्र केस की विशेष अदालत पर २,६४,०००) रु० ख़र्च करना चाहती है और गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स पर ७०,६२,०००) ये लम्बे ख़र्च एसेम्बली की फाइनेन्स कमिटी के सामने उपस्थित किए जायँगे और वह आगामी ३, ४ और ५ सितम्बर को शिमले में बैठ कर उन पर विचार करेगी।

क्या तमाशा है ! एक ओर भारत-सरकार आर्थिक सङ्कट का चीत्कार मचाती है और उसके नाम पर कम वेतन पाने वाले ग़रीब सरकारी नौकरों का पेट मारती है, और दूसरी ओर ग़रीब देशवासियों के रुपयों को इस प्रकार के कामों में लगाती है।

सं० भ०]

बर्मा-विद्रोह के कथित नेता साया-सन का मुक़दमा विशेष अदालत में भेज दिया गया है और उसकी सुनवाई शुरू हो गई है। साया-सन ने अपने को निर्दोष बताया है। ख़ुफ़िया-विभाग के एक ऑफ़िसर ने गवाही देते हुए साया-सन को पहचाना और कहा कि मैं इसको प्रायः पिछले ६ वर्ष से जानता हूँ।

—मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की हत्या के सम्बन्ध में बिमलदास गुप्त, उर्फ़ माखम, उर्फ़ अक्षयकुमार दास गुप्त की तलाश की जा रही है। विमल के गिरफ़्तार कराने वाले को ३,००० रु० का इनाम देने की घोषणा सरकार की ओर से की गई है।

—कानपुर के निकट बिन्दकी रोड स्टेशन पर लाहौर डी० ए० वी० कॉलेज का विद्यार्थी रामरखामल गत २२ अगस्त की रात को चलती गाड़ी में पञ्जाब सी० आई० डी० द्वारा गिरफ़्तार किया गया। कहा जाता है कि उक्त विद्यार्थी लाहौर षड्यन्त्र केस के फ़रार यशपाल की हुलिया से मिलने के कारण गिरफ़्तार किया गया है जिसकी गिरफ़्तारी के लिए सरकार द्वारा ३,००० रु० के इनाम की घोषणा की गई है। विद्यार्थी ने अपना नाम रामरखामल, पिता का नाम जगतराम, और स्यालकोट ज़िले के शहज़ादा ग्राम का रहने वाला बतलाया है। उसने यह भी कहा है कि मैं कॉङ्ग्रेस का काम करता हूँ। कहते हैं कि यह विद्यार्थी यशपाल के धोखे में तीन बार गिरफ़्तार किया जा चुका है। रामरखामल इलाहाबाद से बिना टिकट के कानपुर जा रहा था। वह कानपुर सेण्ट्रल लाक-अप में रखा गया है। इस सम्बन्ध में कानपुर के श्रमजीवी किसान सङ्घ की तलाशी ली गई और कुछ काग़ज़ात पुलीस ले गई।

—बनारस बम-केस की सुनवाई गत २१ अगस्त को सेशन्स जज की अदालत में आरम्भ हुई। इस मामले में सुविमल कुमार रॉय, मृणालिनी दासी और राधारानी पर विस्फोटक ऐक्ट की दफ़ा ४ और ५ और अस्त्र आईन की दफ़ा ६ के अनुसार मुक़दमा चल रहा है। अभियुक्तों ने अपने को निर्दोष बतलाया है।

सरकारी वकील ने कहा कि बनारस के हथिया फाटक के हाते में एक मकान की तलाशी ली और एक बक्स गिरफ़्तार किया, जिसमें विस्फोटक पदार्थ और रिवॉल्वर एवं कारतूसें थीं। जिस मकान से ये चीज़ें मिली थीं, उसमें सुविमल कुमार रॉय और मृणालिनी दासी रहती थी और बक्स राधारानी द्वारा रखा गया बताया गया है। उन्होंने कहा कि भागवत प्रसाद नामक एक गवाह पेश किया जायगा, जिससे राधारानी ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने बक्स मृणालिनी दासी को रखने के लिए दिया है और उसमें बम बनाने का सामान है।

—गत रविवार को प्रातः काल कानपुर में जनरलगञ्ज पोस्ट ऑफ़िस के पास बिजली के एक खम्भे में एक क्रान्तिकारी पर्चा चिपकाया हुआ पाया गया। पर्चे में लिखा गया था कि कानपुर में षड्यन्त्र दल का उद्घाटन किया गया है, जिसके पास २०५ बम हैं। साथ ही उसमें सरकार को यह चुनौती दी गई थी कि यदि असली षड्यन्त्रकारियों को गिरफ़्तार किया जाय, तो इनाम दिया जायगा। पर्चा हिन्दी में था और लेखक का नाम 'बद्री विशाल' लिखा था।

सी० आई० डी० के राय साहब शम्भूनाथ उस स्थान पर पहुँच गए और पर्चे को उखाड़ कर उन्होंने उपस्थित भीड़ को हटा दिया।

—गोरखपुर ज़िले में वहाँ की ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के मन्त्री द्वारा प्रेषित किसानों पर अमानुषिक ज़ुल्म होने और स्त्रियों की बेइज़्ज़ती किए जाने के जो समाचार कानपुर के 'प्रताप' में प्रकाशित हुए थे, उनकी प्रान्तीय सरकार ने जाँच कराई थी। सरकार का कहना है कि इन अभियोगों का कोई सबूत नहीं मिला, किसी पुलीस-थाने में इन ज़ुल्मों की कोई शिकायत नहीं की गई और न ज़िला-अधिकारियों के पास ही कोई शिकायत की गई है। केवल एक मामले के सिवा, जिसका मुक़दमा अदालत में चल रहा है, और किसी किसान को चोट नहीं पहुँचाई गई है।

—कानपुर में दफ़ा १०८ के अनुसार गनेशीलाल नामक एक स्वयंसेवक और हिन्दुस्तानी सेवा दल के गङ्गासहाय चौबे ये दो आदमी गिरफ़्तार किए गए हैं। कृष्णप्रसाद खन्ना नामक व्यक्ति पर दफ़ा १०८ का जो मुक़दमा चल रहा था, उसमें उनसे एक साल के लिए तीन-तीन सौ रुपए की ज़मानत और मुचलके माँगे गए मुचलका और ज़मानत न देने पर एक साल की सज़ा सुनाई गई।

महात्मा जी का लन्दन जाना बहुत कुछ सम्भव हो गया

शिमले में महात्मा जी और वाइसरॉय में खुले-दिल से बातें

दोनों ओर से आदान-प्रदान की नीति :: महात्मा जी ने अपनी शर्त्त नम्र कर दी

[हमारे शिमले के विशेष सम्बाददाता द्वारा]

[महात्मा जी के लन्दन जाने की फिर बहुत कुछ सम्भावना हो गई है। इस सप्ताह में महात्मा जी और वाइसरॉय में कुछ और पत्र-व्यवहार हुआ, जिसके फलस्वरूप शिमले में गाँधी-वाइसरॉय सम्मेलन फिर हो रहा है। सम्मेलन किस निश्चय को जन्म देगा, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है, किन्तु जैसा कि हमारे शिमले के विशेष सम्बाददाता ने लिखा है, वाइसरॉय और महात्मा जी की आदान-प्रदान नीति और शिमले का वातावरण यही कह रहा है कि महात्मा जी का गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में सम्मिलित होने के लिए लन्दन जाना अधिक सम्भव दिखाई दे रहा है।]

प्रिय सम्पादक जी,

इधर शिमले में ज्वर का प्रकोप दिखाई देता है। मैं भी उसी के चङ्गुल में ग्रसित हो गया था और इसी वजह से आपको पत्र इन दिनों नहीं भेज सका। यूँ भी जैसा कि आप अवगत ही हैं, अवकाश कम रहता है और कभी कोई साधारण घटना के घटित होने पर ही मैं 'भविष्य' के स्तम्भों को नष्ट करता हूँ। परन्तु यह सप्ताह शिमले का बड़ा महत्वपूर्ण रहा, इसलिए सप्ताह के घटना क्रमों से 'भविष्य' के पाठकों को अवश्य अवगत करा देना चाहता हूँ।

सरकारी दौड़-धूप

महात्मा जी द्वारा प्रकाशित सरकार की अभियोगावलि से भी हमारे प्रभुओं में काफ़ी खलबली मच गई थी। कहने को तो कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि अभियोग सूची प्रकाशित होने से बड़े-बड़े अफ़सरान नाराज़ हो गए हैं और अब महात्मा जी का लन्दन जाना असम्भव हो गया है। पर ये बातें दिखाने भर को थीं। वास्तव में अधिकारीगण चिन्तित हो उठे और भारत सरकार के प्रधान सर जेम्स क्रेरर अभियोगावलि के प्रकाशित होने पर वाइसरॉय लार्ड विलिङ्गडन के पास कलकत्ते दौड़े गए। और शिमले लौट कर वाइसरॉय की कौन्सिल में अभियोगावलि पर विचार कर, महात्मा जी को उसका उत्तर देने का वाइसरॉय पर उन्होंने ज़ोर डाला।

वाइसरॉय शिमले लौटे

वायसरॉय ने कलकत्ते का अपना कार्य-क्रम अधूरा छोड़ कर शिमले लौट पड़े। वाइसरॉय के शिमले के लिए प्रस्थान करने की ख़बर से ही यहाँ यह ख़बर ज़ोरों से उड़ी कि अब स्थिति कुछ सँभलती सी नज़र आती है और वाइसरॉय महात्मा जी की शर्त को स्वीकार कर, उनके लन्दन जाने के मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे।

महात्मा जी का वाइसरॉय को तार

अभियोग-सूची क्यों प्रकाशित की

महात्मा जी ने भी यह समझ कर कि वाइसरॉय ने अपने पत्र में यह साफ़ लिख दिया है कि सरकार समझौते का पूर्ण पालन करना चाहती है, साथ ही यह देख कर कि वाइसरॉय की यह ज़बरदस्त कोशिश है कि गाँधी जी लन्दन ज़रूर जायँ, इस स्थिति से लाभ उठाना चाहा और उन्होंने वाइसरॉय को एक तार दिया। तार में उन्होंने लिखा कि नाना प्रकार की अफ़वाहें फैली हैं, लोग कहते हैं कि अभियोगावलि के प्रकाशित हो जाने से मेरा लन्दन जाने का मार्ग और अधिक रुक गया। सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर ने भी जहाज़ पर से मुझे लिख भेजा है कि आप अभियोग-सूची प्रकाशित करने का कारण बता दीजिए। इसलिए मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने क्यों अभियोगावलि प्रकाशित की। अभियोगावलि में बहुत से वे पत्र-व्यवहार थे, जो मेरे और सरकारी अधिकारियों के बीच हुए थे, इसलिए उनका प्रकाशित होना कोई अनुचित न था। फिर, जो कुछ मैंने प्रकाशित किया उसके लिए आपकी स्वीकृति ले ली थी। तीसरे उनको प्रकाशित किए मैं कॉङ्ग्रेस के पक्ष की बातों को पूरे तौर से संसार के सामने रख नहीं सकता था। ऐसी अवस्था में मैं नहीं समझता कि केवल इसी बात पर समझौते और लन्दन जाने का मार्ग कैसे बन्द हो गया।

इसलिए मैं आप से स्वयं मिल कर सब स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जाँच कमिटी नियुक्त करने के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि समझौते में यह बात सन्निहित है कि यदि सरकार और कॉङ्ग्रेस में कोई मतभेद खड़ा हो जाय, तो निष्पक्ष जाँच-कमिटी नियुक्त हो सकती है। मैं पहिले भी इसके लिए तैयार था और अब भी तैयार हूँ कि मैं जाँच समिति की बात वापस ले सकता हूँ, यदि व्यक्तिगत बात चीत करके या किसी तरीक़े से कॉङ्ग्रेस उचित इतमीनान दिला दिया जाय। मैं छोटी-छोटी बातों या ग़लत-फ़हमियों पर समझौते का भङ्ग नहीं चाहता, इसलिए यदि आप आपस में बातें करना ज़रूरी समझते हों, तो मैं शिमले तक आ सकता हूँ।

महात्मा जी का यह तार वायसरॉय को कलकत्ते से शिमला आते हुए रास्ते ही में मिला।

वायसरॉय २२ अगस्त को दोपहर के वक़्त शिमले आ गए। आते ही सबसे पहिले उन्होंने जो किया वह यही था कि उन्होंने अपने भवन में ही अपनी कार्य-कारिणी समिति के सदस्यों को बुलाया और उन लोगों से सारी स्थिति और महात्मा जी के उपरोक्त तार पर विचार किया। दोपहर से लेकर ७ बजे शाम तक बहुत गुप्त रूप से विचार होता रहा। मैंने बहुत चाहा कि क्या बातें हुईं, उनमें से कुछ भी मालूम हो जायँ, किन्तु कुछ ज्ञात न हो सका। हाँ, इतना ज़रूर मालूम हुआ कि वायसरॉय का महात्मा जी से बातचीत करना तय हो गया।

वायसरॉय की कार्य-समिति की बैठक के बाद से यह चर्चा ज़ोरों से यहाँ चल पड़ी कि अब स्थिति सुधर जायगी और महात्मा जी का लन्दन जाना बहुत कुछ सम्भव हो गया है। यहाँ यह भी सुनाई दिया कि महात्मा जी ने गोलमेज़ में अवश्य उपस्थित करने के सम्बन्ध में शिमला शैल के प्रभुओं और लन्दन के प्रभुओं का एक ही मत है, इसलिए महात्मा जी की यह बात ज़रूर स्वीकार कर ली जायगी कि कोई निष्पक्ष सरकारी अफ़सर ही, जैसे हाईकोर्ट के कोई जज ही से अभियोगों की जाँच कराई जाय। मुझे तो यहाँ तक मालूम हुआ है कि यदि पक्ष के लोग राज़ी हुए, तो बम्बई हाई-कोर्ट के जस्टिस ब्रूमफ़ील्ड जाँच करने के लिए नियुक्त किए जायँगे। जस्टिस ब्रूमफ़ील्ड वही सज्जन हैं, जिन्होंने बारडोली सत्याग्रह के बाद बारडोली के मामले की जाँच की थी, और सन् १९२२ में महात्मा जी को ६ वर्ष की सज़ा सुनाई थी।

वाइसरॉय का तार

अस्तु होगा क्या, यह तो भविष्य ही जाने, किन्तु कार्य-समिति की बैठक के बाद महात्मा जी के उपरोक्त तार के उत्तर में वाइसरॉय ने भी महात्मा जी के पास यह तार भेजा—"आपका २१ अगस्त का तार मिला। यदि आप समझते हैं कि और बातचीत करने से आप की आपत्तियाँ दूर हो जायँगी, तो मैं बड़ी प्रसन्नता से आपसे बातें करूँगा। आप यह बतला दीजिए कि आप कब शिमले आ रहे हैं।"

महात्मा जी ने यह उत्तर पाकर वाइसरॉय को फिर एक तार भेज कर लिख दिया कि मैं मङ्गलवार को शिमला पहुँच रहा हूँ।

महात्मा जी का शिमले में आगमन

महात्मा जी २५ अगस्त को ११ बजे दिन के समय सरदार पटेल, पं० जवाहरलाल नेहरू, डॉ० अन्सारी, सर प्रभाशङ्कर पट्टनी और ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ के साथ शिमले पधारे। यह लिखने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, कि शिमला पधारने पर महात्मा जी का शाही स्वागत हुआ। शिमले ही नहीं, दूर-दूर से लोग आपके दर्शनों के लिए आए थे।

शिमला पधारने पर महात्मा जी ने वाइसरॉय से दूसरे दिन, यानी बुधवार को ११ बजे, मिलने का निश्चय किया। मङ्गलवार को आप मि० इमरसन से मिले। मि० इमरसन से आपने २ घण्टे तक समझौते के सम्बन्ध में बातचीत की।

गाँधी-इमरसन बातें होने के बाद वाइसरॉय की कार्य-समिति की बैठक हुई। वाइसरॉय भी उसमें मौजूद थे। मि० इमरसन ने अपनी बातचीत का हाल बतलाया।

महात्मा जी २९ अगस्त को लन्दन जायँगे

अभी महात्मा जी की बातचीत वाइसरॉय से होने को बाक़ी है, किन्तु मि० इमरसन की बातों के बाद से यहाँ यह चर्चा ज़ोरों से है कि महात्मा जी २९ अगस्त को लन्दन के लिए प्रस्थान कर देंगे। यदि २९ अगस्त को ही जाना है, तो उस दिन कुछ घण्टों के लिए आप अहमदाबाद जाएँगे और वहाँ से अपना सामान लेकर बम्बई पहुँच जाएँगे। यदि महात्मा जी गए, तो पं० मालवीय जी और श्रीमती सरोजिनी नायडू भी जाएँगी।

ये हैं यहाँ की बातें, किन्तु होगा क्या, यह तो भविष्य के गर्भ में है।

❀ ❀ ❀

मालिक बनाम "कीपर" वाले मामले की दूसरी पेशी

सहगल जी के लिए अपने अधीनस्थ मैजिस्ट्रेटों को विशेष हिदायत क्यों की गई ??

"यह सब से पहला डिक्लेरेशन है जिसे मैंने नामञ्ज़ूर किया है"

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अत्यन्त मनोरञ्जक गवाही

पाठकों ने 'भविष्य' के पिछले अङ्क में उस विचित्र अभियोग का समाचार पढ़ा होगा, जो स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रेस तथा रजिस्ट्रेशन ऑफ़ बुक्स एक्ट की १२वीं धारा के अनुसार 'भविष्य' तथा 'चाँद' के अध्यक्ष श्री० सहगल जी के विरुद्ध चलाया गया है। इस मामले की दूसरी पेशी २४वीं अगस्त को २ बजे दोपहर में हुई। इस मामले में स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० आर० एफ़० मूडी, ओ० बी० ई०, आई० सी० एस० सबसे पहिले गवाह थे जो 'सरकार' की ओर से पेश किए गए। आपने सरकारी गवाह की हैसियत से कहा कि मैं इलाहाबाद का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हूँ और मैं मि० सहगल को जानता हूँ। मि० सहगल मेरे पास श्री० शङ्करदयाल श्रीवास्तव का डिक्लेरेशन दिलाने के सिलसिले में आए थे। मि० सहगल २२ वीं जुलाई को क़रीब २ बजे मेरे बङ्गले पर आए थे। तब मैंने उनसे पूछा कि इस प्रेस का मालिक (रखने वाला ?) [उन्होंने Possessor शब्द का प्रयोग किया था] कौन है तो मि० सहगल ने कहा कि "मैं हूँ" लेकिन जब मि० शङ्करदयाल श्रीवास्तव मेरे पास अपने डिक्लेरेशन लेकर आए तो मैंने उन्हें स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। जब मि० सहगल चले गए तो मैंने उन सारी बातों को काग़ज़ पर नोट कर लिया जो उनसे हुई थीं और वह नोट अदालत में दाख़िल कर दिया गया है।

श्री० सहगल जी की ओर से श्री० जे० सी० मुकर्जी एडवोकेट, हाईकोर्ट के जिरह करने पर गवाह (डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट) ने कहा कि मैंने सन् १९१४ में इण्डियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी और सब से पहिले मेरी नियुक्ति झाँसी में हुई थी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की हैसियत से जब से मैं काम करने लगा हूँ तब से आज तक लगभग १० प्रेसों के डिक्लेरेशन मेरे सामने पेश किए गए हैं। यह सब से पहिला डिक्लेरेशन है जिसे मैंने नामञ्ज़ूर किया है। यह बात सच है कि मैंने अपने मातहत समस्त मैजिस्ट्रेटों के नाम इस आशय का एक हुक्म जारी कर दिया था कि कोई भी मैजिस्ट्रेट मि० सहगल के प्रेस अथवा पत्रों का डिक्लेरेशन स्वीकार न करे।

प्र०—आप जानते होंगे मि० सहगल के प्रेस के अलावा इलाहाबाद में अन्य भी बहुत से प्रेस हैं। तब वह कौन सा ऐसा कारण है कि आपने मि० सहगल के सम्बन्ध में ही ऐसी आज्ञा निकालना उचित समझा ?

उ०—क्योंकि त्रिवेणीप्रसाद नाम का एक व्यक्ति मेरे द्वारा दण्डित हो चुका था और जैसे ही उसे सज़ा हुई वैसे ही भुवनेश्वरनाथ मिश्र नामक दूसरे व्यक्ति ने डिक्लेरेशन दाख़िल कर दिया। ये दोनों व्यक्ति मेरे सामने मि० सहगल द्वारा पेश किए गए थे। ये दोनों ही नवयुवक एवं अनुभवहीन मालूम हुए, जिन्हें प्रेस चलाने की ज़िम्मेदारी और सञ्चालन का ज्ञान नहीं था। मुझे यह भी मालूम था कि यह प्रेस मि० सहगल का प्रेस था।

प्र०—तो क्या मैं यह समझूँ कि आप की यह आज्ञा भुवनेश्वरनाथ मिश्र के डिक्लेरेशन दाख़िल करने के बाद जारी की गई थी।

उ०—जी हाँ।

प्र०—क्या आप बता सकते हैं कि सहगल जी के विरुद्ध आपने मैजिस्ट्रेटों को यह आज्ञा कब दी थी ?

उ०—१८ जुलाई के क़रीब यह हुक्म मैजिस्ट्रेटों के नाम जारी किया गया था।

प्र०—क्या आप बतला सकते हैं कि झूठा डिक्लेरेशन दाख़िल करने वालों को क्या सज़ा दी जाती है ?

उ०—मेरी पुस्तक के अनुसार २ वर्ष की सज़ा और ५,००० रुपया जुर्माना अथवा दोनों—तक की सज़ा दी जाती है।

प्र०—आपने कहा है कि मेरी पुस्तक के अनुसार... क्या आपकी कोई ख़ास पुस्तक है, या वही जो आज क़ानूनन प्रचलित है ?

उ०—मैं यह नहीं जानता, पर मेरी पुस्तक में तो यही लिखा है।

मि० मुकर्जी ने इस पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब को बतलाया कि सन् १९१४ में इस क़ानून में तरमीम किया गया था और अब केवल ६ मास की सादी क़ैद तथा २००) रु० जुर्माना अथवा दोनों—तक की सज़ा शेष रह गई है)

प्र०—क्या आपने कभी मि० सहगल से यह कहा था कि आप स्वयं तो आग उगलते हैं और व्यर्थ में दूसरों को फँसाते रहते हैं ? क्या आपने मि० सहगल से यह भी कहा था कि भविष्य में यदि उनके पत्रों में कोई राज-विद्रोहात्मक लेख प्रकाशित हुआ तो उन्हें भी जेल की हवा खानी होगी, चाहे क़ानूनन कोई भी ज़िम्मेदारी लिए हो ?

उ०—मैंने सम्भव है, शङ्करदयाल श्रीवास्तव से कहा हो कि मि० सहगल अपनी रक्षा करने के अभिप्राय से बेचारे सीधे-सादे लोगों को फँसाया करते हैं। मैंने शङ्करदयाल श्रीवास्तव को दण्ड वाला परिच्छेद पढ़ कर भी सुना दिया था।

प्र०—क्या हर एक डिक्लेरेशन के समय आप इस प्रकार की बारीकी से जाँच करते हैं अथवा ख़ास तौर से मि० सहगल वाले डिक्लेरेशन में ही आपने पेसा किया है ?

उ०—नहीं; मैंने किसी दूसरे डिक्लेरेशन के सम्बन्ध में इस प्रकार की जाँच कभी नहीं की है। मि० सहगल के अतिरिक्त मैं किसी भी दूसरे प्रेस के स्वामी को नहीं जानता !

प्र०—आप मि० सहगल को कब से जानते हैं ?

उ०—मि० सहगल एक बार अप्रैल में किसी समय मेरे पास "चिट" (फिर बहुत कुछ पूछने पर मि० मूडी ने कहा कि 'चिट' से मेरा अभिप्राय सर्टिफ़िकेट' से है) लेकर आए थे, तभी से मैं उन्हें जानता हूँ।

प्र०—क्या मि० सहगल सर्टिफ़िकेट लेकर आपसे कोई नौकरी माँगने के अभिप्राय से गए थे ?

उ०—सो मैं नहीं कह सकता ! (I can't say that)

प्र०—आपकी नियुक्ति इस ज़िले में कब से हुई है ?

उ०—२१वीं मार्च से।

प्र०—क्या यह सत्य नहीं है कि आपने अपने २० मार्च के ख़त में मि० सहगल को चेतावनी देने के अभिप्राय से बुलाया था ?

उ०—मुझे याद नहीं है। (इस पर मि० सहगल की ओर से मि० मूडी द्वारा हस्ताक्षरित वह निमन्त्रण पत्र अदालत में पेश किया गया, जिसकी तारीख़ २० मार्च है)

प्र०—क्या मि० त्रिवेणीप्रसाद ने आप ही के सामने अपना डिक्लेरेशन पेश किया था ? क्या आपने उनसे पूछा था कि वे प्रेस के स्वामी हैं या नहीं ?

उ०—मुझे याद नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं पूछा था कि वे प्रेस के स्वामी हैं या नहीं ?

प्र०—क्या लक्ष्मी देवी नामक कोई महिला आपके सामने डिक्लेरेशन दाख़िल करने के अभिप्राय से उपस्थित हुई थीं ?

उ०—जी हाँ।

प्र०—क्या आपने उनके डिक्लेरेशन अस्वीकृत कर दिए थे ?

उ०—जी हाँ

प्र०—डिक्लेरेशन नामञ्ज़ूर करने के पहिले क्या आपने कभी इस बात का भी पता लगाया है कि आपको किसी डिक्लेरेशन के नामञ्ज़ूर करने का अधिकार है भी या नहीं ?

उ०—मैंने क़ानूनी पुस्तक पढ़ी है और मेरा ख़्याल है कि मैं किसी भी डिक्लेरेशन को नामञ्ज़ूर कर सकता हूँ।

[शेष जिरह अगले अङ्क में पाठक देखेंगे। इसी प्रकार के लगभग १५० प्रश्नोत्तर हुए हैं जो बहुत ही मनोरञ्जक एवं शिक्षाप्रद हैं। हमें खेद है, स्थानाभाव के कारण इस अङ्क में पूरी कार्रवाई देना सम्भव नहीं है। मामले की अगली पेशी आगामी पहिली सितम्बर को होगी ! जिसमें ४-५ सरकारी गवाह भी पेश होंगे।]

❀ ❀ ❀

—टिनावली (मद्रास) के एक कॉङ्ग्रेस वालण्टियर के खादी बेचते हुए ग़ायब हो जाने और उसके सम्बन्ध में ईसाइयों के क़ब्रस्तान में एक लाश खोदी जाने की जो ख़बर प्रकाशित हुई थी, उसके बारे में यह पता चला है कि वह ग़ायब वालण्टियर गिरफ़्तार किया गया है और पुलीस की हिरासत में मौजूद है।

—कानपुर में गिरफ़्तार किया हुआ दिल्ली षड्यन्त्र केस का कथित फ़रार काशीराम अभी कानपुर में ही है। अभी उसकी शिनाख़्त नहीं की जा सकी है। यह भी ख़बर है कि कानपुर की कालू कोठी की हत्या के सम्बन्ध में गिरफ़्तार दीनदयाल ने ऐसा बयान दिया है जिससे महत्वपूर्ण षड्यन्त्र का पता चलता है।

—पं० जवाहरलाल नेहरू ने शिमले से तार दिया है कि समस्त कॉङ्ग्रेस संस्थाओं को सूचित कर दिया जाय कि नए राष्ट्रीय झण्डे में यह परिवर्तन किया गया है कि चर्ख़ा बजाय बीच में बनाने के डण्डे के पास नीचे कोने पर बनाया जाय।

—कराची के 'हिन्दू-जाति' नामक पत्र के सम्पादक पं० विष्णु शर्मा एक कथित राजद्रोहात्मक लेख के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए हैं। पत्र-कार्यालय की तलाशी भी हुई थी।

"मैजिस्ट्रेट की अदालतें बेईमान हैं"

"सरकार ही मुसलमानों को हिन्दुओं से और हिन्दुओं को मुसलमानों से लड़ाती है"

"आप सरकार के ग्रामोफ़ोन हैं : आपसे न्याय की कोई आशा नहीं"

अदालत में सिक्ख-नेता सरदार खड़गसिंह की गर्जना

सुप्रसिद्ध सिक्ख-नेता सरदार खड़गसिंह अपने २३ अनुयायी सिक्खों के साथ दरका (पञ्जाब) में सत्याग्रह करते हुए गत १७ अगस्त को गिरफ़्तार किए गए थे। सत्याग्रह का कारण यह है कि स्यालकोट ज़िले के दरका स्थान में १३ दूकानों के सम्बन्ध में बहुत दिनों से हिन्दुओं और सिक्खों में झगड़ा चल रहा था। अदालतों में मामला चला और वहाँ से यही फ़ैसला हुआ कि दूकानें हिन्दुओं की हैं। सन् १९२९ में इसी सम्बन्ध में वहाँ के प्रमुख हिन्दू और सिक्ख नेताओं के मुचलके भी लिए गए थे। इसके बाद १९३० में सिक्खों ने इन दूकानों को तोड़ने का सत्याग्रह करना शुरू किया और उसमें ५०० सिक्ख गिरफ़्तार भी किए गए और जेल भेजे गए। अब सरदार खड़गसिंह ने फिर दूकानों को तोड़ने का सत्याग्रह शुरू किया और गिरफ़्तार किए गए।

गिरफ़्तारी के दूसरे दिन सरदार साहब तथा उनके २३ साथियों का मुक़दमा स्यालकोट के मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ और सब अभियुक्त नीचे लिखा पञ्जाबी गायन गाते हुए अदालत में दाख़िल हुए :—

"चुक ले फिरँगिए डेरा, तू खाँदा केक बतेरा।"

अर्थात्—"हे फिरङ्गी, अपना डेरा उठाओ, इतने दिनों तक ख़ूब केक (पाव-रोटी) खाई है।"

अदालत के सामने आने पर अभियुक्तों ने कोई सफ़ाई वग़ैरह नहीं पेश की और बयान देने से भी इन्कार किया।

मैजिस्ट्रेट को सम्बोधित करते हुए सरदार खड़गसिंह ने कहा—"आप सरकार के ग्रामोफ़ोन हैं। मुझे आपसे न्याय की कोई आशा नहीं है। आप अपने मालिकों के हुक्मों के मुताबिक़ ही मुक़दमे का फ़ैसला करेंगे। इसलिए मैं इस अदालत को स्वीकार नहीं करता।"

मैजिस्ट्रेट ने पूछा कि—'क्या यह सब आप मुझे व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं?"

सरदार खड़गसिंह ने कहा—"मैं आमतौर से सबके लिए कह रहा हूँ, मैजिस्ट्रेट की सारी अदालतें बेईमान हैं।"

मैजिस्ट्रेट ने कहा कि यह मामला राजनीतिक नहीं है, बल्कि सिक्खों और हिन्दुओं के झगड़े से उठ खड़ा हुआ है। इस पर सरदार खड़गसिंह गरज उठे—

"हिन्दुओं और सिक्खों में कोई झगड़ा नहीं है, सरकार ही इस झगड़े के लिए ज़िम्मेदार है। सरकार एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध खड़ी कर देती है। मुसलमानों को हिन्दुओं के ख़िलाफ़, हिन्दुओं को सिक्खों के ख़िलाफ़ और इसी तरह से दूसरों को।"

इसके बाद ४ सरकारी गवाहों की गवाहियाँ हुईं और मैजिस्ट्रेट ने दो को छोड़ कर शेष अभियुक्तों पर जुर्म क़ायम किया और दूसरे दिन सब लोगों को २-२ हफ़्ते की सादी क़ैद की सज़ा दी। सरदार खड़गसिंह "बी" क्लास में रक्खे गए हैं और दूसरे सब लोग "सी" क्लास में।

सत्याग्रह स्थगित हो गया

सरदार खड़गसिंह के इस सत्याग्रह से अधिकांश सिक्ख असन्तुष्ट हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमिटी, शिरोमणि अकाली-दल और अनेक सिक्ख-नेताओं ने सरदार खड़गसिंह से अनुरोध किया कि वे अभी सत्याग्रह न करें, किन्तु उन्होंने इन संस्थाओं और नेताओं की राय की अवहेलना की। बाद में इन लोगों की गिरफ़्तारी पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमिटी के कहने पर सत्याग्रह समिति ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया है।

सिक्ख-नेता मास्टर तारासिंह ने भाई परमानन्द, राजा नरेन्द्रनाथ, डॉ० गोकुलचन्द नारङ्ग आदि हिन्दू नेताओं से अपील की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप कर, झगड़े को मिटा दें, नहीं तो स्थिति गम्भीर हो जायगी। बाबा गुरदत्तसिंह जी ने मालवीय जी से भी हस्तक्षेप करने की अपील की है।

"कॉङ्ग्रेस वाले काली के उपासक हैं"

कलियुग में काली का राजत्व :: "भारत में ब्रिटिश अमलदारी पर सङ्कट"

"ऑबज़र्वर" का विचित्र मन्तव्य :: नीचता की पराकाष्ठा

फ़्री-प्रेस के लन्दन-स्थित सम्वाददाता ने एक बड़ी ही मज़ेदार ख़बर भेजी है। इस ख़बर से एङ्गलो-इण्डियनों की कुत्सित और कमीनी मनोवृत्ति का ख़ूब पता चलता है, साथ ही यह भी पता चल जाता है कि वे कॉङ्ग्रेस को बदनाम करने के लिए कैसी-कैसी कहानियों की रचना किया करते हैं। फ़्री-प्रेस का सम्वाददाता लिखता है :—

लन्दन, ७ अगस्त। 'ऑबज़र्वर' पत्र के कलकत्ते वाले सम्वाददाता ने गत पहली अगस्त को एक तार दिया था, जिसमें लिखा था कि गत सप्ताह भारत में रहने वाले अङ्गरेज़ जैसे उत्तेजित हुए थे, वैसी उत्तेजना सिपाही-विद्रोह के बाद कभी नहीं देखी गई थी। प्रसङ्गवश सम्वाददाता ने अपनी राय प्रकट करते हुए लिखा था कि जिन अधःपतितों का दल भारतीय कॉङ्ग्रेस का सञ्चालक और सूत्रधार है, उनमें अधिकांश ही रक्त-पिपासिनी काली देवी के उपासक हैं। उपद्रवी किसी को वध करने की सूचना देने से पहले इसी काली देवी से अनुग्रह की प्रार्थना कर लिया करते हैं। कॉङ्ग्रेसी नेताओं के छूटने के बाद से, यानी गत छः महीनों से कॉङ्ग्रेस का इस अभागे दल ने गवर्नमेण्ट, पुलीस, मुसलमानों तथा अन्यान्य विभिन्न धर्मावलम्बियों के विरुद्ध एक अभूतपूर्व आन्दोलन जारी कर रक्खा है। गत राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स में युक्त राष्ट्र सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद से अब कोई विश्वास ही नहीं करता कि 'हाउस ऑफ़ कॉमन्स' भारत पर अपना प्रभुत्व क़ायम रख सकेगा। घटनावली का प्रवाह इस तेज़ी से चल रहा है कि जो लोग संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठा द्वारा बहुत दिनों की पुरानी अराजकता का अवसान करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि समवेत भाव से कार्यक्षेत्र में उतर पड़ें। चिउँटी की चाल चलने वाली राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स का इन्तज़ार न करके, उससे पहले ही भारत में एक नवीन शासन-तन्त्र की प्रतिष्ठा हो जानी चाहिए।

कराची से आगरा और क्वेटा से काश्मीर तक पाँच मुस्लिम-प्रधान प्रदेश मौजूद हैं। बङ्गाल को भी जोड़ दिया जाए तो पूरे छः हो जाते हैं। फलतः मुसलमानों के लिए भय का कोई कारण नहीं है। क्योंकि सारे हिन्दोस्तान में उन्हीं की तूती बोलेगी। अधिकांश सेना मुसलमानों की होगी, सेनापति भी वहीं होंगे। इसलिए दक्षिण भारत के मुसलमानों के साथ सद्व्यवहार की व्यवस्था होनी चाहिए और मुसलमानों को चाहिए कि उदारनीतिक हिन्दुओं तथा अङ्गरेज़ों से मिल कर शीघ्र ही एक शक्तिशाली सरकार की प्रतिष्ठा करने में लग जाएँ।

कई विषयों का प्रतिकार अत्यावश्यक है। पहली और प्रधान बात यह है कि भारत का असहयोग आन्दोलन भारतवासियों की मानसिक अवनति का ही परिणाम है। कालीदेवी और कलियुग में विश्वास ही इस अवनति का कारण है। कलियुग में काली का ही राजत्व है। प्रलय और मृत्यु की देवी समझ कर काली की पूजा होती है। ब्रिटिश सरकार ने कभी इस पूजा को बन्द कराने का साहस नहीं किया है।

असहयोग एक प्रकार की मानसिक व्याधि है और यह संक्रामक व्याधि कुछ लोगों में अज्ञात रूप से ही फैल जाती है। गाँधी की बोली के पीछे बहुधा घृणा छिपी रहती है। अगर माण्टेग्यू-सुधार के ध्वंस की चेष्टा न हुई होती, तो भारत को अब तक औपनिवेशिक स्वराज मिल गया होता।

अभी भी राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स को विफल कर देने की चेष्टाएँ हो रही हैं। परन्तु वर्तमान ब्रिटिश सरकार उसे समझने में नितान्त अक्षम है। ब्रिटिश सरकार के गवर्नर, विचारक, कर्मचारी और सैनिक आततायियों द्वारा मारे जाते हैं, इसलिए गवर्नमेण्ट की सेना और उसके कर्मचारी उसे अश्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। विभिन्न सम्प्रदायों में भी आज वही भाव देखे जाते हैं।

❀ ❀ ❀

१६ पेन्स विनिमय की दर फिर होगी ?

ख़बर है कि भारत-सरकार अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विनिमय की दर फिर १६ पेन्स करने जा रही है। इस सम्बन्ध में परामर्श करने के लिए बम्बई इम्पीरियल बैङ्क के गवर्नर सर असबर्न स्मिथ शिमला बुलाए गए हैं।

भविष्य

[वर्ष १, खण्ड ४, संख्या १२

महात्मा गाँधी का फ़र्दे-जुर्म

सरकार ने समझौते को कहाँ-कहाँ और कैसे तोड़ा ?

यू० पी० के किसानों और सीमा-प्रान्त के ख़ुदाई ख़िदमतगारों पर ज़ुल्मों का पहाड़ !

[देश के कुछ 'समझदार' लोगों ने महात्मा जी पर यह दोषारोपण किया है कि गुजरात की ज़रा-सी बात को लेकर महात्मा गाँधी ने गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में न जाने का निश्चय कर, देश के बड़े हितों का हनन किया है। परन्तु अब वे ज़रा आँखें खोल कर देखें कि महात्मा जी के गोलमेज़ में सम्मिलित न होने के लिए कौन उत्तरदायी है, महात्मा जी या सरकार ? सरकार ने स्वयं ही समझौते को कितनी बार और कहाँ-कहाँ तोड़ा है और अन्त में महात्मा जी का लन्दन जाना मुश्किल बना दिया है, इसे महात्मा जी ने देश ही नहीं, समस्त संसार के सामने स्पष्ट रख दिया है।

—सम्पादक 'भविष्य']

महात्मा गाँधी ने सरकार के विरुद्ध निम्न-लिखित फ़र्दे-जुर्म (अभियोग-पत्र) प्रकाशित किया है :—

१—मद्रास में शराब की दुकानों की पिकेटिङ्ग

(क) सरकार की ओर से १२ जुलाई को एक कम्यूनिक प्रकाशित किया गया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को स्पष्ट तौर पर सूचना दी गई थी कि शराब की दुकानों की पिकेटिङ्ग में आबकारी नीलाम की पिकेटिङ्ग सम्मिलित नहीं है।

(ख) शराब की दुकानों के नीलाम की पिकेटिङ्ग करने के कारण तञ्जोर के वकीलों पर दफ़ा १४४ का प्रयोग किया गया।

(ग) तिरुकट्टूपल्ली में वालण्टियर ५० दिन तक ६५ गज़ के फ़ासले पर खड़े होकर ताड़ी की दुकानों पर पिकेटिङ्ग करते रहे। पुलीस ने उसे रोक दिया और कहा कि सौ गज़ के फ़ासले पर खड़े होकर पिकेटिङ्ग की जाय। इस प्रकार पिकेटिङ्ग का कोई उपयोग ही न रहा, क्योंकि उतनी दूरी से दुकानें दिखलाई नहीं पड़तीं।

(घ) शान्तिपूर्ण ढङ्ग से पिकेटिङ्ग करने वालों पर झूठे इलज़ाम लगा कर मुक़दमे चलाए गए और इस कार्य में बलपूर्वक हस्तक्षेप किया गया।

(ङ) कोइलपट्टी में वालण्टियरों को मारा गया और उनका सामान छीन लिया गया। पिकेटरों को छाता या झण्डा लेने की मनाही की गई और जनता को उन्हें पानी न देने की चेतावनी दी गई।

(च) बिहार में पिकेटरों की संख्या सीमित कर दी गई। बम्बई में शराब की दुकानों पर शान्तिपूर्ण ढङ्ग से पिकेटिङ्ग करने वालों पर मुक़दमे चलाए गए। शराब को ग़ैर-मन्ज़ूरशुदा स्थानों और समय पर बेचने की आज्ञा देकर शान्तिपूर्ण पिकेटिङ्ग को व्यर्थ कर दिया गया, जिसकी बहुत सी मिसालें अहमदाबाद, भरोंच और रत्नागिरी के ज़िलों में मिल सकती हैं।

बम्बई सरकार ने अपने ऐसे कामों का समर्थन एक पत्र में किया है, जोकि जले पर नमक डालने के समान है।

बङ्गाल में पिकेटरों के साथ जो मार-पीट की गई, उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। कलकत्ता के पास पालारहाट में शान्तिपूर्ण पिकेटरों को बहुत अधिक मारा गया।

२—विचाराधीन मुक़दमे

सूरत ज़िले में बहुत से मुक़दमे ऐसे चल रहे हैं, जिनमें लोगों ने स्वयमेव अपना दावा वापस ले लिया था, पर पुलीस सुपरिन्टेण्डेण्ट ने उनको फिर दावा करने को उभाड़ा हैं। यहाँ पर सिर्फ़ उन्हीं मुक़दमों से मतलब है, जिनको प्रान्तीय सरकार हाईकोर्ट में दाख़िल कर चुकी है। बिहार के हाईकोर्ट ने अपनी मर्ज़ी से ही वकीलों से जो वचन माँगे हैं, वे भी इस श्रेणी में माने जा सकते हैं।

३—जेलों में पड़े क़ैदी

विभिन्न प्रान्तों के नेताओं से अपनी प्रान्तीय सरकारों के साथ उन क़ैदियों के सम्बन्ध में बातचीत करने को कहा गया है, जो अभी तक छोड़े नहीं गए हैं। इस तरह के दो मामले एक श्री० एच० डो० राजा और दूसरा श्री० रतनजी दयाराम का बम्बई-सरकार के सामने ख़ास तौर पर पेश किए गए थे। उत्तर में बम्बई-सरकार ने राजा के व्याख्यानों की प्रतिलिपियाँ भेजी हैं, जो किसी दृष्टि से उपद्रव फैलाने वाली नहीं कही जा सकतीं। रतनजी दयाराम ने साझे की फ़सल को आग लगा कर जला दिया था, जिसे उपद्रव बतलाया गया है।

४—जुर्माना जो क्षणिक सन्धि के पहले वसूल नहीं किया गया

बलसर ज़िला सूरत में पाँच व्यक्तियों पर इसलिए जुर्माना किया गया था कि उन्होंने ज़मीन का उपयोग खेती के सिवाय दूसरे काम के लिए किया है (अर्थात् उन्होंने वहाँ पर आन्दोलन के समय कैम्प बनाए थे, जिनको सरकार ने नष्ट कर दिया) उनसे कहा गया है कि जब तक जुर्माना अदा न हो जायगा, तब तक उनको ज़मीन वापस नहीं दी जायगी।

५—अतिरिक्त पुलीस

चौटाला ज़िला हिसार में जो अतिरिक्त पुलीस नियत की गई थी, वह अभी तक नहीं हटाई गई। उसके लिए लोगों पर ८,०००) रुपया कर लगाया गया। नौशारा पानौम ज़िला अमृतसर से भी अभी अतिरिक्त पुलीस नहीं हटाई गई है।

६—ज़ब्तशुदा जायदाद

(क) क्षणिक सन्धि के बहुत समय पश्चात् खेड़ा में जिस नाव को नमक-विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ लिया था और ग़लती से नीलाम कर दिया था, वह अभी तक वापस नहीं दी गई है और न उसके मालिक को हर्जाना दिया गया है। इसके बजाय नाव वाले से कहा गया है कि वह नीलाम द्वारा जो थोड़े से रुपए मिले हैं, उनको ले और ख़रीदार से ही बातें करे।

(ख) नवजीवन-प्रेस अभी तक नहीं लौटाया गया।

(ग) कितने ही लोगों की बन्दूकें और बन्दूकों के लायसेन्स, जो आन्दोलन में भाग लेने के कारण ज़ब्त कर लिए गए थे, लौटाए नहीं गए।

७—अचल सम्पत्ति का लौटाया जाना

(क) बिहार का आश्रम, जो नवें ऑर्डिनेन्स के मुताबिक़ ज़ब्त कर लिया गया था, अभी तक वापस नहीं किया गया।

(ख) कर्नाटक में वतन और इनाम की भूमि, सिवाय यह प्रतिज्ञा करने पर कि उनके स्वामी भविष्य में किसी आन्दोलन में भाग न लेंगे, वापस नहीं की गई।

८—बिकी हुई ज़मीन

सूरत ज़िले में ज़मीनों के कुछ ख़रीदार उनको फिर से असली मालिकों को लौटा देना चाहते थे, उनको पुलीस ने ऐसा करने से रोक दिया।

९—बम्बई प्रान्त में रिक्त नौकरियाँ

(क) जो पटेल और मुखिया पाँच वर्ष के लिए अथवा जब तक दूसरा हुक्म न मिले, तब तक के लिए नियत किए गए थे, वे स्थायी बना दिए गए हैं।

(ख) इनमें से कितने ही अनुपयुक्त सिद्ध हुए हैं।

(ग) जलालपुर और खेड़ा में कितने ही तलातियों (पटवारियों) को फिर से नौकरी नहीं दी गई। बारदोली में एक के सिवाय और सब तलाती फिर से बहाल कर दिए गए। उस एक तलाती ने सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया था।

(घ) दो डिप्टी कलक्टरों के विषय में ख़ुद लॉर्ड इर्विन और महात्मा गाँधी में यह समझौता हुआ था कि वे फिर से नौकरी पाने के लिए नहीं कहेंगे, वरन् वे पेन्शन के लिए अर्ज़ी देंगे। उनकी अर्ज़ी का कोई फल न हुआ।

(ङ) सबॉर्डीनेट मेडिकल डिपार्टमेण्ट के दो व्यक्तियों ने फिर से नौकरी पाने की दरख़्वास्तें दीं, पर सर्जन-जनरल ने बिना कुछ कारण दिखलाए उनको नामन्ज़ूर कर दिया। इनमें से एक डॉ० सिन्हा थे, जिन्होंने जेलख़ाने के क़ैदियों के सम्बन्ध में एक पत्र प्रकाशित कराया था और जिन्होंने क्षमा-प्रार्थना के लिए कहे जाने पर इन्कार कर दिया था और इसलिए उनको बर्ख़ास्त कर दिया गया। दूसरे डॉ० चन्दूलाल थे, जिन्होंने आन्दोलन के कारण अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया था।

(च) धोलका ज़िला अहमदाबाद के एक ७० वर्ष की आयु के स्कूल-मास्टर—जिनका नाम मोहनलाल मूलशङ्कर भट्ट है—की पेन्शन ज़ब्त कर ली गई।

(छ) रोहरी नहर के अस्थायी सुपरवाईज़र एस० बी० जोशी ने अप्रैल, १९३० में इस्तीफ़ा दे दिया था। वह मद्रास में सरकारी नौकरी के अयोग्य ठहराए गए हैं।

(ज) गण्टूर (मद्रास) के ऑनरेरी असिस्टेण्ट आपथेलमिक सर्जन डॉ० झेलापट्टो राव एम० बी० ने अपने पद से मई १९३० में इस्तीफ़ा दे दिया था। मई १९३१ में सर्जन-जनरल के पर्सनल असिस्टेन्ट ने उनसे फिर अपने काम पर आने को कहा और वे उसे करने लगे। परन्तु १० जून को अस्पताल के सुपरिन्टेण्डेण्ट ने उनसे सन् १९३० में सरकार के विरुद्ध आन्दोलन के लिए क्षमा-याचना करने को कहा। उन्होंने लिखित आज्ञा माँगी, जिस पर मामला ठण्ढा पड़ गया। जून के अन्त में उनसे कहा गया कि सरकार उनको फिर काम पर रखना नहीं चाहती।

(झ) पञ्जाब में भाई पकहरसिंह गूजरवाल ज़िला लुधियाना का पेन्शनयाफ़्ता सिपाही नं० ६३९ ने गाँधी-दिवस के अवसर पर हड़ताल में भाग लिया था। उसकी पेन्शन ज़ब्त कर ली गई।

अप्राप्त नौकरियाँ

यू० पी० में श्री० सीतलप्रसाद तायल, एम० ए०, बी० एस्-सी० जो मेरठ के कैण्टोनमेण्ट ए० वी० स्कूल में शिक्षक थे, राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने के कारण नौकरी से निकाल दिए गए थे। उन्होंने फिर से काम पाने के लिए दरख़्वास्त दी, पर कोई फल नहीं निकला, क्योंकि उस जगह पर एक व्यक्ति स्थायी तौर पर नियुक्त किया जा चुका था। पर ७ अप्रैल को उस व्यक्ति ने काम करने से इन्कार कर दिया और उसकी जगह २० मई से एक नए अस्थायी आदमी को बहाल कर दिया गया। उचित यह था कि जैसे ही उस स्थायी व्यक्ति ने इस्तीफ़ा दिया था, श्री० तायल को नियुक्त किया जाता।

श्री० काशीप्रसाद दीक्षित ने, जो इलाहाबाद के गवर्नमेण्ट प्रेस में क्लर्क थे, फिर से नौकरी पाने के लिए दरख़्वास्त दी। पर इसका कोई फल न हुआ और न उन्हें कोई कारण ही बतलाया गया।

विद्यार्थियों से प्रतिज्ञा

यद्यपि केवल शब्दों पर ध्यान देने से यह बात क्षणिक-सन्धि की शर्तों में नहीं आती, पर उसके आशय पर ध्यान देने से यह प्रकट होता था कि जिन लड़के-लड़कियों ने आन्दोलन में भाग लिया है, उनको बिना किसी शर्त के फिर दाख़िल कर लिया जायगा। पर देश के कितने ही भागों में तरह-तरह की प्रतिज्ञाएँ कराई जा रही हैं।

गौहाटी के आसाम कॉटन कॉलेज में उन विद्यार्थियों से, जिन्होंने कनिङ्घम सर्कुलर के अनुसार किसी प्रतिज्ञा-पत्र पर दस्तख़त न करके निजी तौर पर मैट्रीकुलेशन परीक्षा पास कर ली थी, और जिनको राजनीतिक आन्दोलन में अदालत से सज़ा मिली थी, ५०) रु० की ज़मानत माँगी गई। अहमदाबाद में ११ लड़के सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के कारण किसी भी सरकारी या सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूल में दाख़िल नहीं हो सकते।

अकोला ज़िला करवार में चार लड़के, जो निकाल दिए गए थे, अभी तक दाख़िल नहीं किए गए। उनका वज़ीफ़ा भी ज़ब्त कर लिया गया है।

अजमेर मेरवाड़ा में डी० ए० वी० स्कूल अजमेर के शिक्षक श्री० चन्द्रगुप्त; गवर्नमेण्ट स्कूल अजमेर के शिक्षक श्री० छगनलाल; गवर्नमेण्ट कॉलेज के भूतपूर्व विद्यार्थी श्री० दामोदरदास, और कमर्शल स्कूल नजीराबाद के हेडमास्टर श्री० बनवारीलाल, एम० ए० समस्त गवर्नमेण्ट और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में नौकरी पाने से रोक दिए गए हैं। यह कार्यवाही उनके सरकार-विरोधी कार्यों के उपलक्ष में की गई है।

संयुक्त-प्रान्त और देहली में दाख़िल होने वाले विद्यार्थियों से भविष्य में किसी आन्दोलन में भाग न लेने का वचन माँगा जाता है। इसके साथ ही महात्मा गाँधी ने गाँवों के उन कर्मचारियों के विरुद्ध, जिनके हटाए जाने पर उन्होंने ज़ोर दिया था, रिशवत और भ्रष्टता का आरोप किया है।

मालगुज़ारी के सम्बन्ध में सख़्तियाँ

सूरत की वर्तमान वर्ष की मालगुज़ारी के २० लाख रुपयों में से १९ लाख अदा किए जा चुके हैं। यह बतलाया गया है कि इस अदायगी का श्रेय कॉङ्ग्रेस-कार्यकर्ताओं को है। यह किसी से छिपा नहीं है कि जब उन्होंने मालगुज़ारी इकट्ठा करना आरम्भ किया था, तो किसानों से वर्तमान साल की और पिछली तमाम मालगुज़ारी चुकाने को कहा गया था। पर अधिकांश किसानों ने उत्तर दिया कि वे इस साल की भी मालगुज़ारी बड़ी कठिनाई से अदा कर सकते हैं।

सरकारी अधिकारियों ने बहुत-कुछ सोच-विचार और कुछ मामलों में साफ़ इन्कार के बाद, रक़म को ले लिया और वर्तमान साल के लिए रसीद दे दी। अब पिछली या जो असमर्थता प्रकट कर चुके हैं उनसे वर्तमान साल की मालगुज़ारी को माँगना कार्यकर्ताओं और जनता के साथ विश्वासघात करना है।

बाक़ी मालगुज़ारी के सम्बन्ध में यह बतलाया गया है कि यदि भाव गिर जाने के कारण सरकार से मञ्ज़ूर की गई रक़में छोड़ दी गई हैं, तो ग़ैर-मञ्ज़ूरशुदा रक़मों के लिए यह निर्णय और भी आवश्यक है, क्योंकि लोगों को सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के सिवाय भाव के गिरने और गाँवों को छोड़ कर चले जाने से भी बहुत अधिक हानि पहुँची है। उनकी हानि का अनुमान से हिसाब लगा कर अधिकारियों के सामने पेश किया जा चुका है। इतने पर भी कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन मामलों की फिर से जाँच करने की रज़ामन्दी ज़ाहिर की है, जिनके बारे में अधिकारियों को सन्देह हो। जिस बात से वे नाख़ुश हैं, वह लोगों को डराने के उपाय, जुर्माने और पुलीस द्वारा मकानों का घेरा जाना आदि है।

बोरसद और आनन्द में पिछली मालगुज़ारी के दो मामले अभी तक तय नहीं किए गए हैं। यदि कलक्टर और महात्मा गाँधी में जो समझौता हुआ था, उसका पालन किया जाता तो उनके सम्बन्ध में कुछ भी कठिनाई नहीं पड़ सकती थी।

कर्नाटक के सिरसी और सिद्धपुर नामक स्थानों के किसानों ने घोर कठिनाइयों में पड़ कर सहायता की प्रार्थना की थी। वहाँ करबन्दी का आन्दोलन हुआ था। अधिकारियों से मि० चिकाडी (बम्बई की लेजिस्लेटिव कौन्सिल के मेम्बर) द्वारा आवेदन किया गया। सहायता देना मञ्ज़ूर कर लिया गया और कुछ दी भी गई। पर अब कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं की मदद लेकर काम करने के बजाय डराने-धमकाने के ढङ्ग से काम लिया जा रहा है और लोगों के दैनिक व्यवहार की चीज़ें तथा लोटे-थाली तक छीने जा रहे हैं।

कॉङ्ग्रेस-कार्य

संयुक्त प्रान्त के कितने ही स्थानों में कॉङ्ग्रेस के कार्य में बाधा पहुँचाई जा रही है, शान्तिपूर्ण सभाओं को भङ्ग कर दिया जाता है; कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुक़दमे चलाए जाते हैं; और "जनता के साथ भयङ्करता-पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।" अनेक उदाहरणों में से यहाँ पर सिर्फ़ थोड़े से दिए जाते हैं।

१—बझारी (मथुरा) में २६ मई, १९३१ के दिन पुलीस के सिपाहियों से भरी हुई तीन मोटर-लॉरियाँ पहुँचीं। उन्होंने तमाम कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं के मकान घेर लिए, औरतों को बेइज़्ज़त किया, राष्ट्रीय झण्डों को खींच कर फाड़ डाला और जला दिया। लड़कों को प्रभात फेरियों में भाग न लेने का हुक्म दिया गया। गाँव के १८ लोगों का दफ़ा १०७ में चालान कर दिया गया। चार व्यक्तियों पर डकैती का इलज़ाम लगाया गया और शिनाख़्त की परेड के बिना ही ज़मानत पर छोड़ने से इन्कार कर दिया गया। उनके विरुद्ध बिल्कुल काल्पनिक गवाहियाँ तैयार की जा रही हैं।

(२) नौझील (मथुरा) में २६ जून, १९३१ को एक शान्तिपूर्ण सभा ज़बर्दस्ती भङ्ग कर दी गई। जिन लोगों ने हटने से इन्कार किया, उनको खींच कर बाहर निकाला गया। लाठी पड़ने से श्री० छोटेलाल बेहोश हो गए और भी बहुत से कार्यकर्ताओं को मारा-पीटा गया।

(३) १० जुलाई, १९३१ को रायम में रहमतुल्ला नामक कॉङ्ग्रेस वालण्टियर को पुलीस ने जूतों से पीटा और तरह-तरह की धमकियाँ देकर गाँव छोड़ कर जाने को कहा। मथुरा में ५३ कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं को जिनमें ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के तमाम पदाधिकारी सम्मिलित हैं, ज़मानत तलब किए जाने के मुक़दमे चलाए जा रहे हैं।

(४) ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी सुलतानपुर के तमाम मुख्य कार्यकर्ताओं पर दफ़ा १४४ के मुक़दमे चलाए गए हैं।

(५) करनाल ज़िले में झूठे बहानों पर अनेक लोग गिरफ़्तार किए गए हैं।

(६) बाराबङ्की में सब जगहों के लिए दफ़ा १४४ का एक आम हुक्मनामा निकाला गया। दफ़ा १४४ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के दस्तख़त किए हुए सादे हुक्मनामे पुलीस इन्स्पेक्टरों को दे दिए गए। वहाँ पर दफ़ा १०७ के तीन सौ मुक़दमे अदालत में चल रहे हैं। रायबरेली में भी इस तरह के १३५ मुक़दमे चल रहे हैं। यह दफ़ा गाँवों के तमाम पञ्चों, सरपञ्चों और कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं को फँसाने के लिए काम में लाई जा रही है। सम्मनों में साफ़तौर पर यह लिखा होता है कि मुक़दमा कॉङ्ग्रेस के किसी कार्य करने के लिए चलाया जा रहा है, और यदि अभियुक्त पूरी मालगुज़ारी अदा कर दे, ज़मींदार से क्षमा-प्रार्थना करे, राष्ट्रीय झण्डे को अपने घर या गाँव से हटा दे और कॉङ्ग्रेस वालण्टियरों की भर्ती बन्द कर दे तो मुक़दमा उठा लिया जायगा।

(७) ७ जून, १९३१ को डिप्टी कमिश्नर ने दरया (बाराबङ्की) में लोगों से कॉङ्ग्रेस को छोड़ देने और गाँधी टोपी न पहनने को कहा। उसने काश्तकारों को गाँधी टोपी या खद्दर न पहनने के लिए चेतावनी दी और लोगों से एक प्रतिज्ञा-पत्र पर दस्तख़त कराए कि उनका कॉङ्ग्रेस के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

(८) मुड़ारी में २२ जून, १९३१ के दिन रामनगर थाने के सब-इन्स्पेक्टर ने राष्ट्रीय झण्डा खींच कर फाड़ डाला, कॉङ्ग्रेस के काग़ज़ात ले लिए, गाँव के तीन व्यक्तियों को गिरफ़्तार कर लिया और दूसरे लोगों को धमकाया कि वे कॉङ्ग्रेस से इस्तीफ़ा दे दें।

(९) बस्ती ज़िले में मैजिस्ट्रेट ने लोगों से खुल्लम-खुल्ला गाँधी टोपी न पहनने को कहा और एक कार्यकर्ता जिसने इस हुक्म के मानने से इन्कार किया, पीटा गया।

(१०) गोंडा ज़िले में जब कुँवर राघवेन्द्र प्रतापसिंह, डिप्टी कमिश्नर से मिले तो उनको धमकी दी गई कि अगर वे कॉङ्ग्रेस का काम बन्द नहीं कर देंगे तो उन्हें तङ्ग किया जायगा। इस ज़िले में भी मुख्य कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दफ़ा १४४ का प्रयोग किया गया है।

(११) बहराइच ज़िले में चौकीदारों, ज़मींदारों और उनके नौकरों की शिकायतों के बहाने से कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार करके सज़ा दे दी गई।

यहाँ तक हमने सिर्फ़ सरकारी कर्मचारियों की करतूतों का ही वर्णन किया है। पर जो करतूतें प्रत्यक्ष में ज़मींदारों और ताल्लुक़ेदारों द्वारा की गई हैं, वे भी सरकारी अधिकारियों के, अगर कहने से नहीं तो उनकी मौन सम्मति द्वारा हुई हैं, क्योंकि वे उनकी तरफ़ कुछ भी ध्यान देना नहीं चाहते। इस सम्बन्ध में रायबरेली का सर्कुलर मशहूर है।

गवर्नमेण्ट की सहायता का आश्वासन पाकर ताल्लुक़ेदार फिर मालगुज़ारी वसूल करने के पुराने बर्बरतापूर्ण तरीक़े से काम लेने लगे हैं। इस सम्बन्ध में एक ताज़ा उदाहरण रायबरेली का है, जहाँ एक काश्तकार अस्पताल में लाया गया है। ताल्लुक़ेदार के कार्यकर्ताओं के आक्रमण के फल-स्वरूप उसकी एक आँख फूट गई है और नाक की हड्डी टूट गई है। एक गर्भवती स्त्री पर इतनी मार पड़ी कि बेहोश हो गई।

बहराइच

बहराइच ज़िले के नानपारा नामक स्थान में कई बार पुलीस और ज़मींदारों ने मिल कर कॉङ्ग्रेस वालण्टियरों और काश्तकारों को पीटा और मुख्य कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार कर लिया गया। ख़बर मिली है कि कितने ही वालण्टियरों के घर पुलीस ने आग लगा कर जला दिए। बाराबङ्की से मिली एक रिपोर्ट में लिखा है कि "जब से नया डिप्टी कमिश्नर आया है, हथियारबन्द पुलीस गाँवों का चक्कर लगा कर वहाँ के निवासियों को भयभीत कर रही है और रेवेन्यू तथा पुलीस के कर्मचारी किसान और कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं के कुचलने में ज़मींदारों की सहायता कर रहे हैं।" हमको रायबरेली और दूसरे ज़िलों से भी ऐसी ही रिपोर्टें मिली हैं। अवध में सरकार की सर्वत्र यही नीति है।

गोंडा

बलरामपुर, ज़िला गोंडा को, जो वैसे तो ताल्लुक़ेदार के अधीन है, पर आजकल कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स के अधिकार में है, दो घटनाएँ नीचे दी जाती हैं:—

"ठेकेदारों के शिकायत करने पर मई के प्रथम सप्ताह में पुलीस और रियासत के कर्मचारियों ने बरईपुर गाँव को घेर लिया। उन्होंने गाँव वालों से फ़ौरन लगान अदा करने को कहा, लोगों ने दो दिन की मुहलत चाही। वे पीटे गए और २३ व्यक्ति ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा ३२३, ३२५ और १४७ के मुताबिक़ गिरफ़्तार कर लिए गए। तीसरे दिन फिर रियासत के कर्मचारियों ने फिर २५० आदमियों के साथ गाँव को घेर लिया। औरतों को मारा-पीटा गया, नङ्गा कर दिया गया और बेइज़्ज़त किया गया।

"ये लोग अनाज को उठा ले गए और कौड़ियों के दाम बेच डाला। मुक़द्दमा अभी चल रहा है। रियासत के ज़िलेदार और उसके नौकरों के पीटने से एक आदमी मर गया। ज़िलेदार पकड़ा गया है।

"समारिया गाँव में ठेकेदार ने औरतों के साथ जघन्य व्यवहार किया। तीन दिन तक किसी को एक भी कुँए से पानी न भरने दिया गया, जब तक कि लगान का एक भाग अदा न कर दिया गया। ठेकेदार के आदमियों के प्रति बल-प्रयोग करने के अभियोग में १६ व्यक्तियों पर मामला चलाया गया। यहाँ भी औरतें नङ्गी कर दी गईं और उनके गुह्य स्थानों में लकड़ियाँ ठूँसी गईं।"

इलाहाबाद

रिपोर्ट से पता चलता है कि इलाहाबाद ज़िले में कितने ही ज़मींदारों ने बलपूर्वक पूरा लगान वसूल कर लिया है और काश्तकारों को माफ़ी नहीं दी है। इस ज़िले की तमाम तहसीलों में ज़मींदार आमतौर पर किसानों को मारते-पीटते हैं, बेतों और जूतों से मारते हैं, भालों और दूसरे हथियारों का उपयोग करते हैं और उनको हर तरह से तङ्ग और अपमानित करते हैं।

हमको गोरखपुर ज़िले से रिपोर्ट मिली है कि सरकार ज़मींदारों की ज़्यादतियों की तरफ़ ध्यान नहीं देती और ज़मींदार जो उनके मन में आता है, कर रहे हैं। बहुत सी घटनाओं में से एक उदाहरण यहाँ पर दिया जाता है। "सिसवा बाज़ार के ज़मींदार परमहंससिंह और नवलकिशोरसिंह ने ३१ अप्रैल को खेसराडी, गिद्धपल, रुन्साछपरा और अहरौली के गाँवों पर १५० बदमाशों के साथ हमला किया और राजबली, नब्बू लूनिया, भीमल और चौकर के माल-असबाब को लूट लिया।" गवर्नमेण्ट ने इस तरफ़ कुछ ख़याल नहीं किया। रजवाग गाँव में रामनारायण ज़मींदार ने पुलीस की सहायता से किसानों पर गोलियाँ चलाईं, जिससे एक आदमी मारा गया। सरकार इस सम्बन्ध में बिल्कुल चुप है।

किसानों को धूप में मुर्ग़ा बना कर खड़ा करने का रिवाज़ आमतौर पर है। इसी प्रकार जूतों से पीटा जाना भी मामूली बात है। सम्पत्ति (मवेशी वग़ैरह) पर बिना किसी अदालत के हुक्म के क़ब्ज़ा कर लेना भी साधारणतया देखने में आता है।

रायबरेली

रायबरेली में सैकड़ों मामलों में अमीन ने पुलीस की सहायता से किसानों पर ज़ुल्म किया है। किसानों में इस आशय के नोटिस बाँटे गए हैं कि अगर वे अमुक कॉङ्ग्रेसमैन से सम्बन्ध रक्खेंगे, तो उन पर मुक़द्दमा चलाया जायगा।

उन्नाव

श्री० विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी ने सब-डिविज़नल मैजिस्ट्रेट के सामने पोपरी नामक गाँव के किसानों के अभियोगों को पेश किया है। अगर वे सच न होते तो उन पर मान-हानि का दावा हो सकता था। इन अभियोगों से पता चलता है, लोगों के समूह को लाठी और डण्डों से पीटा गया, मकानों के दरवाज़े और ताले तोड़ डाले गए, औरतों की बेइज़्ज़ती की गई, एक स्त्री का सतीत्व नष्ट किया गया, ज़ेवर लूटे गए। ये सब कार्य सब-डिविज़नल मैजिस्ट्रेट की छत्रछाया में गाँव के ज़मींदार द्वारा किए गए।

आगरा में सिर्फ़ उन किसानों को माफ़ी दी गई, जिन्होंने अपने को कॉङ्ग्रेस के विरुद्ध बतलाया। इसलिए सैकड़ों गाँवों को अभी तक सरकार से माफ़ी नहीं मिली है। सरकारी कर्मचारी स्पष्टतया कह देते हैं कि माफ़ी उन किसानों को नहीं मिलेगी, जो कॉङ्ग्रेस के साथ हैं।

इसी तरह की रिपोर्टें फ़ैज़ाबाद, खेरी, फ़तेहपुर, बदायूँ आदि के ज़िलों से मिली हैं। ये सब एक ही दर्दनाक क़िस्सा कहती हैं।

बङ्गाल, पञ्जाब और आसाम

कण्टाई में शान्तिपूर्वक विधायक कार्य करने वाले कार्यकर्ता गिरफ़्तार किए गए।

तरनतारन तक में एक शान्त जुलूस पर लाठियों से आक्रमण किया गया। अमृतसर ज़िले में सरबली थाने के सामने पुलीस इन्स्पेक्टर ने कॉङ्ग्रेस नेताओं को गालियाँ दीं और कॉङ्ग्रेस के एक डॉक्टर को बहुत मारा। तरनतारन में कितने ही कार्यकर्ता दफ़ा १०८ में गिरफ़्तार किए गए। लाला दुनीचन्द से अम्बाले के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अम्बाला कैण्टोन्मेण्ट में कोई राजनीतिक सभा नहीं हो सकती और न इस तरह की सभा किसी दूसरी कैण्टोन्मेण्ट में ही हो सकती है। लुधियाना में १६ मई को मुशायरे की एक शान्तिपूर्ण मीटिङ्ग सिटी मैजिस्ट्रेट के समक्ष निर्दयतापूर्वक भङ्ग कर दी गई। जब कि लोग वहाँ से जाने लग गए तो फ़ैज़ नामक व्यक्ति ने प्लेटफ़ॉर्म पर एक लोहे की कुर्सी फेंकी। डॉ० किशोरीलाल ने इसकी इत्तिला मैजिस्ट्रेट और पुलीस इन्स्पेक्टर को दी, जिसके बदले में फ़ैज़ ने उनको दो हण्टर मारे और एक लाठी सर पर पड़ी। मैजिस्ट्रेट ने उन दुर्वृत्तों को रोकने के बजाय डॉक्टर को ही बुरी-बुरी गालियाँ दीं। डॉक्टर के विरोध करने पर बिखरते हुए दर्शकों पर ज़ोर-शोर से लाठियाँ चलाई जाने लगीं। पचास लोग बुरी तरह से घायल हो गए, इस आक्रमण का कारण कटरा नौश्यिान के निवासियों में आतङ्क फैलाना था, जिससे वे स्वदेशी बाज़ार के खुलने का विरोध करने लगें।

१६ जून को जोरहाट (आसाम) में प्रभातफेरी के लड़कों को पुलीस सुपरिण्टेण्डेण्ट बार्टले के हुक्म से पीटा गया। डॉक्टर एच० के० दास से कहा गया कि कराची में कॉङ्ग्रेस के एक प्रस्ताव का अनुमोदन करने के कारण उनकी पेन्शन क्यों न ज़ब्त कर ली जाय।

सीमा-प्रान्त

ख़ुदाई ख़िदमतगारों पर ज़ुल्म

(१) मालकन्द एजन्सी—मालकन्द एजन्सी के तहसीलदार ने कुछ लोगों से, जो वहाँ की हवालात में बन्द थे, कहा कि अगर वे ख़ुदाई ख़िदमतगारों को मार सकें तो उनको छोड़ा जा सकता है। उनसे यह भी कहा गया कि अगर वे जितने ख़ुदाई ख़िदमतगारों को पकड़ सकें, पकड़ कर उनमें से हर एक से २००) रु० वसूल करें, तो भी उनको छोड़ दिया जायगा। चौथी जुलाई को सादखन में एक ख़ुदाई ख़िदमतगार को छुरी मारी गई और दूसरा रुस्तम नामक स्थान में जान से मार डाला गया, दोनों घटनाएँ सन्देहजनक हैं।

(२) दौलतपुर तहसील चारसद्दा में बाताग्राम के ज़ैलदार अब्दुल्लाजान ने सीमा-प्रान्त की पुलीस की सहायता से उन सब वालण्टियरों को इकट्ठा किया जिन्होंने लगान नहीं चुकाया था, और उनमें छः को एक बर्रों से भरे कमरे में बन्द कर दिया। उन पर बर्रों को छोड़ने के लिए कमरे में धुआँ कर दिया गया। जब उनको छोड़ा गया तो उनके चेहरे बर्रों के डङ्कों के मारे बुरी तरह सूजे हुए थे। उनसे अब्दुल्लाजान के लड़के ने चले जाने और अपनी स्त्रियों को बेच कर मालगुज़ारी अदा करने को कहा।

(३) घोरामलीक में २७ जून को अब्दुल्लाजान और उसके दल वालों ने उन ख़ुदाई ख़िदमतगारों को पकड़ लिया, जो अपना लगान अदा न कर सके थे। उनको पीठ के पीछे हाथ बाँध कर तेज़ धूप में बैठाया गया। जिस किसी ने मुँह से एक शब्द भी निकाला, उसे बन्दूक़ के कुन्दे से मारा गया, जिसके फल से एक बुड्ढा आदमी ख़त्म हो गया। यही हाल जामटो और बकायान में किया गया।

(४) शबक़द्र में अलमीर और हमीद ख़ाँ ने, जिनको सरकार से जागीर मिली हुई है, दो ख़ुदाई ख़िदमतगारों को पकड़ लिया। वे उनको पोलिटिकल ऑफ़ीसर के पास ले गए और कॉङ्ग्रेस का काम बन्द करने को कहा। इन्कार करने पर उनको नङ्गा करके ख़ूब पीटा गया। उनमें से एक को रस्सी से बाँध कर तेज़ धूप में ज़मीन पर औंधा लिटा दिया गया और उसे अपमानित करने के लिए अँगुली और लकड़ी के टुकड़े उसके मल-स्थान में घुसेड़े गए। इस तरह का अपमान पठानों में मृत्यु से कुछ ही कम समझा जाता है।

(५) २१ जून, १९३१ को पुलीस का एक बड़ा दल मक़ब्बर ख़ाँ को गिरफ़्तार करने सरबन्द पहुँचा, जिस पर हरीसिंह के बेटे गुलसरन ने ज़बर्दस्ती रोक

(शेष मैटर १२वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए)

२७ अगस्त, सन् १९३१

हमारी मञ्ज़िलें !

आशा और निराशा; युद्ध और शान्ति; जीत और हार के बीच में आज देश का राजनीतिक पलड़ा चढ़ता और गिरता; गिरता और चढ़ता दीख रहा है। इस फिसलन का, इस अनियन्त्रण का, इस चढ़ाव और उतराव का क्या परिणाम होगा, इसका निर्णय न तो बम्बई के गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉटसन की स्वेच्छाचारी नीति तथा उनकी मज़बूत, परन्तु कड़ी सरकार का दमन ही कर सकेगा और न लॉर्ड विलिङ्गडन और उनकी सरकार की कॉङ्ग्रेस-विरोधी नीति ही! इस बात का वास्तविक निर्णय तो कॉङ्ग्रेस और महात्मा गाँधी की राजनीतिक दृढ़ता, उनका भावी राजनीतिक कार्यक्रम तथा स्वतन्त्रता के युद्ध में उनकी सञ्चित नैतिक शक्ति ही कर सकेगी—उन महात्मा गाँधी की नैतिक शक्ति और भावी राजनीतिक दृढ़ता तथा कार्यक्रम, जिन की सचाई और शान्ति के उद्योग की चर्चा करते हुए उस दिन, गत ९वीं जुलाई को हाउस ऑफ़ कॉमन्स में भारत-मन्त्री श्री० वेजउडबेन जैसे ज़िम्मेदार व्यक्ति ने गौरव के साथ कहा था—

"Whatever charges have been made against Mr. Gandhi, I do not think any one has ever charged him with breach of faith × × × The accurate information at my disposal is that he is striving to fulfil the undertaking on his side and that today, he represents in India a great force standing for peace."

अर्थात्—"मि० गाँधी पर चाहे जो कुछ भी अभियोग लगाया गया हो, पर किसी ने उन पर आज तक विश्वासघात का दोषारोपण नहीं किया × × × मि० गाँधी ने अपनी प्रतिज्ञा पालन करने के लिए परिश्रम किया है और आज मि० गाँधी भारत में शान्ति की एक प्रवर्तक-शक्ति के द्योतक हैं।"

उसी ९वीं जुलाई के भाषण ने भारत तथा ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय आकांक्षाओं के विरोधी एक मज़बूत गौराङ्ग दल के हृदय में अशान्ति उत्पन्न कर दी थी, जब मि० वेजउडबेन ने कहा था—

"Mahatma Gandhi was striving to fulfil his undertaking."

अर्थात्—"महात्मा गाँधी अपनी प्रतिज्ञा के पालनार्थ घोर प्रयत्न कर रहे हैं।"

परन्तु मि० वेजउडबेन के इस ऐतिहासिक भाषण के तीन दिन बाद ही, अर्थात् गत १२वीं जुलाई को गोरे 'टाइम्स' के शिमला-स्थित सम्वाददाता ने तार दिया था कि महात्मा गाँधी ने दिल्ली-समझौते के भङ्ग की जाँच के निमित्त एक निष्पक्ष पञ्चायत की माँग पेश की है। कहना नहीं होगा कि महात्मा गाँधी की यह माँग पूर्णतः सरल, उचित और अधिकार-सीमा के भीतर की बात थी; परन्तु शिमला-स्थित हमारे भाग्य के विधाताओं ने इस माँग में कॉङ्ग्रेस की पूर्व-निश्चित धृष्टता (Calculated effrontery) समझी और इसमें कॉङ्ग्रेस के समानान्तर सरकार स्थापित करने के धृष्ट-प्रयत्न को देखा। भारत-सरकार के लिए इससे बढ़ कर परिस्थितियों का करुण मिथ्या-चित्रण और क्या हो सकता था?

इसके बाद स्वयं महात्मा गाँधी वॉयसरॉय लॉर्ड विलिङ्गडन से शिमला में मिले। गृह-मन्त्री मि० इमर्सन से भी महात्मा जी ने बातें कीं। महात्मा जी के इन सारे प्रयत्नों का प्रधान उद्देश्य प्रान्तीय सरकारों के द्वारा समझौता भङ्ग किए जाने के ज्वलन्त उदाहरणों पर समुचित प्रकाश डालना था। पर लॉर्ड विलिङ्गडन तथा उनकी सरकार ने प्रान्तीय सरकारों के दोष को स्वीकार न किया और उसके बाद महात्मा जी को उलटे पाँव लौट आना पड़ा। थोड़े दिनों में ही सरकार और कॉङ्ग्रेस में इतना गहरा मतभेद हो गया कि महात्मा जी और कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी को विवश होकर राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स में सम्मिलित न होने का निर्णय करना पड़ा। ये इतिहास की निष्पक्ष बातें हैं और इन बातों में केवल घटनाओं का सत्य वर्णन किया गया है। अस्तु। इस निर्णय के बाद महात्मा जी ने दिल्ली-समझौते के बाद कॉङ्ग्रेस पर किए गए सरकार द्वारा अत्याचारों तथा दिल्ली-समझौते के भङ्ग करने के प्रज्वलित दृष्टान्तों का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया है। उस विवरण में सरकार के विरुद्ध निम्न दस बातों पर दृष्टान्तों के साथ प्रकाश डाला गया है:—

(१) शान्तिपूर्ण धरने में सरकार के द्वारा बाधा दिया जाना।

(२) धरना देने वाले सत्याग्रहियों पर आक्रमण।

(३) लाइसेन्स के विरुद्ध स्थानों में शराब की बिक्री करना।

(४) सत्याग्रही क़ैदियों का अब तक समझौते के अनुसार न छोड़ा जाना।

(५) जुर्माना वसूल करने में दृढ़ रहना।

(६) धरना देने वाले निर्दोष सत्याग्रहियों पर अभियोग लगाना।

(७) अतिरिक्त-पुलीस को न हटाना।

(८) ज़ब्त जायदाद को न लौटाना।

(९) ग्राम-कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति न करना।

(१०) अवाञ्छनीय पुरुषों को अधिकारी नियुक्त करना।

कहना नहीं होगा—कि सरकार के विरुद्ध गाँधी जी का उपरोक्त दोषारोपण, केवल एक ही प्रान्त अथवा स्थान से नहीं; वरन् बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रान्त, पञ्जाब, सीमा-प्रान्त तथा बङ्गाल के अनेकानेक स्थानों से सम्बन्ध रखता है। इन मुख्य बातों के अतिरिक्त भी महात्मा जी ने सरकार के द्वारा किए गए अत्याचारों का उल्लेख किया है, जिनमें अधिकारियों ने गाँधी टोपियाँ छीनीं, राष्ट्रीय झण्डे नष्ट किए, लाठियों के द्वारा सभाएँ भङ्ग कीं...... आदि-आदि। महात्मा जी के इस दोषारोपण पर लॉर्ड विलिङ्गडन ने कड़ा उत्तर दिया है तथा उस उत्तर में एक साँस से जिस प्रकार प्रान्तीय सरकारों की निर्दोषिता एवं कॉङ्ग्रेस की 'ज़्यादतियों' को प्रमाणित करने की चेष्टा की है, वह भी 'भविष्य' के पाठकों से छिपा नहीं है। तात्पर्य यह कि कॉङ्ग्रेस तथा सरकार के इस राजनीतिक अभिनय के बाद, अर्थात् पिछले पाँच-छः दिनों से भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ है। वॉयसरॉय लॉर्ड विलिङ्गडन का अपना आगे का कार्यक्रम स्थगित कर कलकत्ते से शीघ्रातिशीघ्र शिमला शैल-शिखर पर लौटना; शिमला पहुँचते ही वॉयसरॉय की कार्यकारिणी का बैठना; स्थिति के स्पष्टीकरण के निमित्त महात्मा गाँधी का वॉयसरॉय से मिलने के लिए तार भेजना और पत्रों के समाचार के अनुसार वॉयसरॉय का तार-द्वारा महात्मा गाँधी से शिमला पहुँचने का समय तथा दिन पूछना—ये ऐसी बातें हैं, जिन्हें उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। और विशेषकर उस अवस्था में, जबकि एक ओर महात्मा गाँधी केवल लन्दन के राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स में सम्मिलित होने के लिए अपनी उचित और अधिकारपूर्ण शर्तों को तोड़-मरोड़ रहे हैं, और दूसरी ओर राजनीतिक अफ़वाहों के आधार पर लन्दन शिमले को इस बात के लिए विवश कर रहा है कि वह देश में ऐसी राजनीतिक स्थिति उत्पन्न कर दे, जिससे महात्मा गाँधी तथा कॉङ्ग्रेस का गोलमेज़ सम्मेलन में सम्मिलित होना सम्भव हो जाय। इन परिस्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति आज आशा और निराशा के बीच में करवटें ले रही है! सम्भव है, इसका परिणाम यह हो कि कॉङ्ग्रेस गोलमेज़ में पुनः सम्मिलित होने का निर्णय करे। यह भी सम्भव है कि परिस्थितियाँ इस प्रकार की उत्पन्न हो जायँ, जिनके अनुसार कॉङ्ग्रेस को अपने पूर्व निर्णय पर ही रहना पड़े। परन्तु हम इन दोनों परिणामों को भारतीय राजनीति में केवल गौण स्थान ही देते हैं। महात्मा जी अपनी उचित माँगों को भले ही तोड़-मरोड़ दें, परन्तु उनका अथवा कॉङ्ग्रेस का गोलमेज़ में सम्मिलित होना देश की आकांक्षाओं की अन्तिम पूर्ति नहीं है। यदि गोलमेज़ से ही स्वराज्य प्राप्त हो सकता था, तो महात्मा जी तथा कॉङ्ग्रेस का यह कर्तव्य था कि दारुण से दारुण परिस्थितियों में भी गोलमेज़ में सम्मिलित हुआ जाय; परन्तु परिस्थिति ठीक प्रतिकूल है! इसे कॉङ्ग्रेस भी समझती है, स्वयं महात्मा जी भी समझते हैं। फिर भी हमें यह जानकर आश्चर्य होता है कि महात्मा जी केवल लन्दन जाने के लिए तथा गोलमेज़ में सम्मिलित होकर यह दिखलाने के लिए, कि कॉङ्ग्रेस दिल्ली-समझौते की

पूर्ति में सर्वथा सचेष्ट रही है, अपनी उचित माँगों को क्यों कम करना चाहते हैं। जब बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉटसन ने महात्मा जी की इस माँग को कि बारडोली में १६ लाख, २० हज़ार के बाद जो रुपया सरकारी कर्मचारियों के द्वारा बलपूर्वक वसूल किया गया है, सरकार किसानों को वापस कर दे—अस्वीकार करते हुए यह कहा था कि सरकार के द्वारा कर-वसूली कॉङ्ग्रेस की इच्छा पर नहीं निर्भर थी ; तथा जब भारत-सरकार के गृह-मन्त्री ने महात्मा गाँधी के निष्पक्ष पञ्चायत की माँग को अनुचित और अवैधपूर्ण बतलाते हुए अस्वीकार किया था; एवं जब कॉङ्ग्रेस और महात्मा गाँधी को सरकार के इस रुख़ पर विवश होकर गोलमेज़ में सम्मिलित होने के निर्णय के प्रतिकूल निर्णय करना पड़ा था; उस समय महात्मा गाँधी ने अपनी तथा कॉङ्ग्रेस की स्थिति स्पष्ट करते हुए यह दलील पेश की थी कि जब छोटे से छोटे मामलों में भारत में सरकार द्वारा न्याय नहीं किया जाता, तो लन्दन में बड़े प्रश्नों पर न्याय होने की सम्भावना किस भाँति की जा सकती है? अभी महात्मा जी की उस दलील और कॉङ्ग्रेस के उस निर्णय को पूरे दो सप्ताह भी नहीं हुए कि महात्मा जी ने बारडोली-समस्या को स्थगित कर देने तथा एक ऐसे हाईकोर्ट के जज के द्वारा कॉङ्ग्रेस के द्वारा लगाए गए अभियोगों की जाँच करने की बात कही है, जिस पर जनता और सरकार दोनों का ही विश्वास हो। बाद में तो महात्मा जी ने यहाँ तक कहा है, कि कम से कम यदि एक ऐसा व्यक्ति भी नियुक्त किया जाय, जो केवल कॉङ्ग्रेस पर लगाए गए अभियोगों की ही जाँच करे, तो भी हमें सन्तोष होगा!

इस स्थान पर और इस परिस्थिति में हम महात्मा जी से असहमत होना तथा उनके इस नए निर्णय का विरोध करना अपना पवित्र कर्तव्य समझते हैं। हमारे हृदय में महात्मा जी के लिए कम आदर नहीं है। हम महात्मा जी को संसार के एक महान पुरुष के रूप में देखते हैं। हमारे हृदय में महात्मा गाँधी के लिए भक्ति और श्रद्धा है ; फिर भी हम महात्मा जी के उक्त निर्णय को देश के हित का विरोधी एवं नागरिक स्वत्वों के अपहरण के रूप में देखते हैं। इतना ही नहीं; हम महात्मा जी के इस निर्णय को दिल्ली के उस समझौते का विरोधी समझते हैं, जोकि महात्मा जी ने जनता के नाम पर लॉर्ड इर्विन से किया था। अभी कठिनाई से दस दिन हुए होंगे, जबकि महात्मा जी ने अपनी उचित माँग और सरकार के द्वारा उस माँग के अस्वीकृत कर दिए जाने पर, वर्किङ्ग कमिटी के निर्णय पर प्रकाश डालते हुए कहा था—

"× × × लेकिन लन्दन न जाने का निश्चय अनिवार्य हो गया। आशा के विरुद्ध मैंने आशा की थी कि अन्तिम समय में सरकार की ओर से न्याय होगा। मेरे विचार में मेरी प्रार्थना अविश्वसनीय रूप से सरल थी। यदि सरकार और कॉङ्ग्रेस में कोई समझौता था और यदि उस समझौते की व्याख्या में कोई मतभेद था, अथवा किसी भी पक्ष की ओर से उस समझौते को भङ्ग किया गया था, तो निश्चय ही इस दशा में, इस समझौते में वे ही नियम लागू हो सकते थे, जो सभी समझौतों में लागू होते हैं।"

यदि महात्मा जी की ये बातें कल सच्ची थीं—और हैं भी, इसमें हमें तनिक भी सन्देह नहीं है—तो महात्मा जी के उस 'अविश्वसनीय प्रार्थना' को हटा लेने तथा 'समझौते के लागू नियमों' को तोड़-मरोड़ करने की आज कौन सी नई आवश्यकता आ गई है? देश महात्मा जी से सहज ही यह प्रश्न पूछ सकता है कि यदि बारडोली के किसानों से सरकारी अधिकारियों के द्वारा बलपूर्वक वसूल की हुई लगान लौटाने की प्रार्थना जनता के नागरिक अधिकार तथा देश के प्रति महात्मा गाँधी के उत्तरदायित्व की एक महत्वपूर्ण और गम्भीर समस्या थी, तो आज उस समस्या में कौन सा अन्तर आ गया है? क्या बारडोली का प्रश्न स्थगित करके महात्मा गाँधी देश के नागरिक अधिकारों की उपेक्षा नहीं करेंगे ; क्या बारडोली के अभागे किसानों पर किए गए अत्याचारों के द्वारा वसूल की गई लगान को लौटाने के प्रश्न को स्थगित कर महात्मा जी किसानों के प्रति अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना नहीं करेंगे—उस पवित्र उत्तरदायित्व की, जिसकी रक्षा का भार लेकर महात्मा गाँधी ने गत ४थीं मार्च को लॉर्ड इर्विन के साथ दिल्ली में समझौता किया था? यदि कल महात्मा जी तथा कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी के द्वारा, सरकार के द्वारा किए गए अत्याचारों की जाँच करने के लिए एक निष्पक्ष पञ्चायत की नियुक्ति, एक 'सरल और उचित' माँग थी, तो आज उस माँग की सरलता और औचित्य में कौन सा अन्तर आ गया है? कहा जाता है, ग़लत-फ़हमियाँ एवं मिथ्या-मतभेद को दूर करने के लिए ही महात्मा जी ने वॉयसरॉय से मिलने के लिए तार दिया है! भगवान करे ग़लत-फ़हमियाँ दूर हों, मिथ्या-मतभेद का नाश हो और सरकार का दृष्टिकोण, औचित्य एवं दूरदर्शिता से पूर्ण हो ; परन्तु फिर भी हम इस स्थान पर एक बात कहे बिना न रहेंगे। और वह यह कि सोते हुए को जगाना सहज है; परन्तु जो जागते हुए भी सो रहा है, उसे जगाना सम्भव नहीं। हमारा तात्पर्य यह है कि यदि ये मिथ्या-मतभेद सरकार के अज्ञान के कारण हुए होते तो महात्मा जी का वायसरॉय से मिलना उचित, उपयोगी तथा अनिवार्य था। परन्तु हम तो इस मिथ्या-मतभेद में सरकार के व्यक्तित्व और उसकी मर्यादा का मिथ्या रूप पाते हैं और इस स्थिति में महात्मा जी का अपनी माँग को कम कर लॉर्ड विलिङ्गडन से मिलने की चेष्टा में देश के दुर्भाग्य का सङ्केत पाते हैं!! हम इस स्थान पर किसी प्रकार भी देश को उसकी यथार्थ स्थिति से अपरिचित रखना नहीं चाहते। वह स्थिति स्पष्टतः यह है, कि यदि महात्मा गाँधी और लॉर्ड विलिङ्गडन की इस मुलाक़ात का परिणाम यह हुआ कि अपनी बदली हुई शर्तों पर ही महात्मा गाँधी गोलमेज़ में सम्मिलित होने के लिए विवश हुए, तो उस गोलमेज़ का परिणाम देश की आकांक्षाओं को कभी भी पूर्ण नहीं कर सकता!!! हमारी इसी धारणा को पुष्ट करते हुए उस दिन स्वयं महात्मा जी ने गत सप्ताह के सहयोगी 'नवजीवन' में इस आशय का वक्तव्य प्रकाशित किया था—

"सभी का विश्वास था कि मैं १५वीं अगस्त को लन्दन के लिए यात्रा करूँगा। × × × परन्तु भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। मैं वॉयसरॉय के उत्तर में भगवान का हाथ पाता हूँ। जो कुछ भी हो, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स के लिए मैंने मनसा, वाचा, कर्मणा; प्रत्येक मानुषिक प्रयत्न किया है। इस पर भी यदि मैं लन्दन जाने से असमर्थ हूँ तो मैं पूर्ण स्वतन्त्रता से इस बात में विश्वास करने लगा हूँ कि भारत का हित इसी में है।"

कहना नहीं होगा, कि हाल में महात्मा जी के द्वारा लन्दन जाने की उत्सुकता घोषित करने तथा उनकी बदली हुई नीति में 'भगवान की सर्वोपरि इच्छा' का कोई भी हाथ नहीं है। साथ ही हम यह भी निस्सङ्कोच कहे बिना नहीं रह सकते कि यदि कल महात्मा गाँधी के 'लन्दन जाने की असमर्थता में ही भारत का हित' था, तो आज वॉयसरॉय से मिलने तथा अपनी उचित माँग को तोड़-मरोड़ करने में केवल भारत का अहित ही है! महात्मा गाँधी की पहली माँग केवल नागरिक अधिकारों की समुचित रक्षा की समस्या के ही रूप में न थी, वरन् उस माँग में देश की कुचली हुई आत्माओं और सन्तप्त-हृदयों की मर्यादा का अत्यन्त कोमल एवं महत्वपूर्ण प्रश्न छिपा था। उस प्रश्न की उपेक्षा कर लन्दन के राउण्ड टेबिल में किसी भाँति भी सम्मिलित होना महात्मा जी तथा कॉङ्ग्रेस के लिए सब से बड़ी राजनीतिक भूल होगी—वह भूल, जिसके लिए देश की सहस्रों-लाखों निर्दोष एवं पवित्र आत्माओं को अपनी असह्य यातनाओं के द्वारा प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। हम इस भूल की कल्पना कर काँप उठते हैं और इस बात को स्पष्टतः देख रहे हैं कि यदि उक्त प्रश्न की अवहेलना कर कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी ने अपना वर्तमान निर्णय बदला तो निकट-भविष्य में ही अर्थात् गोलमेज़ की बैठक समाप्त होते ही, उसे पुनः उसी स्थान पर जाना होगा, जहाँ वह गाँधी-इर्विन समझौते के पहले गत ४थी मार्च तक थी! इसलिए हम कॉङ्ग्रेस का ध्यान देश की इस उलझी हुई राजनीतिक समस्या पर आकर्षित कर, उसे इस बात से सावधान करना चाहते हैं, कि जब तक लॉर्ड विलिङ्गडन तथा उनकी सरकार अपनी वर्तमान मनोवृत्ति नहीं बदलती, तब तक उसे भी अपना निर्णय नहीं बदलना चाहिए ; अन्यथा लन्दन में उसे न 'माया' ही मिल सकेगी और न 'हरि' के ही दर्शन हो सकेंगे और तब उसकी आँखों से प्रलोभनों का आवरण दूर होगा, वह अपनी असहायावस्था में अपनी भूल समझेगी। भारत एवं प्रान्तीय सरकारों की वर्तमान मनोवृत्ति के रहते हुए देश को गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स की तनिक भी आवश्यकता नहीं रह गई है। हमारे इस कथन का पर्याप्त प्रमाण इ[illegible] से मिलता है कि जब महात्मा जी ने तथा कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी ने गोलमेज़ में न भाग लेने का निर्णय किया, उसके एक-दो दिन बाद ही सारे देश ने महात्मा जी के उक्त निर्णय का बड़े उत्साह, साहस और प्रसन्नता के साथ स्वागत किया था। सारी प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटियों ने भी वर्किङ्ग कमिटी के इस उचित एवं आवश्यक निर्णय का हृदय की सारी शक्ति और प्रसन्नता के साथ स्वागत किया है। देश की इस मनोवृत्ति का अर्थ यह है कि आए-दिन की दुर्घटनाओं को देखते हुए देश गोलमेज़ के प्रलोभन में अपनी शक्ति व्यर्थ नष्ट करना नहीं चाहता!

हम देश की इस मनोवृत्ति का सादर स्वागत करते हैं! साथ ही हमारा इस बात में दृढ़ विश्वास है कि भारत एवं प्रान्तीय सरकारों की वर्तमान मनोवृत्ति के रहते हुए हमारा उचित पथ गोलमेज़ से होकर गुज़रना नहीं है। इस समय—देश की उलझी हुई राजनीति की वर्तमान परिस्थितियों में हमारी मञ्ज़िलें लन्दन के सुन्दर एवं स्वर्गीय महलों से होकर नहीं, वरन् भारत के नरक-तुल्य जेलों और सरकार के भयानक से भयानक दमन की ओर हैं। हमारी मञ्ज़िलें आज पूर्ण अहिंसात्मक व्रत और सत्याग्रह युद्ध के आवाहन से गुज़रती हुई, निर्विकार एवं निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप से सरकार की वफ़ादार पुलीस और बहादुर सेना (!) की लाठियों और गोलियों के स्वागत करने में ही हैं! आज इस अभागे देश में वह स्थिति उत्पन्न हो गई है, जब कि पुलीस की लाठियाँ, सेना की गोलियाँ और जेल के वार्डरों की गालियाँ और अपमान-जनक शब्द हमें उतना अधिक दे सकते हैं, जितना हम लन्दन के राउण्ड टेबिल कॉन्फ़्रेन्स से पाने की आशा नहीं कर सकते। तात्पर्य यह कि अहिंसा और सत्याग्रह हमें पुकार-पुकार कर त्याग एवं आहुतियों की आग जगाने का आवाहन कर रहा है। हमारी स्वतन्त्रता की समस्या आज देश के त्याग एवं आहुतियों में ही छिपी है!!

❀ ❀ ❀

शक्ति का दुरुपयोग

लॉर्ड विलिङ्गडन के बर्मा-ऑर्डिनेन्स का विरोध करते हुए हमने गत १३वीं अगस्त के 'भविष्य' में कहा था, 'नाम में तो वह मार्शल-लॉ नहीं है ; परन्तु प्रयोग में वह उससे कम भयानक और कम आतङ्कजनक प्रमाणित होने वाला भी नहीं है।' हमें उस समय इस बात की आशङ्का थी कि लॉर्ड विलिङ्गडन ने बर्मा-सरकार और बर्मा-सरकार के अधिकारियों को यह जो विशेष अधिकार सौंपा है, उसका दुरुपयोग हुए बिना नहीं रहेगा। बर्मी पत्रों के देखने से हमारी यह धारणा और भी दृढ़ हो गई है ; कारण हमें बर्मा-सरकार की उन अनुचित चेष्टाओं के दृष्टान्त मिल रहे हैं; जो किसी प्रकार ऑर्डिनेन्स के उचित उपयोग की श्रेणी में नहीं रक्खे जा सकते ; और जिन्हें यदि उक्त ऑर्डिनेन्स का ज्वलन्त दुरुपयोग कहा जाय तो अनुचित न होगा। जब से वायसरॉय लॉर्ड विलिङ्गडन महोदय ने उक्त ऑर्डिनेन्स पर अपनी स्वीकृति दी, तब से विगत १७वीं अगस्त तक रङ्गून-पुलीस ने चार स्थानों पर धावा किया। परन्तु पुलीस के इन धावों में एक भी धावा ऐसा नहीं है, जिन्हें हम यह कहें कि उक्त धावा सर चार्ल्स इन्स की सरकार ने हत्या, डकैती, आक्रमण तथा घर जलाने के सम्बन्ध में किया हो। रङ्गून-पुलीस ने बर्मा-व्यवस्थापिका सभा के सदस्य श्री० यू० सा० के मकान पर धावा किया। सहयोगी 'न्यू बर्मा' का कहना है कि पुलीस के इस धावा का उद्देश्य यह था कि पुलीस भारत-मन्त्री के पास श्री० यू० सा० के द्वारा लिखे गए एक छोटे पैम्फ़्लेट को ज़ब्त करे। श्री० यू० सा० ने उस पैम्फ़्लेट को अङ्गरेज़ी में प्रकाशित कराया था। इस दशा में सरकार के द्वारा यह नहीं कहा जा सकता कि इसे गाँवों में विद्रोहियों को बाँटा जाता। यहाँ पर यह कहना भी आवश्यक ज्ञात पड़ता है कि उक्त पैम्फ़्लेट में विद्रोह-सीमा के स्थानों में पुलीस की ज़्यादतियों की चर्चा थी तथा साथ ही साथ जनता के दृष्टिकोण से वर्तमान बर्मा-विद्रोह के कारण तथा उसकी उत्पत्ति का इतिहास दिया गया था। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ऑर्डिनेन्स की भूमिका में लॉर्ड विलिङ्गडन ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार अधिकारियों को जो अधिकार दिए जायँगे, वे वैध राजनीतिक कार्यों में बाधक नहीं होंगे। हमें श्री० यू० सा० के इस कार्य में कोई अवैध राजनीतिक-कार्य की गन्ध नहीं मालूम होती। व्यवस्थापिका सभा के एक ग़ैर-सरकारी सदस्य का यह प्रारम्भिक अधिकार है कि वह भारत-मन्त्री को जनता के विचार जानने में सहायक हो तथा वह भारत-मन्त्री को किसी भी राजनीतिक मामले में जनता के दृष्टिकोण का विवरण भेजे। इस स्थिति में हम श्री० सर चार्ल्स इन्स की सरकार के इस दायित्वहीन कार्य का विरोध करना अपना कर्तव्य समझते हैं। साथ ही हम भारत-मन्त्री से यह बात पूछना अपना कर्तव्य समझते हैं कि वे सर चार्ल्स की सरकार की इन ग़ैर-ज़िम्मेदारियों को कब तक सहते रहेंगे ? तथा अधिकारीगण कब तक उन्हें देश की सच्ची स्थिति जानने अथवा ग़ैर-सरकारी ज़िम्मेदार व्यक्तियों के दृष्टिकोण से परिचित होने में बाधा डालेंगे ?

प्रयाग केन्द्रीय किसान-सङ्घ

प्रयाग केन्द्रीय किसान-सङ्घ के मन्त्री पं० मोहनलाल जी गौतम ने हमारे पास उक्त सङ्घ का उद्देश्य एवं कार्यक्रम प्रकाशनार्थ भेजा है। सङ्घ का उद्देश्य उन सब लोगों को, जिनकी मुख्य आमदनी खेती से है, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति के विचारों से सङ्गठित करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनके ऊपर की सामाजिक बाधाओं को दूर करना और उनके जीवन को सुखमय बनाना है। साथ ही सङ्घ का कार्य-क्रम इस प्रकार है :—

१—मौजूदा लगान और मालगुज़ारी में इस क़दर कमी कराना, जिससे किसानों के पास गुज़ारे के लिए काफ़ी बचत रहे।

२—हर एक खेती करने वाले को उसके खेत पर मौरूसी अधिकार प्राप्त कराना।

३—इसकी कोशिश करना कि प्रत्येक खेती करने वाले को उस ज़मीन को, जिस पर वह खेती करता है, किश्तों में रुपया देकर ख़रीदने का अधिकार प्राप्त हो।

४—आबपाशी के टैक्स में कमी कराना।

५—सूद की दर में कमी कराना।

६—खेती करने वालों के लिए कम से कम इतनी आय का प्रबन्ध कराना, जिससे उनका गुज़र हो सके।

७—इसका यत्न करना कि प्रत्येक किसान को कम से कम इतनी ज़मीन मिले, जिसकी पैदावार से उसका गुज़र हो जाय।

८—नज़राना, बेगार आदि की प्रथा को बन्द कराना।

९—मकान, कुआँ आदि बनवाने तथा पेड़ लगाने इत्यादि का अधिकार प्राप्त कराना।

१०—यह प्रयत्न कराना कि हर एक गाँव में चरागाह के लिए ज़मीन छोड़ी जाय।

११—देहात में मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रबन्ध का प्रयत्न करना।

१२—गाँवों की माली हालत सुधारने के लिए सहायक धन्धों का प्रबन्ध करना।

१३—पञ्चायतें बनाना, जो आपस के झगड़े तय करें और किसानों की सङ्गठन-शक्ति बढ़ावें।

१४—समय-समय पर दूसरे ज़रूरी काम करना, जिसमें किसानों का हित हो।

उक्त सङ्घ की सदस्यता का नियम यह है कि प्रत्येक किसान अथवा वह व्यक्ति, जो ऊपर लिखे हुए उद्देश्य और कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कोई असली काम करे, जिसकी अवस्था कम से कम १८ वर्ष की हो और जो एक आना वार्षिक चन्दा दे, वह इस सङ्घ का सदस्य बन सकता है।

हम प्रयाग केन्द्रीय किसान-सङ्घ के सञ्चालकों और उसके मन्त्री पं० मोहनलाल जी गौतम को इस उपयोगी एवं आवश्यक संस्था के स्थापित करने के लिए बधाई देते हैं। आज देश की सब से बड़ी राजनीतिक आवश्यकता इस बात की है कि भारत के प्रत्येक गाँव में किसान-सङ्घ स्थापित किया जाय। भारत की आबादी में ८० प्रति शत से अधिक संख्या किसानों की है—उन अभागे किसानों की, जिनमें अधिकांश को दोनों जून खाने के लिए एक मुट्ठी अन्न और अपनी लज्जा ढकने के लिए दो गज़ कपड़ों का अभाव है। भारतीय किसानों की आज जो भयानक दुर्दशा है, उससे कहीं अच्छी अवस्था फ़्रान्स की राज्य-क्रान्ति के पूर्व फ़्रान्सीसी किसानों की थी। इस अवस्था में भारतीय किसानों के सङ्गठन तथा उनके भिन्न-भिन्न कष्टों के दूर करने का शुभ-प्रयत्न केवल मनुष्यता की ईश्वरदत्त भावनाओं की उपासना ही नहीं, वरन् देश की सब से बड़ी और महत्वपूर्ण राजनीतिक आवश्यकता की पूर्ति का शुभ-प्रयत्न है। सच बात तो यह है कि स्वयं महात्मा गाँधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन की सफलता के कारण और भारतीय स्वतन्त्रता के प्रमुख विधायक हमारे देश के अभागे किसान ही हैं। इन किसानों को पूर्णरूपेण शिक्षित और सङ्गठित करने तथा उनके वर्तमान भयानक कष्टों को दूर करने के शुभ-प्रयत्न से ही हम अपने देश का उद्धार कर सकेंगे।

हम जहाँ उक्त किसान-सङ्घ के सञ्चालकों को उनके इस शुभ-प्रयत्न के लिए बधाई देते हैं, वहाँ उनसे हमारा कहना यह भी है कि वे इस केन्द्रीय किसान-सङ्घ की शाखाएँ संयुक्त-प्रान्त के प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक गाँव में स्थापित करें। इस प्रकार किसानों के जिस ठोस सङ्गठन का कार्य आरम्भ होगा, वह हमारे पराधीन देश की स्वतन्त्रता का प्रथम और अन्तिम कारण होगा। साथ ही हम जनता से इस बात की अपील करना चाहते हैं कि वह हर प्रकार से उक्त सङ्घ की सहायता करे।

दूषित-प्रचार

पिछले कुछ दिनों से कलकत्ते के अर्ध-सरकारी पत्र "स्टेट्समैन" ने हिन्दुओं के विरुद्ध विष उगलना तथा मुसलमानों को उभाड़ना ही अपना कर्तव्य मान लिया है। 'स्टेट्समैन' का यह दूषित-प्रचार सार्वजनिक शान्ति और क़ानून की रक्षा के पथ में कितना भयानक है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। सहयोगी अर्द्ध-विक्षिप्त की भाँति हिन्दुओं के विरुद्ध मुसलमानों के हृदय में घृणा उत्पन्न कर उन्हें हिन्दुओं से पृथक करना चाहता है। साथ ही उसका उद्देश्य यह है कि मुसलमान भारत के शासकवर्ग और व्यापारी श्रेणी के अङ्गरेज़ों से मिल कर हिन्दुओं के विरुद्ध सङ्गठन करें। इसी भेदनीति के प्रचार और सङ्गठन की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए हमारे अर्द्ध-सरकारी सहयोगी ने अपने ११ अगस्त के अग्रलेख में लिखा था—

"Moslems and British are being forced to organise themselves in self-defence, and that they will defend themselves cannot be doubted."

अर्थात्—"मुसलमान और अङ्गरेज़ आत्म-रक्षा के लिए अपने को सङ्गठित करने के लिए विवश किए जा रहे हैं और इसमें सन्देह नहीं कि वे अपनी रक्षा कर लेंगे।"

'स्टेट्समैन' का तात्पर्य यह है कि हिन्दू, मुसलमानों और अङ्गरेज़ों को सङ्गठित करने के लिए विवश कर रहे हैं। आगे चल कर दो दिन बाद अर्थात् १३ अगस्त के अग्र-लेख में 'स्टेट्समैन' लिखता है—

"India is not going to be governed by counting noses, but by strength and wisdom of strong men and wise men."

अर्थात्—"भारत नाकों की संख्या से नहीं, वरन् मज़बूत और बुद्धिमान पुरुषों की मज़बूती और बुद्धि के द्वारा शासित होगा।" कहना नहीं होगा कि 'नाकों की संख्या' का अभिप्राय हिन्दुओं के बहुमत से है। इस प्रकार मुसलमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध करने की चेष्टा कर सहयोगी उन्हें हिन्दुओं के विरुद्ध उत्तेजित करने के लिए अपने उसी अग्र-लेख में आगे चल कर लिखता है—

"A community with a clear majority in the Punjab, Bengal, Sind, Baluchistan, the North West Frontier Province and Kashmir, cannot be subjected to oppression."

अर्थात्—"एक ऐसे सम्प्रदाय पर, जिसका बहुमत पञ्जाब, बङ्गाल, सिन्ध, बालूचिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमा तथा काश्मीर में स्पष्ट रूप से है, किसी भी भाँति अत्याचार नहीं किया जा सकता।"

इस प्रकार हिन्दुओं के वास्तविक अत्याचारों का चित्र खींच कर 'स्टेट्समैन' जिस भेद-नीति एवं साम्प्रदायिक विष का दूषित प्रचार कर रहा है, वह सम्पादन

कला की दृष्टि से ही घृणित कहा जाय, सो बात नहीं। 'स्टेट्समैन' का यह प्रयत्न मनुष्य की श्रेष्ठतम भावनाओं का घोर विरोधी है। कहना नहीं होगा कि सर मुहम्मद इक़बाल के मुस्लिम साम्राज्य की बात अब कवि की कल्पना के रूप में ही नहीं, वरन् व्यावहारिक रूप में सत्य करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है और 'स्टेट्समैन' की गन्दी भावनाएँ उस प्रयत्न में रूचेष्ट हैं। उत्तरी भारत को मुस्लिम साम्राज्य क़ायम करने के स्वप्न देखने वाले हमारे भोले शौकतपन्थी मुसलमान चाहे 'स्टेट्समैन' अथवा उसकी नीति के अन्य एङ्ग्लो-इण्डियन अर्द्ध-सरकारी पत्रों की सामयिक नीति पर भले ही ख़ुशियाँ मनाएँ, पर उन्हें एक बात अपने हृदय में कभी भी विस्मरण नहीं करना चाहिए कि 'स्टेट्समैन' तथा उसके सरीखे पत्रों अथवा हमारे अङ्गरेज़ शासकों की कृपा उन पर उसी समय तक है जब तक उनके कार्यों से भारत की स्वतन्त्रता के आन्दोलन में बाधा पहुँचती है। उन्हें यह बात कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि जब तक भारत में ब्रिटेन का अस्तित्व क़ायम है, ब्रिटेन अपने भारतीय हित के लिए मुसलमानों को प्रलोभनों का टुकड़ा देते हुए नहीं थकेंगे; परन्तु जिस दिन स्वयं मुसलमानों का हित अङ्गरेज़ों के भारतीय हित से टकराएगा, उसी दिन मुसलमानों की यह आवभगत न तो हमारे भाग्य-विधाताओं की ही ओर से होगी और न उनकी पीठ पर 'स्टेट्समैन' तथा इसके सरीखे कोई एङ्गलो-इण्डियन पत्र ही रहेंगे। साम्प्रदायिक मुसलमानों पर हमारे शासकों का यह उभरता हुआ स्नेह आज इसलिए है कि वे उनके हाथ के कठपुतले हैं तथा उनके द्वारा भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का विरोध किया जा रहा है। अस्तु—

'स्टेट्समैन' का यह दूषित प्रयत्न सार्वजनिक शान्ति और क़ानून का विरोधी है, इस बात से कोई भी विचारशील व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता। इस पर भी सरकार उसके ऐसे उभाड़ने वाले घृणित लेखों पर दफ़ा १५३ का प्रयोग नहीं करती, यह बात भी कम कौतूहलपूर्ण नहीं। हमारा तो विश्वास है कि भारत की अशान्ति का सब से बड़ा कारण भारत में 'स्टेट्समैन' तथा उसकी नीति के पत्रों का घृणित प्रचार ही है—वह प्रचार, जिसके अन्तराल में हम वर्तमान शासन-प्रणाली का सच्चा स्वरूप देख सकते हैं।

❀ ❀ ❀

ब्रिटेन में शासकों का नया सङ्गठन

ब्रिटेन का शासन-यन्त्र अपने लचीलेपन के लिए संसार के शासन-यन्त्रों में प्रसिद्ध है। ब्रिटेन के राजनीति के विद्वानों ने उसके इस गुण की प्रशंसा में बड़े-बड़े ग्रन्थ लिख डाले हैं। इस सप्ताह में वहाँ जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, उनसे ब्रिटेन के शासन-यन्त्र के अद्भुत लचीलेपन का अच्छा उदाहरण मिला है। कुछ दिन पहले कोई नहीं जानता था कि ब्रिटेन के शासनारूढ़ मज़दूर-दल की गति में कोई परिवर्तन होने की आशङ्का है। यह ख़बर कम से कम भारतीय पत्रों में कुछ आश्चर्य के साथ प्रकाशित हुई कि ब्रिटेन के प्रधान-मन्त्री मि० मैकडॉनल्ड ने इस्तीफ़ा दे दिया। और एक नए मन्त्रि-मण्डल के सङ्गठन का विचार हो रहा है। साधारणतया शासन के कार्यों से एक दल के हट जाने पर दूसरा कोई दल उन कार्यों को ग्रहण कर लेता है। इस बार यह नहीं हुआ। इस बार ब्रिटेन के सभी दलों को मिला कर एक "राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल" बनाने का विचार किया गया है। ब्रिटेन सरीखे देश के शासन-यन्त्र में इतना बड़ा परिवर्तन प्रकट होने के पहले बिल्कुल छिपा हुआ रहा।

यह एक रहस्यमय बात है। इसका सम्बन्ध ब्रिटेन के शासन-यन्त्र के लचीलेपन से ही नहीं मालूम होता, बल्कि साम्राज्य की किसी महत्वपूर्ण समस्या से मालूम होता है।

कहा जाता है कि इस आश्चर्यजनक परिवर्तन के मूल में ब्रिटेन की आर्थिक परिस्थिति है। मज़दूर-सरकार ने शासन-व्यय में कमी करने का प्रस्ताव किया था। उस प्रस्ताव में बेकारों के लिए व्यय किए जाने वाले धन में भी कमी करने का ज़िक्र किया गया था। लोग इसके विरोधी थे। मज़दूर मन्त्रि मण्डल में भी अनेक सदस्य इस प्रस्ताव के विरुद्ध थे। मज़दूर-सरकार प्रारम्भ से ही कमज़ोर आधार पर क़ायम रही है। उसका बल केवल अपने दल का बहुमत कभी नहीं रहा। उसे उदार दल की सहायता पर भी निर्भर रहना पड़ा है। इसके अतिरिक्त भारत तथा अन्य राष्ट्रीय मामलों में अक्सर ब्रिटेन में मज़दूर-दल की कड़ी समालोचना होती रही है। ऐसी परिस्थिति में मज़दूर-सरकार द्वारा शासन-व्यय में कमी करने के प्रस्ताव से विरोधियों के लिए मज़दूर-सरकार का प्रबल विरोध करने का अच्छा अवसर मिल गया। मन्त्रि-मण्डल को एकमत करने का प्रयत्न किया गया, परन्तु वहाँ भी मज़दूर-सरकार के प्रस्ताव के अनेक विरोधी थे। ऐसी परिस्थिति में मि० मैकडॉनल्ड पार्लामेण्ट की पद्धति के अनुसार इस्तीफ़ा देने के लिए विवश हुए। परन्तु मज़दूर-दल ने इस्तीफ़ा देते हुए भी देश की आर्थिक समस्या पर विचार करने और किसी न किसी प्रकार बजट की कमी को पूरा करने का उपाय निकालने के लिए अन्य प्रमुख दलों के नेताओं को निमन्त्रित किया। ब्रिटेन की आर्थिक समस्या अत्यन्त गम्भीर है। मि० स्नोडन ने बजट बनाते समय जिन बातों का अनुमान किया था वे ठीक नहीं निकलीं, इस कारण से आर्थिक समस्या और भी गम्भीर हो गई है। कहा जाता है कि इसी समस्या को सुलझाने के लिए ब्रिटेन के सब दलों ने मिल कर निश्चय किया है कि ब्रिटेन का मन्त्रि-मण्डल साधारण पद्धति के अनुसार किसी दल-विशेष का न हो, बल्कि सभी प्रमुख दलों के नेताओं का एक "राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल" हो।

ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था ऐसी है जिसमें ऐसे "राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल" अक्सर नहीं बना करते। ब्रिटेन में शासन का अधिकार दलों की प्रतियोगिता के आधार पर किसी दल विशेष के अधिकार में रहता है। लोकमत जिस दल के पक्ष में अधिक होता है, उसीको शासन का अधिकार रहता है। किसी विशेष राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय या साम्राज्य-सम्बन्धी समस्या के उत्पन्न होने पर ही ब्रिटेन में सब दलों का "राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल" बनता है। यूरोपीय युद्ध के अवसर पर भी ऐसे मन्त्रि-मण्डल द्वारा शासन-कार्य होता था।

इस समय युद्ध तो नहीं है। ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है या नहीं, जिसके लिए राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल बनाने की आवश्यकता पड़ती है, प्रकट नहीं है। प्रकट तो यही है कि ब्रिटेन की आर्थिक समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय प्रयत्न की आवश्यकता के कारण "राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल" बनाया गया है। इस समय आर्थिक समस्या बजट के ठीक करने की है। हमारा ख़्याल है कि यह विषय महत्वपूर्ण होते हुए भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि केवल इसी के लिए एक "राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल" बनाने की आवश्यकता हो। सम्भव है कि साम्राज्य की आवश्यकताओं के कारण भी ब्रिटेन के एकमत होने और राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल क़ायम करने की ज़रूरत अनुभव हुई है। भारत के लिए ब्रिटेन के इन परिवर्तनों का कोई विशेष महत्व नहीं है। भारतवासी तो यह भली-भाँति जानते हैं कि भारत के सम्बन्ध में ब्रिटेन के सभी दल वास्तव में एकमत रहते हैं। उनकी दृष्टि में मज़दूर, उदार और अनुदार दलों का शासनारूढ़ होना और उससे अलग हो जाना आवश्यकता के अनुसार नाटक के पात्रों के परिवर्तन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। सभी पात्र नाटक के एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करते हैं।

ब्रिटेन किस कार्य द्वारा किस कार्य की सिद्धि किया करता है, यह हमेशा ही रहस्यमय पहेली रहा करती है। महात्मा गाँधी ने ब्रिटेन के इस राजनीतिक परिवर्तन के सम्बन्ध में ऐसोसिएटेड प्रेस के प्रतिनिधि के पूछने पर उस विषय में कोई मत प्रकट करने से इन्कार करते हुए जो कुछ कहा है, वह अत्यन्त विचारणीय और मनोरञ्जक है। आपने कहा कि "मेरी समझ के लिए यह बड़ी जटिल राजनीति है।"

❀ ❀ ❀

महात्मा गाँधी का फ़र्दे-जुर्म

(८वें पृष्ठ का शेषांश)

रखने और रुपया वसूल करने का झूठा दावा किया था। पुलीस किसी लम्बरदार के मौजूद न होने पर भी मक़्बर ख़ाँ के मकान में बलपूर्वक घुस गई और उसे उथल-पुथल कर वहाँ से २००) रु० लेकर चली गई। उसी दिन शाम को फ़ैज़ुलरहमान नाम का ख़ुदाई ख़िदमतगार गिरफ़्तार करके सराय में ले जाया गया। सराय के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई जो पूर्ण शान्त थी। लोगों ने तकबीर का नारा लगाया, जिस पर पुलीस ने उन पर आक्रमण किया और बन्दूक़ के कुन्दों तथा सङ्गीनों आदि से मारा। २२ जून को मक़्बर ख़ाँ ने पुलीस के हाथों स्वयम् आत्म-समर्पण कर दिया। उसी दिन सय्यद अशफ़ाक़ ख़ाँ और अरबाब अब्दुल ग़फ़ूर ख़ाँ ने डी० एस० पी० और थानेदार के सामने गुलसरन का बयान लिया। जिसमें उसने पुलीस द्वारा लगाए गए इलज़ामों से मक़्बर ख़ाँ को निर्दोष बतलाया। २४ जून को ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा १४३ और २२५ के अनुसार सय्यद अशफ़ाक़ ख़ाँ और अब्दुल ग़फ़ूर ख़ाँ को इस इलज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया कि उन्होंने "किसी दूसरे व्यक्ति को क़सूर के लिए क़ानून के अनुसार पकड़े जाने में बाधा पहुँचाई है।" यह कार्रवाई उस हालत में की गई जबकि मक़्बर ख़ाँ की गिरफ़्तारी में बाधा पहुँचाने की कोई बात नहीं की गई थी।

(६) कोहाट की कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट जब अपने वालण्टियरों के साथ हाँगू की तरफ़ दौरा कर रहे थे तो शिनवारी के पास 'लेवी' पुलीस ने उनको रोक कर गोली चलाई, पर निशाना ख़ाली गया। जब वे लौट रहे थे तो उन पर तालियाँ पीटी गईं, पत्थर फेंके गए और बाद में लाठियों से आक्रमण भी किया गया।

ख़ान् अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ के पश्तो भाषा के मासिक-पत्र 'पख़्तो' की, जिसका उद्देश्य केवल सामाजिक सुधार करना है, मई मास की प्रतियाँ डाकख़ाने में रोक ली गईं और इसके लिए ख़ाँ साहब को कोई कारण भी नहीं बतलाया गया।

ख़लील और मोहमन्द के इलाक़ों और पेशावर की तहसील में सब तरह की सभाएँ और जुलूस दफ़ा १४४ के द्वारा रोक दिए गए हैं।

❀ ❀ ❀

सत्याग्रह

[श्री० हरिश्चन्द्र जी वर्मा, विशारद]

सी शनिवार की बात है। तीसरे पहर के कोई दो बज चुके थे। मैं अपने दफ़्तर में बैठा अपने काम में तल्लीन था। आजकल कार्य की अधिकता के कारण एक तो वैसे ही अवकाश कम मिलता था, ऊपर से साहब ने एक फ़ाइल और भेज दी थी। उस समय मैं उसीके पूरा करने में व्यस्त था। सहसा द्वार की चिक हटा कर एक युवक ने कमरे में प्रवेश किया। वह सिर से पैर तक खादी से ही लदा था—सिर पर टोपी, शरीर पर कुर्ता और धोती तथा गले में लम्बा दोगज़ी अँगोछा। पैरों में जूते की जगह केवल एक चट्टी थी। मेज़ के समीप आकर उसने कहा—वन्दे!

वन्दे का उत्तर देते-देते मैंने उसकी ओर देखा। आकृति कुछ परिचित सी दीख पड़ी। स्वर भी पहले का सुना हुआ सा प्रतीत हुआ।

"इतनी जल्दी भूल गए क्या रमेश?"

तुरन्त ही मैं कुर्सी से उछल पड़ा—ओहो! ज्योति! तुम हो? अब पहचाना।

दोनों क्षण भर में एक-दूसरे से लिपट गए। ज्योति मेरा बाल्य-सखा तथा सहपाठी था। हम दोनों ने इन्ट्रेन्स साथ ही साथ पास किया था। स्कूल छोड़ने के उपरान्त वह तो अपने घर चला गया और मैं यहाँ आकर, इस दफ़्तर में नौकर हो गया। तदुपरान्त पता नहीं, उसका क्या हुआ? यहाँ आकर न तो मैंने ही उसे कोई पत्र लिखा और न उसी ने। ज्योति को कुर्सी पर बैठा कर मैंने पूछा—कहो भाई, इतने दिनों तक कहाँ रहे? यह चोला क्यों बदल दिया?

"मेरी कहानी तो बड़ी लम्बी है"—उसने कुछ मुस्कराते हुए कहा—"परन्तु मैं बहुत संक्षेप में तुम्हें सुनाए देता हूँ।"

मैंने फ़ाइल बन्द कर दी और ध्यान से उसकी कहानी सुनने लगा। उसने कहा—इन्ट्रेन्स पास करने के उपरान्त तुम तो यहाँ चले आए और ठिकाने से लग गए, परन्तु मुझे बहुत दिनों तक बेकारी के पापड़ बेलने पड़े। पिता जी की आर्थिक स्थिति तो पहले ही से अच्छी न थी, अतएव आगे पढ़ने का तो प्रश्न ही व्यर्थ था। लाचार नौकरी की खोज में दफ़्तरों और ऑफ़िसों की धूल छाननी आरम्भ कर दी। परन्तु पूरे तीन वर्ष प्रयत्न करने के उपरान्त भी कहीं दस रुपए की जगह न मिली। इसी बीच में दुर्भाग्यवश नगर में बड़े ज़ोर से प्लेग का प्रकोप हुआ। प्रति-दिन सैकड़ों मनुष्य मरने लगे। एक दिन पिता जी के भी गिल्टी निकल आई और अनेक प्रयत्न करने पर भी तीसरे ही दिन वे हमें निराश्रय छोड़ कर परलोक......!

मैंने बात काट कर पूछा—तुम्हारे पिता जी का स्वर्गवास हो गया?

ज्योति के मुख पर विषाद की कालिमा दौड़ गई। उसने कहा—हाँ, उन्हें मरे आज पाँच वर्ष हो गए!

मैंने समवेदना की दृष्टि से उसकी ओर देखा। क्षण भर रुक कर उसने फिर कहना आरम्भ किया—"पिता की मृत्यु के चौथे ही दिन बड़े भाई भी हमें अकेला छोड़, पिता जी के ही साथ हो लिए।" मैंने विस्फारित नेत्रों से उसकी ओर देखा।

उसने फिर कहा—"भाई की मृत्यु के उपरान्त तो हमारी दशा और भी गिर गई। सारे कुटुम्ब का भार अब मेरे ही ऊपर था। आमदनी की कोई राह न थी, खाने को कहीं एक दिन का भी ठिकाना न था। दो-दो दिन हमें निराहार रहना पड़ता था। इसी कष्ट तथा पति-पुत्र के शोक के कारण माता जी भी अधिक दिन तक जीवित न रह सकीं। छठे मास ही हमें उनसे भी हाथ धोना पड़ा। इसके उपरान्त भाभी तो अपने बच्चों सहित अपने पिता के यहाँ चली गईं और मैं अपने दुर्भाग्य के सहारे अकेला ही रह गया।

"इसी बीच में देश में राजनीतिक आन्दोलन आरम्भ हो गया। यह सोच कर कि कदाचित मेरे दुखित हृदय को इसी में शान्ति मिले, मैंने तुरन्त कॉङ्ग्रेस कमिटी में नाम लिखा लिया। बस तब से मैं यही कार्य कर रहा हूँ। स्थान-स्थान पर घूम-घूम कर स्वदेशी का प्रचार करता हूँ और खद्दर बेच कर जो आय हो जाती है, उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। इस कार्य में मुझे बड़ी शान्ति मिली है। अब मुझे कोई भी कष्ट नहीं। मेरा विचार है कि इसी प्रकार देश-सेवा कर शान्ति-पूर्वक जीवन व्यतीत कर दूँगा। यही मेरी कहानी है।"

उसने सन्तोष की एक गहरी साँस ली।

२

मैं चुपचाप हाथ पर सिर रक्खे उसकी जीवनी पर विचार कर रहा था। ज्योति ने क्षण भर चुप रह कर मेरी ओर देखा और कहा—तुम्हारे यहाँ तो सब अच्छी तरह से हैं न?

"हाँ, सब अच्छी तरह से हैं। पिता जी आदि तो घर पर ही हैं। हम ही अकेले यहाँ हैं।"

"परन्तु तुम इतने दुखित और चिन्तित से क्यों हो?"

"मैं? मैं तो कहीं भी चिन्तित नहीं हूँ।"

ज्योति हँस पड़ा, बोला—यह तुम्हारी बचपन की टेव अभी तक नहीं बदली? अब भी तुम मुझसे छिप रहे हो?

मैंने कुछ भी उत्तर न दिया।

"क्या बात है भाई, बताओ न?"

"कुछ भी नहीं"—मैंने कहा—"तनिक सी बात है। मैंने इस आन्दोलन के आरम्भ होते ही यह प्रतिज्ञा की थी कि सदा स्वदेशी ही पहना करूँगा, परन्तु श्रीमती जी पर अब भी विदेशी का ही भूत सवार है। चार दिन से प्राण खा रही हैं कि साड़ी ला दो। मैंने कहा—'कहो तो स्वदेशी धोती ला दूँ।' इस पर बिगड़ उठीं, बोलीं—'स्वदेशी टाट सी कौन लादेगा, गधे का सा बोझ। मैं तो विलायती ही पहनूँगी।' बस यही झगड़ा है और इसी चिन्ता में हूँ कि क्या करूँ? मैं प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं चाहता।"

"बस इतनी सी बात!"—ज्योति ने हँस कर कहा—"इसकी औषधि तो मेरे पास बड़ी अच्छी है। ऐसी पेटेण्ट कि कठिन से कठिन रोग में भी न चूके। तुम भूख के तो कच्चे हो ही नहीं?"

मैंने सिर हिला कर 'हाँ' कहा।

"बस तो मेरी औषधि काम में लाओ, शर्तिया लाभ करेगी।"

"अच्छा बताओ भी तो, क्या औषधि है?"

"सत्याग्रह।"—उसने मुस्करा कर कहा।

मैंने पूछा—कैसा?

"बस आज सन्ध्या को ही जाकर श्रीमती जी से कह दो कि जब तक तुम स्वदेशी पहनने की प्रतिज्ञा न करोगी, मैं भोजन न करूँगा। बस तुम्हारा काम बन जावेगा।"

मुझे इस पर विश्वास न आया। मैंने कहा—मेरी तो समझ में आता नहीं कि इतनी सी बात से कैसे कार्य सिद्ध हो जावेगा।

"कैसे सिद्ध हो जावेगा? सुनो, मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें भली प्रकार विश्वास हो जावेगा कि यह औषधि कितनी पेटेण्ट है।"

उसने कहना आरम्भ किया।

३

वह केवल तेरह वर्षीय बालिका थी। उसके पिता एक बड़े वकील थे। सैकड़ों रुपए महीने की उनकी आय थी। एक बड़ा मकान, एक बँगला, नौकर-चाकर, मोटर-गाड़ी—सब कुछ था। परन्तु दिन भर कचहरी करने के उपरान्त सन्ध्या को घर आते ही वे गिलास-बोतल ले वाटिका में जा बैठते। दो-चार मित्र-सम्बन्धी आ जुटते और प्याले पर प्याला चलने लगता। रात्रि के दस बजे तक उनका यही काम था, इसके कारण न उन्हें घर की चिन्ता थी, न बाहर की। उनके दोनों पुत्र प्रातःकाल पुस्तकें लेकर घर से चले जाते। दिन भर इधर-उधर सैर करते; आनन्द मनाते और सन्ध्या को घर आ जाते। न उन्हें पढ़ने की चिन्ता, न परीक्षा से काम! नौकर-चाकर घर के राजा थे, जो मन में आता करते, जो न आता न करते। वकील साहब कभी उनसे एक बात भी न कहते। वह यद्यपि बालिका थी, परन्तु इन सब बातों को ख़ूब समझती थी। उसने पुस्तकों में पढ़ा था कि शराब सारे अनर्थों का मूल है। जिस घर में वह आई, समझ लो सत्यानाशी आ गई। अतएव वह इसे रोकना चाहती थी, परन्तु नक़ारख़ाने में तूती की आवाज़ सुनता ही कौन है? किसी ने उसकी परवाह ही न की। राजनीतिक आन्दोलन आरम्भ होने पर जब शराब की दूकानों पर पिकेटिङ्ग होने लगी, तो उसने सोचा, चलो अच्छा है। अब इससे पीछा छूट जायगा। परन्तु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब उसने देखा कि पिकेटिङ्ग होने पर भी वकील साहब के लिए शराब प्रति-दिन उसी प्रकार चली आ रही है।

बेचारी बालिका ने इसे रोकना चाहा। पिता से कहा, माता से प्रार्थना की। परन्तु कुछ फल न हुआ। अकस्मात् एक दिन उसे सत्याग्रह की सूझ पड़ी। उसी दिन सन्ध्या-समय पिता जी से कहा कि यदि आप शराब पीना न छोड़ेंगे, तो मैं भूखी प्राण त्याग दूँगी। वकील साहब हँसे। उन पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा; उन्होंने उसकी कोई चिन्ता न की। बालिका ने भोजन त्याग दिया। तीन दिन बीत गए; बालिका के मुख में अन्न का एक कण भी न गया। उसकी दशा बिगड़ने लगी, परन्तु उसने साहस न छोड़ा और अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रही।

अब वकील साहब घबराए। डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कहा—उसे शीघ्र ही भोजन मिलना चाहिए, अन्यथा कल तक प्राण निकल जावेंगे।

बालिका की माता का हृदय दहल गया। उसने रो-रोकर घर सिर पर उठा लिया। परन्तु न तो बालिका अपने प्रण से हटी, न वकील साहब माने। सन्ध्या हो गई। वकील साहब कचहरी से लौटे तो पुत्री की दशा बहुत ही ख़राब थी। उसे चेत न था, नेत्र चढ़ गए थे, प्राण शरीर को छोड़ने के लिए झटके ले रहे थे। वकील साहब के होश उड़ गए। उन्हें स्वप्न में भी आशा न थी कि यह तनिक सी बालिका इतनी साधना कर सकती है। उन्हें अब विश्वास हो गया कि पुत्री से हाथ धोना पड़ा। वे अधिक न ठहर सके। पुत्री को हृदय से लगा कर विह्वल स्वर में उन्होंने कहा—चित्रा! चित्रा!! मैं तेरी सौगन्ध खाकर कहता हूँ, आज से शराब न पिऊँगा।

चित्रा अचेत थी। पिता की बातें उसके कानों में गूँज गईं। उसने नेत्र खोल कर पिता की ओर देखा—सचमुच?

"हाँ सचमुच।"

विजय की हल्की लालिमा चित्रा के कपोलों पर दौड़ गई। उसी दिन से वकील साहब ने शराब छोड़ दी।

कहानी समाप्त कर उसने पूछा—कहो कैसी तरकीब है?

"तरकीब तो अच्छी है, परन्तु है ज़रा कठिन...।"

कुछ उत्तर न देकर उसने सामने रक्खी पुस्तक उठा ली और उसके पृष्ठ लौटने आरम्भ कर दिए। कुछ क्षणों उपरान्त उसने पूछा—तो फिर करोगे इसका प्रयोग?

"सोच रहा हूँ।"—मैंने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया।

"अधिक सोच-विचार मत करो। बस आज ही इस पर प्रयोग करना आरम्भ कर दो। यदि सफल न हो जाओ तो कहना।"

"अच्छी बात है; कर देखूँगा।"—अन्त में मैंने कह दिया।

फिर और विषय छिड़ गया।

४

सन्ध्या को घर पहुँचते ही कुमुदिनी ने पूछा—लाए?

मैंने कुछ उत्तर न देकर उसकी ओर देखा। वह समझ गई। उसका मुख उतर गया, बोली—होली सिर पर आ गई। आठ दिन रह गए और अभी तक साड़ी ही न लाकर दी।

मैने कहा—मैं विदेशी वस्त्र न ख़रीदूँगा। कितनी बार कह चुका हूँ। कहो तो स्वदेशी ला दूँ।

"स्वदेशी? स्वदेशी तो मैं कदापि न पहनूँगी।"—उसने ऐंठ कर कहा।

"तो मैं विवश हूँ; तुम्हारे लिए अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता।"

कुमुदिनी को कदाचित यह बात बुरी लगी। वह उठ कर चली गई। मैं भी समीप पड़े पत्र को उठा कर देखने लगा। भोजन का समय आने पर उसने कहा—चलिए, भोजन तैयार हो गया।

"मैं भोजन नहीं करूँगा।"

"क्यों?"—साश्चर्य उसने पूछा।

"मैंने प्रण किया है कि जब तक तुम स्वदेशी पहनने की प्रतिज्ञा न करोगी, मैं भोजन न करूँगा।"

"और यदि मैं यह प्रतिज्ञा न करूँ तो?"

"तो इसी प्रकार निराहार प्राण त्याग दूँगा।"—मैंने दृढ़तापूर्वक कहा।

प्राण-त्याग की बात सुन कर कुमुदिनी का हृदय काँप उठा। अति दीनतापूर्वक उसने कहा—राम-राम, ऐसा न कहो, चलो भोजन कर लो।

मैंने मन में सोचा, समय अकड़ने का है। इस समय तनिक सी भी नम्रता में कार्य बिगड़ जावेगा। अतः अकड़े हुए स्वर में मैंने कहा—जाओ, कह तो दिया कि भोजन नहीं करूँगा। क्यों व्यर्थ ही सिर खपा रही हो?

कुमुदिनी के मुख पर चिन्ता तथा विषाद के चिन्ह स्पष्ट हो गए। वह वहाँ से हट गई। उस रात उसने भी भोजन न किया। इसी प्रकार दूसरा दिन भी व्यतीत हो गया। कुमुदिनी दोनों समय मुझे भोजन के लिए बुलाने आई; अनुनय-विनय भी किया, परन्तु मैं किसी भी प्रकार से भोजन करने के लिए सहमत न हुआ। हार कर उसे भी भूखा ही रहना पड़ा। तीसरा दिन आया। आज मेरी दशा अच्छी न थी। भूख के कारण सारी रात नींद न आई थी। चारपाई पर करवटें बदल कर सारी रात काटी थी। आज निर्बलता भी कम न थी। पेट पीठ से जा लगा था। हाथ-पैर शिथिल पड़ गए थे। मैं अब अधिक चल-फिर भी न सकता था।

ठीक समय पर कुमुदिनी जलपान लेकर आई। आज उसकी भी दशा अच्छी न थी। मुख उतरा हुआ था। शरीर निर्जीव-सा हो रहा था। जलपान की तश्तरी की ओर देखते हुए मैंने कहा—ले जाओ इसे, कितनी बार कह चुका कि मैं कुछ न खाऊँगा।

"परन्तु आपके इस अन्न-त्याग से होगा क्या?"—दुखित नम्र-स्वर में उसने पूछा।

मैंने भी उसी तीव्र स्वर में उत्तर दिया—जो कुछ भी हो।

"अच्छा रहने दीजिए, साड़ी न लाइएगा। मैं अब उसके लिए नहीं कहती। अब भोजन तो कर लीजिए।"

कुमुदिनी ने यह शब्द बड़ी आशा से कहे थे। परन्तु उसकी यह आशा दुराशा-मात्र थी। मैं ऐसी कच्ची गोली न खेला था। मैंने उसी दृढ़ स्वर में उत्तर दिया—नहीं, जब तक तुम आजन्म स्वदेशी पहनने की प्रतिज्ञा न करोगी, मैं भोजन नहीं करूँगा, कदापि नहीं।

कुमुदिनी कुछ क्षण तक चुपचाप खड़ी कुछ सोचती रही। तदुपरान्त वह पृथ्वी पर बैठ गई। नेत्र उठा कर एक बार उसने मेरी ओर देखा। उसके भावों में अब बिलकुल परिवर्तन हो गया था। रूखी मुस्कान के साथ दृढ़-स्वर में कहा—यदि आप 'सत्याग्रह' पर तुले हैं, तो मैं भी सत्याग्रह ही करूँगी। मरना तो है ही, फिर इस प्रकार क्यों मरूँ? मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक आप मेरे लिए सदा विदेशी वस्त्र ही लाने की प्रतिज्ञा न करेंगे, मैं भोजन न करूँगी। इसी स्थान पर प्राण त्याग दूँगी।

मैं सन्नाटे में आ गया। आश्चर्यपूर्वक मैंने उसकी ओर देखा। उसके नेत्रों में दृढ़ता की ज्योति चमक रही थी। मुझे इसकी स्वप्न में भी आशा न थी। यह तो उलटी आँतें गले पड़ी जा रही हैं, अब क्या करूँ? मैं चिन्ता में पड़ गया। बड़ी देर विचार करने के उपरान्त भी निश्चय न कर सका कि क्या करूँ? अन्त में सोचा—चलने दो सम्भव है, कल तक यह कुछ राह पर आ जावे।

५

सवेरा हो गया। पति-पत्नी दोनों ही सत्याग्रह पर डटे रहे। न तो कुमुदिनी ही अपनी प्रतिज्ञा से पग भर डिगी और न मैं ही। यह रात्रि भी बिना भोजन के व्यतीत हो गई। एक ओर चारपाई पर पड़ा मैं करवटें बदलता रहा, दूसरी ओर वह पृथ्वी पर पड़ी घड़ियाँ गिनती रही। राम-राम कर दिन निकला। प्रतिदिन की भाँति आज भी सूर्यदेव ने नभ-मण्डल के शुभ्र नील वर्ण आँचल को अपनी स्वर्णमयी किरणों से भर दिया। कदाचित विश्व की चिन्ताओं का उन पर कोई प्रभाव न पड़ता था।

कुमुदिनी की दशा आज और भी शोचनीय थी। वह पृथ्वी पर निश्चेष्ट पड़ी थी, उसके नेत्र बन्द थे। केवल कभी-कभी वह ऊपर की ओर देख लेती थी। इधर मेरी भी दशा कुछ ठीक न थी। भूख के कारण प्राण निकले से जा रहे थे। नेत्रों की पुतलियाँ तिलमिला रही थीं। मैं सरलतापूर्वक उठ भी न सकता था। परन्तु फिर भी सत्याग्रह तोड़ने का साहस न होता था। एक बार मन कहता, हटाओ भी इस झञ्झट को, किस मूर्खता में पड़े हो? व्यर्थ ही सत्याग्रह कर बैठे। यदि डाट कर कह देते कि चाहे जो हो, विदेशी वस्त्र लाकर न दूँगा, तो फिर किसका साहस था, जो उँगली उठाता। दूसरे ही क्षण आत्मा कहती, जो कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ। ऐसी हठी स्त्रियों को सुमार्ग पर लाने के लिए उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। इसमें दबना हानिकारक होगा।

सन्ध्या हो चली, दोनों में से एक भी टस से मस न हुआ। कुमुदिनी की दशा बराबर गिरती जा रही थी। मैंने उसकी ओर देखा। उसे चेत बिल्कुल न था। स्वाँस बड़ी तीव्रता से चल रही थी। मेरे हृदय में एक विचार आया। कहीं यह मर गई तो? तुरन्त ही नेत्रों के सम्मुख एक दृश्य खिंच गया। कुमुदिनी का मृतक शरीर पृथ्वी पर पड़ा था। मैं उसके किनारे हो बैठा रो रहा था। माता-पिता भी घर से आ गए थे। माँ सिरहाने बैठी कह रही थीं—तेरे ही कारण यह सब हो गया रमेश! तुझको ऐसी मूर्खता सूझी ही क्यों? स्त्रियाँ तो स्वभावतः कोमलाङ्गी होती हैं, कहीं उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है!!

मेरा हृदय काँप उठा। मैंने जल्दी से अपने बन्द नेत्र खोल कर फिर कुमुदिनी की ओर देखा। उसकी स्वाँस और तेज़ी से चलने लगी थी। बड़ी कठिनता से उठ कर मैं कुमुदिनी के समीप आ बैठा और अपना हाथ उसके मस्तक पर फेरना आरम्भ कर दिया। उफ़्! उसका शरीर जल सा रहा था। ज्वर की मात्रा बड़ी तेज़ थी। मैंने मन में कहा—मैं यह क्या कर बैठा। वास्तव में मुझे उस समय अपनी मूर्खता पर हँसी आ रही थी और ज्योति पर क्रोध। यदि उस समय वह मिल जाता तो मैं उसे बिना मारे कदापि न छोड़ता, उसी के कारण हम आज इस दशा को पहुँच गए। परन्तु अब हो क्या सकता था?

अकस्मात् कुमुदिनी को चेत हो आया। उसने निराशा भरी दृष्टि से चारों ओर देखा, मेरी उसकी आँखें चार हो गईं। मैं अधिक न सह सका। शरीर में एक अद्भुत बल का सञ्चार हो आया। मैंने झपट कर कुमुदिनी को हृदय से लगा लिया। उस समय मेरे नेत्रों से झर-झर कर अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। कुमुदिनी की आँखें भी

(शेष मैटर १९वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

चीन का स्वाधीनता-संग्राम

[मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव]

पूर्वीय एशिया में, पैसेफ़िक महासागर के तट पर, चीन नाम का वह महान राष्ट्र है, जिसकी सभ्यता और स्वतन्त्रता भारत की तरह ही पुरानी और अमर है। इस महान देश का क्षेत्र-फल १४,४५,९८० वर्ग मील और जन-संख्या ४३,६०,९५,००० है। चीन में अठारह बड़े-बड़े प्रान्त हैं। मन्चूरिया, केङ्गरीन, कोरिन, हेलेङ्ग क्याङ्ग, मङ्गोलिया और तिब्बत उसके करद राज्य हैं। भारतवर्ष की तरह चीन भी कृषि-प्रधान देश है। चाय और रेशम की पैदावार यहाँ ख़ूब होती है। चीन अपनी विचित्र कारीगरी के लिए भी विश्व-विख्यात है। हमारे देश में तो 'हिकमते चीन' यह कहावत भी प्रचलित है। चीन में बहुत सी छोटी और बड़ी नदियाँ हैं, जिनके कारण उसका अधिकांश भू-भाग अत्यन्त उर्वर है। इसके सिवा कुछ भू-भाग पहाड़ी भी है। कुछ मुसलमानों और थोड़े से ईसाइयों को छोड़ कर, बाक़ी सभी चीनी बौद्ध मतावलम्बी हैं। परन्तु चीनियों की धार्मिक विभिन्नता हमारे देश की तरह राष्ट्रीयता की विघातिनी नहीं है। फलतः चीन एक अक्षुण राष्ट्र है। जिस तरह चीन का एक बौद्ध अधिवासी अपने को चीनी और चीन को अपनी मातृ-भूमि समझता है, उसी तरह एक मुसलमान और ईसाई भी अपने को चीन का अधिवासी और चीन को अपनी मातृ-भूमि समझता है। धार्मिक विभिन्नता के अतिरिक्त चीनियों में जातिगत पार्थक्य भी है। क्योंकि वहाँ चीनी, मुसलमान, मान्चू, मङ्गोल और तिब्बती, ये पाँच जातियाँ मौजूद हैं। वर्तमान प्रजातन्त्र में इन सभी जातियों को समान अधिकार प्राप्त हैं। सरकारी नौकरियाँ योग्यता के लिहाज़ से दी जाती हैं। चीन के प्रत्येक अधिवासी को समान रूप से मताधिकार प्राप्त है और जनता जिसे उचित समझती है, चाहे वह मुसलमान हो या बौद्ध अथवा ईसाई, अपना प्रतिनिधि चुन लेती है। वहाँ न तो अल्प-संख्यक का प्रश्न है और न बहु-संख्यक का। मज़हबी विचारों में प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र हैं और राजनीतिक मसले सारी जाति की राय से हल होते हैं।

आज से प्रायः दो हज़ार वर्ष पहले, जबकि चीन सम्पूर्ण स्वाधीन था, हूणों* के एक दल ने वहाँ जाकर भयङ्कर उत्पात मचाना आरम्भ कर दिया। ये घोड़ों पर सवार होकर हज़ारों की संख्या में आँधी की तरह चीन में घुस आते और चीनी गाँवों को लूट-पाट कर चल दिया करते थे। इनके अमानुषिक उत्पातों के कारण चीनवासी घबरा उठे और बड़ी व्यग्रता से इनके आक्रमणों से अपने जानोमाल की रक्षा की तदबीर सोचने लगे। परन्तु इन बलवान डाकुओं को रोकना उनके लिए सम्भव नहीं था। क्योंकि उनके आक्रमण अचानक होते थे और गाँव वालों के सावधान होते न होते वे चल दिया करते थे। अन्त में चीन के तत्कालीन नरेश ने, अपने देश की शान्ति की रक्षा के लिए, हूणों के सरदार के पास अपना दूत भेज कर आपस में सुलह करने का प्रस्ताव उपस्थित किया। परन्तु सुलह तो दूर रही, हूणों ने बेचारे दूतों को ही बन्दी बना कर रख लिया। इसलिए उत्तर में लाचार होकर चीन राज ने कई हूणों को पकड़वा कर क़ैद कर लिया। फलतः हूणों के सरदार को इस बात की ख़बर मिली तो उसने चीनी दूतों को फ़ौरन छोड़ दिया। तब चीन राज ने भी उनके आदमियों को मुक्त कर दिया। साथ ही शान्ति-प्रिय चीन राज ने सूऊ नाम के अपने एक विश्वस्त दरबारी को हूणों के पास फिर भेज कर सन्धि कर लेने को कहा। परन्तु हूणों ने अस्वीकार कर दिया और सूऊ को भी क़ैद कर लिया।

सूऊ चूँकि चीन के एक प्रतिष्ठित सरदार थे, इसलिए हूणों ने उन्हें अपनी ओर मिला कर चीन को लूटना चाहा। उन्हें प्रलोभन दिया गया कि अगर हमारी बात मान लोगे तो हम लोग तुम्हें अपना सरदार बना लेंगे और सारा काम तुम्हारी ही आज्ञा से होगा। तुम शीघ्र ही बहुत बड़े धनवान हो जाओगे। परन्तु सूऊ ने यह घृणित प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, अपने ही देश को लूट कर मैं बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता और न तुम लोगों की तरह मैं डाकू या लुटेरा ही हूँ। देश की सेवा करता हुआ मैं सदा ग़रीब ही बना रहूँ, इसी को मैं अपने लिए परम सौभाग्य और गौरव की बात समझता हूँ।

हूणों ने यह उत्तर सुना तो सूऊ को एक कोठरी में बन्द कर दिया और उन पर नाना प्रकार के अमानुषिक अत्याचार करने लगे। परन्तु सूऊ अपने सिद्धान्त पर अटल रहे। उन्होंने साफ़-साफ़ कह दिया कि अगर मेरा प्राण ले लोगे तो भी मैं देश-द्रोहिता नहीं करूँगा। अन्त में जब किसी तरह सूऊ ने उनकी बात न मानी तो उन्होंने उन्हें चिरबन्दी बना लिया और चीन राज को ख़बर दे दी कि सूऊ मर गए।

अन्त में हूणों ने सूऊ को भेड़ें चराने का काम सौंपा। बेचारे सूऊ दिन भर भेड़ें चराते और अपने देश को इन हूण लुटेरों से बचाने की तदबीर सोचा करते। हूणों ने उनके चारों ओर कड़े पहरे का प्रबन्ध कर दिया था, इसलिए बेचारे किसी तरह भाग भी नहीं सकते थे। परन्तु यह अत्यन्त दुखदाई बन्दी-जीवन उनके लिए असह्य हो रहा था। वे भेड़ें चराते-चराते कभी-कभी रोने लगते और सोचते, काश, मैं पक्षी होता तो उड़ कर मातृ-भूमि की गोद में चला जाता। दुरवस्थाग्रस्त प्राणी कभी-कभी असम्भव उपायों द्वारा भी अपने परित्राण की कल्पनाएँ किया करता है। यहाँ तक कि कभी ऐसे ही असम्भव उपायों को काम में लाने का भी प्रयत्न कर बैठता है। कहावत है कि डूबता हुआ मनुष्य तिनके का सहारा पाकर भी अपने उद्धार की आशा करने लगता है। सूऊ ने ही एक ऐसे ही अभिनव उपाय का अवलम्बन किया। उन्होंने कई राजहंस पाले और उन्हें पत्र-वाहकता की शिक्षा प्रदान करने लगे। जब कुछ हंस तैयार हो गए तो उनके परों में एक पत्र बाँध कर सूऊ ने उन्हें अपनी मातृ-भूमि की ओर उड़ा दिया। उनका विश्वास था कि अगर एक भी हंस किसी तरह चीन में पहुँच गया तो उनकी चिट्ठी राजा के पास पहुँच सकती है और वे क़ैद से छुटकारा पा सकते हैं।

इस तरह सूऊ प्रति क्षण अपनी मुक्ति की आशा में रहने लगे। परन्तु वर्षों बीत गए चीन वालों ने उन्हें छुड़ाने की कोई तदबीर न की और न उनके भेजे हुए दूत ही वापस आए। वास्तव में सूऊ का कोई हंस राजा के पास तक पहुँचा ही नहीं। राजा तो जानते थे कि सूऊ मर गए।

इसी तरह और भी कई वर्ष बीत गए। एक दिन चीन-नरेश अपने कई दरबारियों के साथ शिकार खेलने निकले। एकाएक उनकी नज़र एक राजहंस पर पड़ी। वह किसी पेड़ की शीतल छाया में बैठा हुआ विश्राम कर रहा था। राजा ने उसे लक्ष्य करके एक तीर छोड़ा। हंस घायल होकर गिर पड़ा। जब राजा उसके पास

* यह एक प्राचीन मङ्गोल जाति थी जो पहले चीन की पूर्वी सीमा पर लूट-मार किया करती थी और अन्त में अत्यन्त प्रबल होकर एशिया और यूरोप के सभ्य देशों पर भी आक्रमण करने लगी थी।

—लेखक

सत्याग्रह

(१४वें पृष्ठ का शेषांश)

सुखी न थीं। आतुर स्वर में मैंने कहा—कुमुद! मुझे क्षमा करो। मैं सर्वदा तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता हूँ।

उसके नेत्र चमक उठे। मुस्कान की तीव्र लाली उसके अधरों पर अठखेलियाँ करने लगी। उसने कहा—सचमुच! क्या सत्याग्रह तोड़ दोगे?

मैंने कुछ उत्तर न दिया। मेरा मस्तक झुक गया। कुमुदिनी की हँसी कमरे में गूँज उठी। उसने अपने दोनों हाथ मेरे गले में डाल दिए और मेरी ओर देखते हुए कहा—नहीं, यह कदापि न होगा। मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा कभी न टूटने दूँगी। मैं आज से जीवन भर स्वदेशी ही पहनूँगी।

विस्मययुक्त होकर मैं बोल उठा—और तुम्हारी प्रतिज्ञा?

"मेरी प्रतिज्ञा? मैंने तो यह प्रतिज्ञा केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए की थी। मैं जानना चाहती थी कि पुरुष कहाँ तक अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रह सकते हैं? आज मुझे विश्वास हो गया कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अपने प्रण-पालन के लिए पुरुषों से कहीं अधिक त्याग कर सकती हैं।"

मैंने कुछ उत्तर न दिया। मेरा हृदय स्वयं अपनी हार स्वीकार कर रहा था। मेरे कन्धे के सहारे खड़े होते हुए उसने हँसते हुए कहा—अच्छा चलो, अब तो कुछ खाया-पिया जावे। 'सत्याग्रह' हो चुका।

कर्तव्य-विमूढ़ सा मैं उसके साथ हो लिया।

❀ ❀ ❀

पहुँचे तो उसके परों में बँधा हुआ एक पत्र देख कर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र उसे खोल कर पढ़ने का आदेश दिया। पत्र खोल कर पढ़ा गया तो लोगों के आश्चर्य का और भी ठिकाना न रहा। राजा फ़ौरन अपने राज-महल में वापस आए और राज-मन्त्री को बुला कर सारा हाल सुनाया। फलतः सूऊ को छुड़ा लाने के लिए तुरन्त ही कई चतुर सैनिक भेजे गए।

हूणों ने तुरन्त ही सूऊ को छोड़ दिया। स्वदेश-प्रेमिक सूऊ उन्नीस वर्ष के बाद डाकुओं की क़ैद से छुटकारा पाकर स्वदेश लौटे।

इस घटना के बाद से हूणों ने भी फिर चीन पर आक्रमण नहीं किया। क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सूऊ उनका सारा भेद जान गया है और वह अवश्य ही राजसेना की सहायता से उनका दमन कर डालेगा। यह सोच कर उन्होंने सदा के लिए चीन की सीमा छोड़ दी।

इसके बाद बहुत दिनों तक चीन निश्चिन्त रहा। कभी किसी बाहरी शत्रु ने उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। हूण तो चीन की सीमा छोड़ कर उसी समय मध्य एशिया की ओर चले आए और अपना एक ज़बर्दस्त दल बना कर यूरोप के देशों को लूटना आरम्भ कर दिया।

इसी तरह और भी कई शताब्दियाँ बीत गईं। उस समय चीन के एक प्रान्त में जूनिङ्ग-फ़ू नाम का एक छोटा सा राज्य था। यह राज्य था तो छोटा, परन्तु यहाँ के निवासी बड़े वीर, साहसी और स्वाधीनता-प्रेमी थे। एकाएक एक दिन मोग़लों और शाङ्ग-जातीय नरेशों की नज़र चीन पर पड़ी और उन्होंने—अपनी सम्मिलित वृहद्वाहिनी लेकर चीन पर चढ़ाई कर दी। जूनिङ्ग-फ़ू प्रदेश का राजा अपनी सेना लेकर उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा। उसके थोड़े से योद्धाओं ने जान पर खेल कर शत्रुओं का सामना किया। परन्तु उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी। इसलिए शत्रुओं की महती सेना के सामने वह बहुत देर तक नहीं ठहर सके। इसलिए वे मैदान छोड़ कर अपनी राजधानी में लौट आए और नगर का द्वार बन्द कर लिया। यह देख कर शत्रुओं ने भी नगर के चारों ओर घेरा डाल दिया।

महीनों बीत गए। जूनिङ्ग-फ़ू नरेश ने निश्चय कर लिया था कि जीवन रहते शत्रुओं के हाथों में आत्म-समर्पण नहीं करेंगे। इधर आक्रमणकारियों की यह धारणा थी कि खाद्य सामग्री समाप्त हो जाने पर झख मार कर हमारी शरण में आना पड़ेगा। इसी प्रकार और भी कुछ महीने बीत गए। धीरे-धीरे खाद्य सामग्री भी समाप्त हो गई। भूख की ज्वाला शान्त करने के लिए नगरवासियों ने गृहपालित जानवरों को मार-मार कर खाना आरम्भ कर दिया। अन्त में यहाँ तक नौबत पहुँची कि लोगों के खाने के लिए जानवर भी न रहे। खाद्याभाव के कारण जनता पागल हो उठी।

प्रजा की यह दुर्वस्था देख र राजा ने नगर का सिंहद्वार खोल देने की आज्ञा दे दी। परन्तु साथ ही यह भी निश्चय कर लिया कि जीते जी आत्म-समर्पण न करेंगे। फलतः उधर ज्योंही नगर का सिंहद्वार खोला गया त्योंही राजा की आज्ञानुसार राजमहल में आग लगा दी गई। राजपूताना की वीर-बालाओं की तरह जूनिङ्ग-फ़ू राज-परिवार में भी आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए 'जौहर-व्रत' का अवलम्बन किया। जिस समय शत्रु-सेना ने राजधानी में प्रवेश किया उस समय राजमहल जल रहा था। शत्रु हताश होकर लौट गए। राजा के स्वतन्त्रता-प्रेम के प्रति उन्होंने सम्मान प्रकट किया और फिर कभी चीन पर हमला नहीं किया।

उपर्युक्त घटना के बाद फिर कई शताब्दियाँ बीत गईं। चीन बड़ी सतर्कता से अपनी स्वाधीनता की रक्षा करता रहा। इस बीच में बाहरी शत्रुओं के कई छोटे-मोटे आक्रमण भी हुए, परन्तु चीनी वीरों ने उन्हें बात की बात में मार भगाया। अन्त में उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ी मान्चुओं के राजत्वकाल में।

एक बार चीन के किसी राजा ने अपनी बाग़ी प्रजा के दमन के लिए मन्चूरिया वालों से सहायता की प्रार्थना की। उन्होंने आकर विद्रोह तो शान्त कर दिया, परन्तु साथ ही स्वयं चीन के राजसिंहासन पर अधिकार जमा लिया। मान्चू-नरेश बड़े उजड्ड और अत्याचारी थे। इनमें न तो राज्य-शासन की योग्यता थी और न राजनीति के दाव-पेंच समझने की। चीन-जैसे एक विशाल राज्य का आधिपत्य प्राप्त कर ये अपने को भूल गए और अपनी विलास-वासना की तृप्ति के लिए प्रजा पर नाना प्रकार के अत्याचार करने लगे।

इसी समय विदेशी वणिकों की नज़र चीन पर पड़ी और वे वहाँ जाकर अपने अड्डे जमाने लगे। चीन की प्रजा को अज्ञानान्धकार से निकाल कर स्वर्ग के आलोक में भेजने वाले पादरियों का दल भी यहाँ इसी मान्चू राजत्व-काल में ही पहुँचा था। मान्चुओं तथा विदेशी वणिकों के अत्याचारों से चीन की प्रजा घबरा उठी। परन्तु उसमें इतनी शक्ति कहाँ थी, जो इन दो बड़ी बलाओं का सामना कर सकती? अयोग्य शासक के कारण उसकी सारी गौरव-गरिमा, कला-कुशलता और बल-वैभव नष्ट हो चुका था। एशिया का महान राष्ट्र मान्चू-नरेशों की अयोग्यता और अपटुता के कारण संसार का एक पिछड़ा हुआ, असभ्य और असङ्गठित राष्ट्र के रूप में परिणत हो गया।

इस समय अङ्गरेज़ वणिकों का एक दल अफ़ीम लेकर चीन पहुँचा और उन्हें समझाना आरम्भ किया कि हम बड़ी दूर से यह काली-काली सञ्जीवनी बूटी तुम्हारे लिए लाए हैं। इसके सेवन से तुम लोगों का इहलोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएगा। बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके खाने से शरीर में अपूर्व बल और अलौकिक स्फूर्ति का सञ्चार होता है। पाचनशक्ति दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ने लगती है। यह अलौकिक बूटी बूढ़ों को जवान और नवजवानों को पहलवान बना देती है।

इसके पहले बेचारे चीन वाले जानते भी न थे कि अफ़ीम किस चिड़िया का नाम है। गोरे वणिकों की लच्छेदार बातों के फेर में पड़ कर उन्होंने बड़े प्रेम से यह हलाहल पान करना आरम्भ कर दिया। भारतवर्ष में भारत-सरकार की देख-रेख में, ख़ूब धूमधाम से अफ़ीम की खेती होने लगी और मज़बूत पेटियों में भर-भर कर लाखों रुपए का माल चीन भेजा जाने लगा। चीन में इस ज़हर का रिवाज इतना बढ़ा कि लोग तम्बाकू की तरह अफ़ीम का सेवन करने लगे। यहाँ तक कि स्त्रियाँ और बच्चे तक भी इस सत्यानाशी व्यवसाय से नहीं बच सके!

अन्त में जब जाति सत्यानाश की सीमा पर पहुँची तो चीन के कुछ हितैषियों की आँखें खुलीं। सञ्जीवनी बूटी का मर्म उनकी समझ में आ गया। अच्छी तरह समझ गए कि ये स्वार्थी गोरे बनिए। हमारा सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने अफ़ीम के विरुद्ध घोर आन्दोलन आरम्भ किया। जो लोग इसकी पिनक में बेहोश थे, उन्हें सावधान किया। चारों तरफ़ रोक-थाम होने लगी। अङ्गरेज़ों से कहा कि अब वे कृपा करके इस देश में अफ़ीम न लाएँ। परन्तु स्वार्थान्ध अङ्गरेज़ भला कब इन बातों पर ध्यान देने लगे? उन्होंने चीनियों की प्रार्थना पर कर्णपात करना उचित न समझा; क्योंकि चीन में अफ़ीम बेचना तो उनका ईश्वरदत्त अधिकार था। वे भला अपने इस अधिकार को क्यों परित्याग करते? उन्होंने चीनियों के मना करने पर भी अफ़ीम की २०,२६१ पेटियाँ ले जाकर चीन के बन्दरगाह पर उतारा। यह देख कर चीनी आग-बबूला होगए और सारी पेटियाँ ज़ब्त कर लीं।

फिर तो चीन से इङ्गलैण्ड तक एक तहलक़ा सा मच गया। ब्रिटिश सरकार ने निर्लज्जतापूर्वक चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। हज़ारों चीनी अफ़ीम न खाने के गुरुतर अपराध में मार डाले गए। अन्त में अङ्गरेज़ों को विजय प्राप्त हुई। चीन हार गया। यह देख कर फ़्रान्स, जर्मनी, जापान और रूस ने भी चीन पर चढ़ाई कर दी। लूट में चर्ख़ा भला की कहावत चरितार्थ हुई। इन सभी वजेताओं ने मानो अफ़ीम का विरोध करने के दण्ड-स्वरूप चीन का थोड़ा-थोड़ा सा भू-भाग अपने-अपने अधिकार में कर लिया। किसी ने कोई बन्दरगाह हथियाया और किसी ने कोई प्रान्त। चीन के मान्चूवंशीय नरेश ने चीनी राष्ट्र की रक्षा की अपेक्षा अपने राजसिंहासन की रक्षा का ही अधिक ख़याल रक्खा। उसने इस युद्ध-काण्ड का सारा अपराध देश-वासियों के मत्थे मढ़ कर उन पर तरह-तरह के अत्याचार करना आरम्भ कर दिए।

उस समय वर्तमान चीन के भाग्य-विधाता वीर-केशरी सनयात सेन लड़के थे! परन्तु उस छोटी उमर में भी वे अपने देशवासियों की दयनीय पराधीनता का अनुभव कर सकते थे। और देश को स्वाधीन करने के मनसूबे बाँधा करते थे। इसके बाद, भयानक दिनों में उन्होंने विद्या-शिक्षा की इच्छा से विदेशों की यात्रा की, अमेरिका और यूरोप की स्वाधीन आबोहवा ने उन्हें और भी बेचैन कर दिया। चीन के सिवा पृथिवी के सारे देशों को स्वाधीन देख कर उनकी यह बेचैनी और भी बढ़ गई। इधर मान्चुओं और विदेशियों का अत्याचार भी दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ने लगा। यह देख कर सनयात सेन के मन में मुक्ति की वासना प्रबल हो उठी। उन्होंने अपने को देश-सेवा के लिए उत्सर्ग कर दिया।

विदेश से लौट कर सनयात सेन स्वाधीनता का आन्दोलन आरम्भ कर दिया। उनकी लेखनी और वाणी ने चीन के हज़ारों-लाखों नवयुवकों के दिलों में स्वाधीनता की आग धधका दी। मान्चू-राजसिंहासन डगमगाने लगा। राज्याधिकारियों ने सनयात सेन को पकड़ने का आयोजन किया। परन्तु वे न जाने कब ग़ायब होगए और गुप्त रूप से चीन की मिट्टी में विप्लव का बीज बोने लगे। अन्त में कई वर्षों के प्रयत्न के बाद उनकी साधना सफल हुई। सारे चीन में विप्लव की भीषण आग जल उठी और उसने मान्चू-राजवंश का समूल ध्वंस कर डाला। विदेशियों ने एक बार फिर टाँग अड़ाया, परन्तु विप्लव की भीषण गति को रोकना उनके लिए सम्भव नहीं था। चीन स्वतन्त्र हुआ। चीन में प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली की प्रतिष्ठा हुई। सनयात सेन ने अपने सहकर्मी और चीन के अन्यतम नेता युमान शिकाई को राष्ट्रपति का पद प्रदान किया। उनकी चिर-सञ्चित अभिलाषा पूरी हुई।

परन्तु युमान शिकाई लोभ में पड़ गया। उसने प्रजातन्त्र को ध्वंस कर के स्वेच्छाचार आरम्भ कर दिया। वास्तव में वह चाहता था, चीन का बादशाह बन बैठना। उसने कुछ अपने पिट्ठुओं को एकत्र कर के एक दल तैयार किया और सेना तथा अन्य विभागों पर अपना पूर्ण-प्रभुत्व जमा कर सनयात सेन के चिर-सञ्चित लालसा पर पानी फेर देने का आयोजन किया। इसलिए सनयात सेन को फिर नए सिरे से साधना आरम्भ करनी पड़ी। उन्होंने युमान शिकाई के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार आरम्भ कर दिया। चीन दो भागों में विभक्त हो गया।

(शेष मैटर १७वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

साम्यवाद पर एक दृष्टि

[श्री० 'प्रत्यक्षवादी']

राजकतावादी, जो सब प्रकार के शासन के विरोधी हैं, कहते हैं कि साम्यवादी अर्थात् कम्यूनिस्ट पथ-भ्रष्ट हैं, क्योंकि वे क्रमशीलता या प्रबन्ध के पक्षपाती हैं, और किसी प्रकार की शक्ति या अधिकारपरता तथा किसी प्रकार की राज्य-सत्ता का अर्थ है, अत्याचार और ज़बर्दस्ती। परन्तु साम्यवाद के सिद्धान्तों से स्पष्ट है कि उनका यह आक्षेप ठीक नहीं। क्योंकि कौटुम्बिक-पद्धति जीवन-यात्रा की वह पद्धति है, जिसमें न श्रमिक होते हैं, और न धनपात्र या पूँजीपति और न किसी तरह की सरकार ही होती है। अराजकतावाद और कुटुम्बवाद में यह अन्तर नहीं है कि उसमें राज्य-शासन नहीं होता और इसमें होता है, क्योंकि दोनों में ही राज्य-शासन नहीं होता। इनमें जो प्रधान अन्तर है, उसे हम निम्न-लिखित पंक्तियों के द्वारा बताने का प्रयत्न करते हैं।

अराजकतावादी ख़्याल करते हैं कि अगर सारी पैदावार छोटे-छोटे मेहनत करने वाले कुटुम्बों में बाँट दी जायगी, तो उनका जीवन अधिक अच्छा और स्वतन्त्र होगा। मान लें कि दस आदमियों की एक गोष्ठी बनी और इसमें जो आदमी शामिल हुए, अपनी स्वतन्त्र इच्छा से हुए। अब ये दस अपनी ही ज़िम्मेवारी पर अपने ही स्वार्थ के लिए काम करना प्रारम्भ करते हैं। इसी तरह की और भी कुछ गोष्ठियाँ बनीं और समय पाकर एक-दूसरे के साथ उन चीज़ों के सम्बन्ध में समझौता करती हैं, जो एक गोष्ठी में नहीं होतीं, दूसरी में होती हैं।

अब इन छोटे-छोटे कुटुम्बों में ज़रूरत की सब चीज़ें पैदा की जाने लगीं। प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है कि जब चाहे कुटुम्ब से अलग हो जाय और प्रत्येक कुटुम्ब को भी अधिकार है कि उन कुटुम्बों के सङ्घ से, जिसमें वह शामिल हुआ था, जब चाहे नाता तोड़ ले।

परन्तु यह बात देखने में सरल होने पर भी समयानुसार ठीक नहीं है। जो काम करने वाले कल से चलने वाले कारख़ानों के माल के पैदावार की रीति को समझते हैं, वे तुरन्त ही कह देंगे कि यह बात ठीक नहीं है।

भावी सामाजिक व्यवस्था का मतलब यह है कि काम करने वाला वर्ग दो बुराइयों से बचाया जाय। पहले मनुष्य पर मनुष्य की हुकूमत न हो, कोई किसी को सतावे नहीं; न कोई दूसरे से अनुचित लाभ उठाए, न लूट-खसोट करे, जैसा कि आजकल होता है। यह अभीष्ट तो पूँजीवाद के हटा देने से सिद्ध हो जाता है। परन्तु एक दूसरी समस्या भी है, और वह है प्रकृति की हुकूमत को हटाना, प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाना और सर्वोत्तम और बिल्कुल ठीक तरह पर माल की पैदावार का सङ्गठन करना। हमें आग, पानी, हवा आदि पर क़ाबू पाना होगा। विज्ञान के बल से हमें मनुष्य-जाति मात्र का उत्थान करना होगा। जिस तरह आजकल विज्ञान और कला के बल से माल पैदा किया जाता है, उसी तरह हमें नई व्यवस्था में भी करना होगा। बिना इसके काम नहीं चल सकता। बिना विज्ञान-बल के यह सम्भव नहीं कि मनुष्य बहुत थोड़ा समय तो अन्न पैदा करने, वस्त्र तैयार करने और घर-बार बनाने में लगावे और बाक़ी बहुत सा समय ज्ञान-वृद्धि में ख़र्च करे। विज्ञान और कला-कौशल का मनन करना, मनुष्य-जीवन को सुखी और सुन्दर बनाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यों तो बहुत प्राचीन काल में भी हमारे पूर्व-पुरुष थोड़े-थोड़े आदमियों का ग़ोल बाँध कर रहते थे। परन्तु उनका जीवन पाशविक था, क्योंकि वे प्रकृति के दास थे। उन्होंने प्रकृति को अपना दास नहीं बनाया था। आज पूँजीवाद के काल में बहुत ज़्यादा तादाद में माल बनाने या पैदावार करने के साथ-साथ मनुष्य जाति ने प्रकृति पर अधिकार करना सीखा है, फिर भी ग़रीब, मज़दूर, काम करने वाले लोग अभी पशु के ही समान बने हैं, क्योंकि ये धनवानों के पञ्जे में फँसे हैं और इसका कारण है साम्पत्तिक विषमता। एक छोटा है और दूसरा बड़ा। क्योंकि एक के पास धन नहीं है और दूसरे के पास धन है। परन्तु चाहिए यह कि साम्पत्तिक समता के साथ-साथ विज्ञान-बल से, मैशीनों के ज़रिए से अधिक परिमाण में चीज़ों के बनाने और उपजाने का काम भी बना रहे। इससे बहुत से छोटे-छोटे और अयोग्य उद्यम अवश्य नष्ट हो जायँगे और सारे काम बड़े-बड़े कारख़ानों में केन्द्रित करने पड़ेंगे। परन्तु यह काम इस तरह पर न होने चाहिए कि सोहन को पता ही न हो कि मोहन क्या करता है। हम तो संयुक्त ढङ्ग से काम चाहते हैं। अगर यह ढङ्ग अधिक से अधिक स्थानों पर चले तो और भी अच्छा, क्योंकि अगर अन्त में सारी दुनिया एक श्रमिक-सङ्घ बन जायगी तो मनुष्य मात्र सुखी और स्वतन्त्र रह सकेंगे। बड़े-बड़े कारख़ाने काम के केन्द्र होंगे, तो थोड़ी मेहनत से बहुत सा सामान पैदा करने के बाद मनुष्यों को मानसिक उन्नति का ख़ूब अवसर मिलेगा। परन्तु अराजकतावाद की भावी सामाजिक व्यवस्था इसके विरुद्ध है। इससे तो विज्ञान-बल की वृद्धि के स्थान में उसका ह्रास ही होगा। इस प्रकार से बुख़ारिन ने अराजकतावाद के और भी अनेक दोष बतलाए हैं। पीटर क्रूपाटकिन ने भी अराजकतावाद पर 'Modern Science and Anarchism' नाम की छोटी सी पुस्तक में कई पहलू से विचार किया है। पाठकों को विशेषज्ञता के लिए क्रूपाटकिन, मीकाईल वेकुनिन और प्राउढन वग़ैरह के मन्तव्यों को विचारपूर्वक पढ़ना चाहिए और कम्यूनिस्टिक अनारकिज़्म, अनारकिस्टिक कम्यूनिज़्म और कम्यूनिज़्म विशुद्ध के सूक्ष्म भेदों को समझना चाहिए। इस लेख में हम औपपत्तिक गहनता में जाना नहीं चाहते और अपने मूल मन्तव्य की ओर ध्यान देते हैं।

ग़रीबों के प्राधान्य से साम्यवाद हो सकता है

कुटुम्बवाद की व्यवस्था कैसे क़ायम हो? इसके उत्तर में कम्यूनिस्ट या कुटुम्बवादी कहता है—'ग़रीबों की प्रधानता से।' प्रधानता का अर्थ है पूर्ण अधिकार, सार्वजनिक शासनाधिकार। इस तरह की सरकार साम्यवादियों की क्रान्ति से ही उत्पन्न और स्थापित हो सकती है। यही सरकार धनिक शासन और धनिक शक्ति को नष्ट करके उसके खण्डहरों पर नई इमारत बना सकेगी। इसमें सभी ग़रीबों, भूखे-मरतों और दीन-दुखियों की सहायता की दरकार होती है।

यही कारण है कि साम्यवादी श्रमिकों (Workers') का राज्य चाहता है। पहले यह सरकार अस्थायी रूप से काम चलाने के लिए बनाई जाती है। जब ग़रीबों का पक्ष बलवान होकर सम्पत्तिवाद को नष्ट कर देता है, तब सब बराबर के भाई-भाई बन कर सुख-शान्ति के साथ रहते हैं। उस समय न पुलीस की ज़रूरत होती है और न अदालत की।

लेकिन साम्यवाद का प्रचार आसानी से उसी देश में हो सकता है, जिसमें छोटी-छोटी कल्पित जातियों के विभाग न हों, ग़रीब लोग आपस में जन्म या कर्म के कारण एक-दूसरे को छोटा-बड़ा समझना छोड़ दें। स्त्री हो या पुरुष, विद्वान हो या अनपढ़—सबके नैसर्गिक अधिकार बराबर हैं। धर्म और नीति के नाम पर अथवा क़ानून या रीति-रिवाज के नाम पर एक को वही अधिकार हो जो दूसरे को नहीं है, तो साम्यवाद की नींव का डालना दुस्तर हो जाता है। संसार में सब से बड़ी दो ही जातियाँ हैं, एक ग़रीब और दूसरी अमीर। जब हमें इन दोनों को मिला कर एक करना है, साम्यवाद को स्थापित करना है, तो पहले हमें धर्म के भेद को और बनावटी जातियों के बन्धनों को तोड़ना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर सबको एक समान रहने का हक़ है, सबको खाने-पहनने, रहने-सहने का सामान मिलना बहुत ज़रूरी है। किसी का कोई ऐसा जन्म-सिद्ध अधिकार नहीं है कि वह दूसरे को सतावे या ग़ुलाम बना कर रक्खे। अब ग़रीबों को सचेत और सतर्क होकर रहना चाहिए और अपने प्राकृत अधिकार के लिए हाथ-पैर हिलाने का दृढ़ विचार कर लेना उचित है। जहाँ कहीं ग़रीब, अछूत और स्त्रियाँ अपने अधिकारों के लिए आन्दोलन कर रही हैं, उन्हें उनके अधिकार तुरन्त दे देना ही कल्याणकारी है। जहाँ इन लोगों ने आन्दोलन प्रारम्भ नहीं किया है, वहाँ उनको स्वतः उनके अधिकार दे देना अधिकार-प्राप्त

चीन का स्वाधीनता-संग्राम

(१६वें पृष्ठ का शेषांश)

उत्तर चीन युमान का पक्षपाती बना और दक्षिण चीन सनयात सेन का।

भयङ्कर गृह-कलह आरम्भ हुआ। दोनों दलों में भीषण लड़ाईयाँ हुईं। हज़ारों चीनी आपस में लड़ कर मर गए। परन्तु सनयात सेन को विश्वास था कि एक न एक दिन उनके सिद्धान्तों की ही विजय होगी। इसलिए उन्होंने यह युद्ध जारी रक्खा। परन्तु दुःख की बात है कि वे अपने दल की अन्तिम विजय नहीं देख सके। जिस समय यह गृह-कलह जारी था, उसी समय वीर केशरी सनयात सेन का देहान्त होगया। राष्ट्रवादी हताश होगए। परन्तु उन्होंने लड़ाई नहीं बन्द की। अन्त में विजयलक्ष्मी भी उन्हीं को प्राप्त हुई। उत्तरी दल का सरदार च्यांग-सो-लिन मारा गया। दक्षिण के राष्ट्रीय दल ने चीन में स्वाधीनता की पताका फहरा दी।

इस समय चीनी राष्ट्र के कर्णधार चियाकाई सेन हैं। राष्ट्र का शासन-सूत्र अपने मज़बूत हाथों में लेते ही चियाकाई सेन की दृष्टि सबसे पहले विदेशी बन्धुओं पर पड़ी। इसलिए उन्होंने उन्हें सावधान कर दिया कि वे हमारे राष्ट्रीय कार्यों में हस्तक्षेप करने से बाज़ आवें। यही नहीं, उन्होंने उनके साथ स्वतन्त्र सन्धियाँ भी कीं और चीन के अभ्यन्तरीय मामलों में हस्तक्षेप करने से उन्हें बाज़ रखा।

यद्यपि चीन इस समय स्वतन्त्र है, परन्तु स्वर्गवासी सनयात सेन की धर्मपत्नी का कहना है कि जिस महान् आदर्श को हृदय में रख कर स्वर्गीय सनयात सेन महोदय ने कार्यारम्भ किया था, उस आदर्श की प्रतीक्षा अभी चीन में नहीं हुई है। क्योंकि अभी भी वहाँ कुलीनों और धन वालों का ही बोल बाला है। उनका कहना है कि जिस दिन चीन के किसान और मज़दूर स्वयं शासन-सूत्र ग्रहण करेंगे, उसी रोज़ चीन वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त करेगा। यह देवी स्वयं आदर्श की प्रतिष्ठा में लगी हैं और क्रमशः सफलता की ओर अग्रसर हो रही हैं।

❀ ❀ ❀

लोगों का काम है। इस तरह पर धन-सत्ता और कुछ दिन चल सकती थी, परन्तु अब नहीं चल सकती, क्योंकि ग़रीबों के शरीर से रक्त का अन्तिम बूँद निकल चुका है। पृथ्वी पर धन-सत्तावादियों के बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित हैं। यह एक दूसरे की मदद करके धन-सत्तावाद को वश चलते नाश न होने देंगे। किसी एक देश में साम्यवाद क़ायम हो जाने से संसार में शान्ति नहीं विराज सकती। इसके लिए सारे संसार के ग़रीबों को—क्या मज़दूर, क्या किसान, क्या सिपाही और प्यादे, सबको मिल कर कोशिश करने की ज़रूरत है।

अमेरिका और फ़्रान्स आदि की प्रजातन्त्र सरकारें, जो पार्लामेण्ट या राजसभा द्वारा चलती हैं, उनमें और मेहनतियों की प्रजासत्ता सरकार में क्या अन्तर है, यह बात जान रखने की है। मज़दूरों या श्रमजीवियों के प्रजातन्त्र सरकार में जो लोग मेहनत नहीं करते, पड़े-पड़े हरामख़ोरी करते हैं, दूसरों की कमाई से मौज उड़ाते हैं, उनको न प्रतिनिधियों के चुनाव में मत देने का अधिकार होगा और न उन्हें शासन में भाग लेने दिया जायगा। मेहनती लोगों का देश पर शासन होगा। राजसभा में केवल श्रमजीवी या मेहनत करने वालों को ही प्रतिनिधि चुना जायगा। इन प्रतिनिधियों का चुनाव उसी जगह होगा, जहाँ वह काम करते होंगे, जैसे मिल, कारख़ाने, आकर और छोटे-बड़े ग्राम, जिनमें किसानों का समूह बसता हो। धनवान, ज़मींदार, सराफ़, सट्टेबाज़, सौदागर, दूकानदार, सूदख़ोर, पुरोहित, पण्डे, पुजारी और धर्मयाजक न मत दे सकेंगे, न किसी काम पर रक्खे जायँगे।

धन वालों के पार्लामेण्टरी प्रजातन्त्र की जड़ कौन्सिल और एसेम्बली होती है। लेकिन श्रमिक प्रजातन्त्र का प्रधान आधार श्रमजीवियों की पञ्चायत है। श्रमजीवियों की पञ्चायत और धनवानों की एसेम्बली या राज्य-परिषद में एक ख़ास अन्तर है। श्रमिक पञ्चायत में केवल मेहनत करके खाने वाले ही शामिल होते हैं और धनवानों की राज्य-परिषद में धनवान, ज़मींदार और धर्मयाजक भी शामिल हो सकते हैं और उनके आश्रित भी चुने जा सकते हैं। यह लोग अपना बल रुपए के ज़ोर से जमा लेते हैं और ग़रीबों का कोई हाथ शासन में नहीं रहने देते।

छापाख़ाना, अख़बार, मासिक पत्र, बड़े-बड़े वक्ता, सब अमीरों के धन के बल उन्हीं का पक्ष लेते हैं। बहुत से गुमाश्ते, एजेण्ट इनके इशारे पर काम करते हैं। कितनों को ओहदों की रिशवत देकर धनवान लोग अपनी तरफ़ मिला लेते हैं। बड़ी-बड़ी तनख़्वाहों की मिनिस्ट्री वग़ैरह के लोभ में आकर विद्वान लोग धनवान के और उनके द्वारा सञ्चालित शासन-तन्त्र के पक्ष में हो जाते हैं।

धन-सत्तावादिनी राज्य-परिषद के चुनाव में कहा जाता है कि सबको मत देने का अधिकार है। परन्तु यह अधिकार ३,४ या ७ वर्ष के बाद एक दिन को ही देखने में आता है। ग़रीबों, मज़दूरों को झूठा लोभ देकर या बात बना कर धनवान लोग वोट (मत) ले लेते हैं और मनमानी करते रहते हैं। दूसरे चुनाव तक उनकी कुत्तों के बराबर भी क़द्र नहीं होती। इस तरह वाग्जाल से निर्धनों को धोखा दिया जाता है, ठगा जाता है और प्राकृत अधिकारों से वञ्चित रक्खा जाता है। फ़्रान्स, स्विटज़रलैण्ड और उत्तर अमेरिका संयुक्त राज्यों के प्रजातन्त्र हमारे सामने मौजूद हैं; हम आँखें खोल कर देख सकते हैं।

लेकिन श्रम-सत्तावादिनी सरकार में सब श्रम करने वाले ही होते हैं। किसान, मज़दूर, फ़ौज और पुलीस के सिपाही सब भाई-भाई की तरह मिल कर अपना प्रबन्ध करते हैं। इसमें कोई किसी को लूटने या कष्ट देने की चेष्टा नहीं करता, मिल कर कमाना या पैदा करना और खाना इनका ध्येय होता है। इसका प्रबन्ध बहुत ही सावधानी से और अलग सिद्धान्त पर होता है। श्रमिक सरकार जन-समूह से अलग धनवानों के आश्रित वेतन-भोगियों के गुट्ट पर निर्भर नहीं होती। श्रमिकों और किसानों की सहायता और समर्थन से श्रमिक सरकार और उसके अङ्ग काम करते हैं। मज़दूर-सभाओं (ट्रेड-यूनियन), कारख़ानों और फ़ैक्टरियों की समितियाँ (कमिटियाँ), मज़दूरों और किसानों की स्थानीय पञ्चायतें, सिपाहियों और जहाज़ियों आदि की सङ्गठित सभाएँ सब मिल कर केन्द्रीय श्रमिक सरकार का समर्थन और संरक्षण करती हैं। इस केन्द्रीय सरकार से हज़ारों-लाखों शाखाएँ निकल कर सर्वत्र फैल जाती हैं। पहले तो प्रान्तों और ज़िलों में पहुँचती हैं। उसके बाद क़स्बों और क़स्बों से छोटे-छोटे ग्रामों तक में श्रमिक प्रजातन्त्र की शाखाएँ अपना स्थान मज़बूत कर लेती हैं। किसानों, कारीगरों और कारख़ानों तक में हज़ारों मेहनतियों को एक सूत्र में बाँध कर श्रमिक प्रजातन्त्र काम करता है। जितनी भी संस्थाएँ श्रमिक प्रजातन्त्र की होती हैं, सबका सङ्गठन इसी नीति और रीति पर होता है। सार्वजनिक सम्पत्ति की प्रधान कौन्सिल को ही लीजिए। यह कौन्सिल ट्रेड-यूनियनों की कैन्द्रिक कमिटी, कारख़ानों और दूसरे सङ्गठनों की कमिटी के प्रतिनिधियों से बनती है। ट्रेड-यूनियनों में कपड़ा, जूता वग़ैरह सभी चीज़ों को बनाने या पैदा करने वाली शाखाओं का मिला हुआ सङ्घ होता है। इनकी शाखाएँ हर क़स्बे में होती हैं। कारख़ानों और कारीगरों आदि के समूहों का सङ्गठन इनको अपनाए रहता है। हर कारख़ाने और कारीगरी के काम करने वालों की एक कमिटी होती है। इस कमिटी को कारख़ाने वाले ही चुनते हैं। यह छोटी-छोटी कमिटियाँ मिल कर प्रधान कौन्सिल को अपना प्रतिनिधि भेजती हैं। प्रधान कौन्सिल पैदावार के तरीक़े बतलाती और साम्पत्तिक कामों की सलाहें देती रहती है। इस तरह नीचे से ऊपर तक सर्वत्र मज़दूरों और किसानों का हाथ होता है। इनमें ग़रीब से ग़रीब और छोटे से छोटा आदमी भी एक समान सम्मिलित होता और काम करता है। यह बात धनवानों के शासन-प्रबन्ध में नहीं होती। इसलिए श्रमिक प्रजातन्त्र और धनसत्तावादी प्रजातन्त्र में बड़ा अन्तर होता है। सब से बड़ी बात, जो श्रमिक शासन में होती है वह यह है कि श्रमिकों की स्वतन्त्र पञ्चायतें देश का शासन करती हैं और बड़े-बड़े सङ्घों (यूनियनों) से लगातार लगाव बना रहता है और जनता का समूह सब समय देश के प्रबन्ध में भाग लेता रहता है। इस ढङ्ग से प्रत्येक सङ्गठित काम करने वाला अपना प्रभाव काम में ला सकता है। ऐसा नहीं होता कि महीने या दो महीनों में अपना प्रतिनिधि चुन कर ही लोग अलग हो जायँ।

पहले ट्रेड-यूनियनें माल की पैदावार का एक ढाँचा या तजवीज़ तैयार करती हैं, यह ढाँचे सार्वजनिक सम्पत्ति की कौन्सिल में पेश होकर विचार में आते हैं और जो वह काम में लाए जा सकने वाले प्रतीत होते हैं तो उन पर अमल किया जाता है और उनको क़ानून की हैसियत मिल जाती है। इस तरह हर एक छोटी कमिटी एक नया लाभदायक ढङ्ग खड़ा कर सकती है। धनवानों के शासन में साधारण जनता जितनी प्रबन्ध के काम से उदासीन रहे, उतना ही गवर्नमेण्ट (शासन-सरकार) को सुख प्रतीत होता है। धनिक सरकार यह नहीं चाहती कि उसके काम में प्रत्येक आदमी का हाथ हो, क्योंकि उसके स्वार्थ ग़रीबों के स्वार्थ से भिन्न होते हैं। धनिक सरकार का आधार साधारण जन-समूहों को छलना होता है। वह जनता को औंधा नींद में रखना चाहती है, बिलकुल जागने नहीं देती। जनता को

बिखरे मोती

[संग्रहकर्ता—श्री० हरिश्चन्द्र वर्मा, विशारद]

राष्ट्र को अपनी भावी उन्नति के लिए श्रेष्ठ माताओं से बढ़ कर और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं।

❃

न्याय तथा सन्धियों की रक्षा के अतिरिक्त, दो राष्ट्रों में अनन्त-ऐक्य-स्थापन के लिए और कोई साधन नहीं।

❃

सदाचार ही जीवन की ज्योति है; जिससे वह चमकता है और जिसके अभाव से वह अन्धकारमय हो जाता है।

❃

जिस कार्य के कर सकने में असमर्थ हो उसे करने का बीड़ा मत उठाओ, परन्तु अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने को सदा सावधान रहो।

❃

मनुष्य को दोनों समय पेट भरने की चिन्ता में ही निमग्न रहना शोभा नहीं देता।

❃

उन्नति-पथ उद्यान की भाँति साफ़-सीधी सड़क नहीं, कँटीदार झाड़ियों से भरा हुआ जङ्गली रास्ता है। यहाँ कठिनाइयाँ हैं, परीक्षा है, वियोग की दारुण यातना है। यहाँ वास्तविकता का ताण्डव-नृत्य है, कल्पना का सुखद स्वप्न नहीं।

❃

केवल अपने ही लिए मत जियो।

❃

असहयोग और कुछ नहीं, केवल सद्प्रवृत्तियों का सरकार और कुप्रवृत्तियों का त्याग है।

❃

क्रान्ति समस्त दैवी कोपों से बढ़ कर दुर्भाग्य है।

❃

दासता की बेड़ी काटने के लिए सत्य व्रत से बढ़ कर दूसरा अस्त्र नहीं।

❃

शान्ति की अभिलाषा करने वाले को युद्ध की तैयारियाँ करनी चाहिए।

❃

कठिनाई ही परीक्षा की कसौटी है।

❃

असफलता नहीं, हीन उद्देश्य पाप है।

❃

किसान ही देश की आत्मा हैं और बच्चे ही देश के भविष्य, दोनों के शिक्षित होने में ही कल्याण है।

❃

धनिक शासन इस काम में हाथ नहीं लगाने देता, कुछ वर्षों के बाद एक बार उसका मत-चुनाव के समय ही लेता है और उसको उसी के मत (वोट) से धोखा देता रहता है।

❃ ❃ ❃

मिश्र के मुसलमानों और क़ब्तियों में समझौता

साम्प्रदायिक समस्या कैसे हल हुई

एक प्रमुख मिश्री सम्पादक का पत्र

[बम्बई के विख्यात राष्ट्रवादी मुसलमान नेता सेठ हाजी अब्दुल्ला हारूँ साहब ने मिश्र के 'अलबलाग़' नामक विख्यात पत्र के सम्पादक और मिश्र के राष्ट्रीय दल के नेता हज़रत अब्दुल क़ादिर बकहमज़ा को एक पत्र लिख कर हिन्दू-मुस्लिम समस्या को सुलझाने का उपाय पूछा था। इस पत्र का उत्तर जो 'अलबलाग़' के सम्पादक महोदय ने सेठ साहब को प्रदान किया है, उसका अनुवाद कलकत्ते के नवजात उर्दू दैनिक "हिन्दू" के आधार पर नीचे दिया जाता है।

—सम्पादक 'भविष्य']

श्रीमन्महाशय,

आपका पत्र मिला। आप लिखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता महात्मा गाँधी की ओर जब से अङ्गरेज़ सरकार ने मित्रता का हाथ बढ़ाया है, तब से हिन्दू-मुसलमानों में केवल छोटी-छोटी बातों पर विरोध उत्पन्न हो गया है। यह विरोध भी उसी तरह से दूर होना चाहिए, जिस तरह मिश्र में मुसलमानों और क़ब्तियों का विरोध दूर हुआ था। अतः आप मुझसे नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं :—

१—मिश्र में क़ब्तियों और मुसलमानों का झगड़ा कैसे मिटा?

२—क्या वे बातें, जिनके अनुसार क़ब्तियों और मुसलमानों का झगड़ा तय हुआ था, मिश्र के शासन-विधान में लिख दी गई हैं?

३—क्या राज्य-परिषद् और म्यूनिसिपैलिटियों में मुसलमानों और क़ब्तियों के लिए जगहें नियत कर दी गई हैं?

इन प्रश्नों के उत्तर देने के पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ऐसे गम्भीर विषय की ओर ध्यान दिया और मेल की ओर आकृष्ट हुए। इससे अधिक और कौन सा पवित्र काम हो सकता है? हिन्दुस्तानी जाति के दोनों पक्ष हिन्दू और मुसलमानों में जितने मतभेद हैं, सब विदूरित कर दिए जायँ, जिससे दोनों अपनी प्यारी जन्म-भूमि की सेवा में एक शरीर बन कर लग जायँ और इस अभागिनी फूट का अन्त हो जाय, जो देश के विजातियों के शासन और अधिकार का कारण बनी हुई है। अगर अपने ही सदृश विचारशील हिन्दुओं की सहायता से आप दोनों पक्षों में एकता सम्पादन कर सके तो विश्वास कीजिए कि यह ऐक्य लोहे की दीवार साबित होगा। यह ऐसी दीवार होगी कि विदेशीय विजेताओं की सारी गढ़न्तों को आपके देश में फैलने से रोक देगी। आपकी यह एकता केवल हिन्दुस्तान के ही लिए लाभदायक न होगी, प्रत्युत इसका प्रभाव भारत की सीमा के बाहर भी पड़ेगा, यहाँ तक कि इससे सारा पूर्व और पश्चिम—सारा संसार—इनके बल से हिल जायगा।

अगर मिश्र का क़ब्ती-मुस्लिम ऐक्य भारत के हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के लिए कुछ भी लाभदायक सिद्ध हुआ, जैसा कि आप आशा करते हैं, तो मिश्री लोग अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझेंगे और इस बात का अभिमान करेंगे कि हिन्दुस्तानी भाइयों की मुक्ति में उनका भी हाथ एक सीमा तक काम करता रहा है।

अब मैं आपके प्रश्नों का क्रमशः उत्तर लिखता हूँ।

घटना यह है कि सन् १९१८ में जब अहमद सआद पाशा ज़ग़लूल ने हमारी जन्म-भूमि के आन्दोलन की बागडोर अपने हाथ में ली, तो उन्होंने अपने आन्दोलन की कृतकार्यता के लिए क़ब्तियों और मुसलमानों की एकता को सब से ज़्यादा ज़रूरी समझा। सुतरां उन्होंने मेल का निमन्त्रण देना प्रारम्भ किया और स्वतन्त्रता की माँग के लिए जो सभा उन्होंने 'वफ़्द' के नाम से खोली, उसमें बुद्धिमान क़ब्तियों को भी शामिल किया। वास्तव में मिश्री जाति की शिक्षा-दीक्षा दोनों सम्प्रदायों में एकता के लिए चेष्टा कर रही थी। जब क़ब्तियों और मुसलमानों की यह सम्मिलित सभा कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण हुई, तो सारे ही मिश्रवासी इस अभिनव-युग के आरम्भ से बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि इसकी नींव उनके पथ-प्रदर्शक नेता ने डाली थी। इन्हें यह देख कर बड़ा सन्तोष हुआ कि मिश्र जाति के दो समुदाय, मुसलमान और क़ब्ती, मिल कर एक बन कर, प्यारी जन्म-भूमि के सामने खड़े हों; सब मिश्री हों, न कि क़ब्ती और मुसलमान।

स्वतन्त्रता के लिए विद्रोह

इसके बाद १९१९ में मिश्री जाति ने स्वतन्त्रता के लिए बग़ावत का झण्डा उठाया, तब अङ्गरेज़ों ने इसे बिल्कुल कुचल डालने की तैयारी की, किन्तु उनका सामना करने के लिए क़ब्ती और मुसलमान दोनों मिल कर मैदान में आ डटे। परिस्थिति ऐसी हो गई कि मुसलमानों के उल्मा (विद्वान पण्डित) क़ब्तियों में उपदेश करने लगे और क़ब्तियों के पादरी मस्जिद के मिम्बरों पर व्याख्यान देने लगे। दोनों समुदायों के अग्रगण्य लोग कन्धे से कन्धा मिला कर मैदान में खड़े हुए और अङ्गरेज़ी बन्दूक़ों का लक्ष्य बनने लगे।

ब्रिटेन का जाल

यह परिस्थिति १९२२ तक रही, फलतः २८ फ़रवरी को ब्रिटिश शासन ने मिश्र की स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली, परन्तु इस स्वतन्त्रता की लिखत में उसने कुछ संरक्षण (सेफ़ गार्ड्स) रख दिए। इन संरक्षणों में से एक यह भी था कि ब्रिटेन अल्प-संख्यक समुदायों की रक्षा का ज़िम्मेदार होगा।

इस वक़्त सब समझ गए कि इस चाल से ब्रिटेन का अभिप्राय क़ब्तियों को अपने हाथ की कठपुतली बनाना और मुसलमानों के साथ सदा लड़ाते रहना है।

ज्योंही यह घोषणा प्रकाशित हुई, मुसलमान तो पीछे रहे, पहले क़ब्तियों ने ही इसका विरोध किया। यद्यपि इनकी संख्या अत्यन्त ही न्यून थी, फिर भी इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ब्रिटेन की यह घोषणा न केवल देश की स्वाधीनता के विरुद्ध है, बल्कि एक विदेशीय जाति का हमारे देश के भीतरी बातों में हस्तक्षेप भी है, सुतरां चाहे कुछ भी क्यों न हो, हम इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

मिश्र का शासन-विधान कैसे बना?

फिर मिश्र वालों की एक समिति ने मिश्र के शासन के लिए एक विधान बनाना आरम्भ किया। इस समिति के केचित सदस्य क़ब्ती थे। एक क़ब्ती सदस्य ने समिति में इस बात पर ज़ोर दिया कि क़ब्तियों के हक़ (अधिकार) नियत कर दिए जायँ और उनके लिए समिति में जगहें अलग रख दी जायँ और यह जगहें सदा क़ब्तियों के लिए सुरक्षित रहें। लेकिन जब यह प्रस्ताव जनता के सामने आया तो जनता ने सार्वजनिक रूप से इसका घोरतम विरोध किया। विरोधियों में क़ब्ती ही सब से आगे थे।

प्रस्तावक क़ब्ती महाशय की दलील यह थी कि अल्प-संख्यक क़ब्तियों के लिए अधिकारों का निश्चय कर देने से यह लाभ होगा कि बहु-संख्यक समुदाय को भी परितोष हो जायगा, क्योंकि दोनों को मालूम हो जायगा कि किसे कितना मिलना चाहिए। इस तरह होने से कोई किसी पर ज़्यादती न कर सकेगा, न कोई शत्रु कभी दोनों में अनबन करा सकेगा। परिणाम यह होगा कि दोनों में परस्पर विश्वास और प्रेम बढ़ता चला जायगा।

जिन लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, उनका तर्क यह था कि धर्म की बुनियाद पर अधिकारों के बटवारे का फल यह होगा कि मिश्री एक जाति होते हुए भी अलग-अलग वर्गों में विभक्त हो जायँगे। अलग-अलग धर्म के होने से मिश्री जाति दो नहीं हो सकते, इसलिए अधिकारों का बटवारा प्रारम्भ में चाहे कुछ परितुष्टि का कारण सिद्ध हो, लेकिन आगे चल कर यह जातीयता के भाव को खोखला करके नष्ट किए बिना न रहेगा। इस बटवारे का अवश्यम्भावी फल यह होगा कि बहुमत सदा अपनी बहुमत्ता स्थिर रखने के लिए चेष्टावान बनी रहेगी और अल्प संख्या वाले सदा इससे भयभीत बने रहेंगे। इससे दिलों में डाह और शत्रुता समृद्ध होती रहेंगी, धार्मिक कट्टरता उभरती रहेगी और मिश्री जातीयता का भाव क्षीण होता चला जायगा, यद्यपि उचित तो यह है कि प्रत्येक देश इस भाव को अपने में जाग्रत और उत्तेजित करे—उभारे! इन दोनों तर्कों को जब जनता के सामने रक्खा गया तो उसने पिछली बात को ही मान्य किया। क्योंकि मिश्री जाति की शिक्षा-दीक्षा ही ऐसी थी कि इसी भाव को ओर लोगों को आकृष्ट करती थी।

इस तरह पर जो शासन-विधान बना उसमें क़ब्तियों के लिए अलग-अलग अधिकार नहीं रक्खे गए। फिर सन् १९२३ में सरकारी रीति से इस सम्विधान की घोषणा की गई और उसमें भी अलग-अलग अधिकारों की ओर कोई इशारा नहीं दिया गया।

परिणाम क्या हुआ?

अब प्रश्न उठ सकता है कि इसका परिणाम क्या हुआ?

इसका उत्तर मैं यह देता हूँ कि वर्षों से यह रीति प्रचलित हो गई थी कि मिश्री मन्त्रि-मण्डल में एक क़ब्ती मन्त्री रक्खा जाता था। लेकिन हमारे पथ-प्रदर्शक श्री० सआद ज़ग़लूल पाशा ने १९२४ में नवीन मिश्री शासन-सम्विधान के आधार पर अपना पहला मन्त्रि-मण्डल बनाया, तो उसमें उन्होंने एक की जगह दो

(शेष मैटर २७वें पृष्ठ के पहले और दूसरे कॉलम में देखिए)

सफल जीवन

[श्री० गङ्गाविष्णु पाण्डेय, विद्याभूषण, 'विष्णु']

जो किसी के दन्द-फन्द में न रहता है और,
उन्नति किसी की देख के न जाता जल है।
क़र्ज़ लेने की कभी ज़रूरत न होती जिसे—
और पेट की समस्या होती जाती हल है।
जिसका हृदय-पद्म नवनीत सा है मृदु,
दूसरों के दुख से जो हो जाता विकल है।
जीव-मात्र को जो देखता है आत्मा समान,
'विष्णु' उसी मानव का जीवन सफल है।

❀

अच्छे कर्म में ही जो व्यतीत करता है काल,
व्यर्थ में न खोता जो कभी भी एक पल है।
पर-उपकार में जो रहता लगा है नित्य,
जिसका विचार दृढ़ ध्रुव सा अचल है।
रखता सदैव सत्य का ही व्यवहार जो है,
करता किसी से जो न भूल कर छल है।
जिसकी प्रशंसा सज्जनों की मण्डली में होती,
'विष्णु' उसी मानव का जीवन सफल है।

❀ ❀ ❀

अवसान

[श्री० रामगोपाल जी विजयवर्गीय]

मन्द-मन्द मनहर वह तेरी
लखि उल्लासमयी मुसकान।
किसका हृदय न मुग्ध हुआ था
चाह-भरी चितवन पहिचान।
मचल उठा किसका न मत्त मन,
दौड़े दृग सब तेरी ओर।
विकल हुए कर शीघ्र पकड़ने—
को चञ्चल तव अञ्चल छोर।
बँध कर तेरे प्रेम-पाश में,
ले-लेकर आए उपहार।
प्राण तलक भी किया निछावर,
जान तुझे जीवन-आधार।
किन्तु जिस समय तेरा जग ने,
होता हुआ लखा अवसान।
शेष रहा न किसी के दृग में,
लेश-मात्र भी तेरा मान।
पहिचाने सब परे हो गए,
जाने भी बन गए अजान।
पल्ला झाड़ पास वाले भी
एक-एक उठ चले निदान।
विदा हुआ वैभव सारा ही,
रहा न कुछ विकास का वास।
तेरे प्रश्नों के उत्तर में,
केवल रहा एक उपहास।

❀ ❀ ❀

याद

[श्री० जनार्दनप्रसाद झा 'द्विज', एम० ए०]

नयन-सीमा से हट कर दूर,
भूल जाना है प्रचलित प्रथा।
कौन किसकी सुनता? दिन-रात
सुनाते सब अपनी ही व्यथा।
सदयता के नाते, फिर भी न
पाप है—एक बार कर याद—
पिला देना प्यासे को 'प्यार',
खिलाना भूखे को 'आह्लाद'।
बिसर जाने वाली 'वह साध'
मरी, सुधि रोती है चुपचाप।
थके जीवन की प्यासी चाह,
बढ़ाए ही जाती सन्ताप!
न जाने रह-रह कर क्यों आज
याद-सी आती कोई बात!
विगत सुख का भूला इतिहास
सुनाती क्यों यह सूनी रात?

❀ ❀ ❀

सुन्दर

[श्री० कपिलदेव नारायणसिंह जी, 'सुहृद']

सुन्दर है कुसुमों के वन में
ऋतुपति का आना-जाना!
सुन्दर है फूलों के सम्मुख,
भौंरों का गुन-गुन गाना!!
सुन्दर है रजनी का तारों—
से भूषित मोहक शृङ्गार!
सुन्दर है व्याकुल मेघों का,
सूखे पर जल रिमझिम धार!!
सुन्दर है इस विश्व-मञ्च पर
परिणय विरह मिलन का,
किन्तु आह! कितना सुन्दर है
पटाक्षेप जीवन का?
सुन्दर है सूखी डालों पर
कोयल का रोना-गाना।
सुन्दर है सूने वन में कोमल—
कलियों का मुरझाना!!
सुन्दर प्रातः-चन्द्र और
सुन्दर सन्ध्या का रवि है।
सुन्दर अति सुन्दर विषाद से
भरा वियोगी कवि है!!
सुन्दर अहम्भाव धनियों का
तिरस्कार निर्धन का!
पर कितना सुन्दर घायल—
अरमान हमारे मन का!!

❀ ❀ ❀

आँसू

[श्री० कृष्णकुमार जी ज्ञानी]

हे आँसू! क्यों ढुलक रहे हो
बन कर अविरल मोती!
देखो, कहीं जगा मत देना
शान्ति-मूर्ति है सोती!!
माना मैंने चढ़ा रहे हो
मुक्ता का उपहार!
आज पिन्हाने आए
बेसुध पीड़ा का हार!!
अगर बह कर मिल जाए शान्ति,
बहो पर गिरो न उनकी गोद।
कष्ट झेलो, पर कष्ट न दो,
कष्ट देने में कौन प्रमोद?

❀ ❀ ❀

कलियाँ

[श्रीमती जनककिशोरी देवी 'नवीना']

मत तोड़ो इन नव-कलियों को,
इन्हें ज़रा खिल जाने दो।
मदन-मत्त मधुपों से इनको
एक बार मिल जाने दो॥
निर्जन नीरव निविड़ निशा में
जी भर कर हँस लेने दो।
झूम-झूम कर मारुत को
सुखमय सौरभ-रस देने दो॥
हरी-भरी पल्लव-शय्या पर—
सोती हैं, जग जाने दो।
पवन-गोद में चिटख-चिटख कर,
प्रेम-गान तो गाने दो॥

❀ ❀ ❀

सावधान!

[श्री० कालीप्रसाद जी 'विरही']

मुझ 'अबला' का दोष नहीं, यदि
जल, थल, मिल हों एकाकार!
बूँद-बूँद, सागर बन जावे,
डूब जाय ब्रह्माण्ड-अपार!!

❀

मैं दोषी हूँ नहीं, कहीं यदि—
झुलस उठे सारा संसार!
सूर्य जले, वसुधा कँप जावे,
या बरसावे नभ अङ्गार!!

❀

सावधान! निकली पड़ती है,
मेरे इन नयनों की राह—
एक बूँद 'आँसू' की बरबस,
और हृदय से आकुल 'आह'!!

❀ ❀ ❀

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

श्री० बालकृष्ण माहेश्वरी—प्रधान मन्त्री श्रीगाँधी सेवा-समिति कानपुर। साइनबोर्ड के सम्बन्ध में आपने बड़ी मुस्तैदी से हिन्दू-अधिकारों की रक्षा की थी।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि—श्री० जगदम्बाप्रसाद मिश्र 'हितैषी', आप कानपुर के विख्यात राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं और अभी हाल में ही जेल से छूट कर आए हैं।

श्री० पण्डित रङ्गेश शर्मा—आप सारन (बिहार) के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। साढ़े नौ मास जेल में रह कर छूटे हैं। गत सन् १९२१ के आन्दोलन में भी आपको एक साल की सज़ा दी गई थी और जुर्माने में पुलीस आपके घर का छप्पर तक उजड़वा ले गई थी!

संसार के सब से छोटे (३९ वर्षीय) पादड़ी—राईट रेवरेण्ड डब्लू बाऊटर, जो हाल ही में भारत-भ्रमण करके सान फ़्रान्सिस्को (अमेरिका) पहुँचे हैं। भारतीय ज़ात-पाँत के सम्बन्ध में पूछने पर आपने कहा कि "ज़ात-पाँत का वहाँ उतना ही भेदभाव है, जितना कि यूनाइटेड स्टेट्स में।"

'भविष्य' तथा 'चाँद' के प्रतिभाशाली चित्रकार—श्री० पी० मुकर्जी

६८ वर्ष की परिपक्व अवस्था में पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने वाले सर जहाँगीर कोठारी (बम्बई)—जो अभी तक दस बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर चुके हैं।

संसार का सब से वृद्ध व्यक्ति—श्री० हदशी अहमद (टर्की), जिसकी उम्र १३६ वर्ष की बतलाई जाती है। यह ज़ईफ़ अपने को जगत-प्रसिद्ध ज़ारा का प्रतिद्वन्दी बतलाता है।

बजाना रियासत के प्रजा-प्रिय ज़मींदार—राजा श्री० कमलखान जी—जिन्होंने हाल ही में अपने किसानों को २२,०००) रु० की माफ़ी की घोषणा की है और कर्मचारियों को १ मास का अधिक वेतन भी दिया है।

बर्लिन (जर्मनी) में आपने एक मित्र के यहाँ भारतीय धारा-सभा के भूतपूर्व प्रधान—श्री० विट्ठलभाई पटेल

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

मारवाड़ का दारुण चित्र

अभागिनी मारवाड़ी-महिला की पोशाक का एक नमूना

जयपुर, बीकानेर के तरफ़ की अभागे दरोगा (गोला) जाति की एक स्त्री, जिनका एकमात्र व्यवसाय जागीरदार ठाकुरों की गुलामी ही है !

बीकानेर की स्वाभाविक पोशाक में एक मारवाड़िन युवती

सामाजिक कुरीतियों का शिकार [मारवाड़ की अभागिनी वेश्याएँ]

अभागिनी विधवाओं का व्यवसाय

शहरी गृहस्थ-स्त्रियों का पहिनावा

आटा पीसते हुए मारवाड़ की एक अभागिनी विधवा

यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं ?

मद्रास में राष्ट्र-भाषा हिन्दी की प्रेमिका—कुमारी के० मलाथी—जिन्होंने हिन्दी की सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करना ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया है, आपको अब तक अपनी अलौकिक सफलता के लिए कई बार पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

विज़गापट्टम के सैकेण्डरी और ट्रेनिङ्ग स्कूल की प्रधान अध्यापिका—कुमारी ई० डब्लू० ग्रे—जो गत वर्ष अपनी सर्वोच्च शिक्षा समाप्त करके इङ्गलैण्ड से लौटी हैं।

कोचीन हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार श्री० ए० बी० कृष्णा-अय्यर की कन्या-रत्न—कुमारी ए० के० रुक्मिनी—जिन्होंने सङ्गीत-शास्त्र का अध्ययन ही अपने जीवन का सर्वोच्च साधन मान लिया है।

काशी-विश्वविद्यालय के दर्शन-शास्त्र के प्रोफ़ेसर श्री० पी० बी० अधिकारी की कन्या-रत्न—कुमारी भक्ति अधिकारी। आप गत वर्ष बी० ए० की परीक्षा में सर्व-प्रथम उत्तीर्ण हुई थीं।

चिङ्गलपेट (मद्रास) की ज़िला शिक्षा-कौन्सिल की सदस्या—श्रीमती जयालक्ष्मी कुमार—आप स्त्री-शिक्षा के प्रचार के लिए बहुत उद्योग कर रही हैं।

निज़ाम-हैदराबाद के मेडिकल ऑफ़िसर डॉक्टर अशरफ़ुल हक़ की १६ वर्षीय पुत्री—मिस आर० बेगम—जो डॉक्टरी की सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत गई हैं।

बड़ौदा म्युनिसिपैलिटी की मनोनीत सदस्या—श्रीमती दहिगौरी देवी—इस प्रतिष्ठित पद को सुशोभित करने वाली बड़ौदा-स्टेट की आप सर्व-प्रथम महिला-रत्न हैं।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

काशी विश्व-विद्यालय के प्रोफ़ेसर चन्द्रभाल जौहरी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विशालाक्षी एम० ए०। यह अन्तर्जातीय संयोग अभी हाल में ही हुआ है। क्योंकि प्रोफ़ेसर जौहरी संयुक्त-प्रान्त निवासी और उनकी पत्नी मद्रासी हैं। पाठकों को स्मरण होगा, जौहरी जी पर काकोरी-षड्यन्त्र के सम्बन्ध में मामला भी चल चुका है।

स्वर्गीय पं० मोतीलाल जी नेहरू के स्मारक का डिज़ाइन—जिसे लखनऊ कला-विद्यालय (Govt. School of Arts and Crafts) के कलाविद श्री० सरीशचन्द्र चैटर्जी ने बनाया है।

चीन की शाही किश्ती; जो बड़े क़ीमती पत्थरों द्वारा बनाई गई है और जिसमें बैठ कर चीन के बादशाह सलामत प्रायः हवाख़ोरी तथा मनोविनोद के लिए निकलते हैं। इसकी सुन्दरता के कारण इसे लोग 'चीन की विचित्र करामात' कहते हैं।

मिसेज़ बख़्शी (लखनऊ)—यह चित्र उस समय का है, जब कि गत २१ जून को, सिर्सागञ्ज (मैनपुरी) के तृतीय ज़िला कॉन्फ़्रेन्स के अवसर पर आपने राष्ट्रीय झण्डे का अभिवादन-समारोह सम्पन्न किया था।

मि० ई० स्प्रिङ्ग—जो न्यू साउथ वेल्स के स्टेट हस्पताल में ४,५०० लोगों का खाना नित्य तैयार किया करते हैं। कहा जाता है, पिछले ३० वर्षों में आपने १० लाख व्यक्तियों का खाना तैयार किया है। भारतीय महिलाओं को आपसे डाह करने का नैसर्गिक अधिकार है।

मैनपुरी ज़िले के प्रमुख कार्यकर्ता, (बाँईं ओर से) १—श्री० रतन गुप्त, २—ठाकुर भरतसिंह और ३—ठाकुर गयाप्रसाद सिंह—तीनों सज्जन निर्दिष्ट काल तक नौकरशाही के मेहमान भी रह चुके हैं।

फिर नए सर से हरे होने लगे ज़ख़्मे कुहन, आई फिर अटखेलियाँ करती हवा बरसात की।
इसने चल कर और मेरे दिल को छलनी कर दिया, तीर से कुछ कम नहीं ठण्ढी हवा बरसात की।

झूमती आती है मस्तानी घटा बरसात की,
साथ कैफ़ीयत[1] के चलती है हवा बरसात की।
बादबाँ[2] का काम करती है घटा बरसात की,
कश्तिए मै[3] से मुवाफ़िक़ है हवा बरसात की।
हसरते साक़ी में रोता हूँ जो मैं दिल खोल कर,
गरमियों में चलने लगती है हवा बरसात की।

—"आतिश" लखनवी

ज़ौक़े[4] मै नोशी बढ़ाती है घटा बरसात की,
और ले उड़ती है मस्तों को हवा बरसात की।
शीरए अङ्गूर को करती है आबे[5] आतशीं,
आग पानी में लगाती है हवा बरसात की।
मैकदे में बोतलों के मुँह से उड़ जाते हैं काग,
होश मस्तों के उड़ाती है हवा बरसात की।
डाल कर झूला चमन में तुमने जब गाए मलार,
पेंग देने के लिए आई हवा बरसात की।

—"अमीर" लखनवी

देखना सूखी हुई शाख़ों में भी जान आ गई,
हक़ में पौधों के मसीहा है हवा बरसात की।
पार उतर जाएँगे बहरे ग़म से रिन्दे[6] बादानोश,
ले उड़ेगी कश्तिए मै को हवा बरसात की।
ख़ुद बख़ुद ताज़ा उमङ्गें जोश पर आने लगीं,
दिल को गरमाने लगी ठण्डी हवा बरसात की।
वह दुआएँ मै कशों की और वह लुत्फ़े इन्तिज़ार,
हाय किन नाज़ों से चलती है हवा बरसात की!
मैं यह समझा अब्र के रङ्गीन टुकड़े देख कर,
तख़्त परियों का उड़ा लाई हवा बरसात की।

—"चकबस्त" लखनवी

तीर से कुछ कम नहीं यह भी फ़िराक़े यार में,
मेरे दिल के पार होती है हवा बरसात की।
बादाख़्वारी का मज़ा जो कुछ है इसके दम से है,
हमसे जाएगी कहाँ उठ कर हवा बरसात की।
फिर नए सर से हरे होने लगे ज़ख़्मे कुहन[7],
आई फिर अटखेलियाँ करती हवा बरसात की!
दिल तड़प उट्ठा कभी देखा जो अब्र[8] उठते हुए,
गर्म इसको कर गई ठण्ढी हवा बरसात की।

—"नूह" नारवी

आस्माँ पर छाई है काली घटा बरसात की,
अल्लह-अल्लह कोई देखे यह अदा बरसात की।

—"ग़ाफ़िल" इलाहाबादी

१—मज़ा, २—नाव को सहारा देने वाले ३—शराब, ४—शराब पीने का आनन्द, ५—तेज़ शराब, ६—शराबी ७—पुराने, ८—बादल,

क्यों न दिल क़ुर्बान हो क्यों दिन न हो फिर लोट-पोट,
किस अदा के साथ चलती है हवा बरसात की।
देखते ही देखते क्या खिल गई दिल की कली,
मैं मसीहा इसको समझूँ या हवा बरसात की।
है यह बारिश की अलामत[9] मेह बरसेगा ज़रूर,
रुक गई है चलते-चलते अब हवा बरसात की।
दिल को ऐ 'शातिर' किसी पहलू नहीं दम भर क़रार,
कर गई बेचैन क्या चल कर हवा बरसात की।

—"शातिर" इलाहाबादी

कैसी इतराती हुई झूमती आती है घटा

[महाकवि "दाग़" देहलवी]

जब धुवाँधार, गरजती हुई आती है घटा,
तालए[1] ख़ुफ़्ता को मैकश[2] के जगाती है घटा!
दिले महजूर[3] के नालों[4] से जो हो हम-आवाज़[5],
सीनाँ फट जाय तेरा, क्या तेरी छाती है घटा!
तू तो एक क़तरा भी देतो नहीं ऐ ज़ुल्फ़े[6] सियाह,
पानी भर-भर के ज़माने को पिलाती है घटा!
हिजरे[7] महबूब में बेताब हूँ बिस्मिल[8] की तरह,
तारे बारिश यह नहीं तीर लगाती है घटा!
रात भर जागे हैं, अब आँख लगी है उनकी,
कह दो ख़ामोश हो, क्यों शोर मचाती है घटा!
वादा करते हैं वह जिस रोज़ यहाँ आने का,
क्या बरसती है, कि दरिया ही बहाती है घटा!
तेग़[9] की तरह चमक जाती है सर पर बिजली,
हिज्र[10] में मुझको बला बन के डराती है घटा!
जब उठाते हैं दमे बादा-कशी[11] वह साग़र[12],
कैसी इतराती हुई, झूमती आती है घटा!
नहीं सावन में मेरे पास वह महवश[13] ऐ 'दाग़',
मुझको तड़पाती है बिजली, तो रुलाती है घटा!

१—सोई हुई क़िस्मत, २—शराबी, ३—दुखी हृदय, ४—आहें, ५—बराबरी करना, ६—काले बाल, ७—प्रेमिका के विरह, ८—तड़पने वाला, ९—तलवार, १०—विरह, ११—शराब पीते समय, १२—प्याला, १३—चाँद सी सूरत वाला।

काली-काली प्यारी-प्यारी यह घटा बरसात की,
चुटकियाँ लेती है दिल में हर अदा बरसात की।

—"हुनर" गयावी

पीने वाले क्यों न हों सौ दिल से सौ जी से निसार,
दिल को तड़पाती है क्या-क्या हर अदा बरसात की

—"ज़ाहिद" इलाहाबादी

९—निशानी,

रङ्ग लाई देखिए क्या क्या-हवा बरसात की,
मस्त हैं अहले चमन[10] पीकर हवा बरसात की!
चल रही है किस अदा से दिल लुभाने के लिए,
हलकी-हलकी ठण्ढी-ठण्ढी यह हवा बरसात की।
हो गया ठण्ढा वह अब गर्मी की सरगर्मी का जोश,
कुछ दिनों को बँध गई है फिर हवा बरसात की।
आजकल जाते हैं यह छुप-छुप के मैख़ाने[11] में रोज़,
लग गई 'ज़ाहिद' को भी शायद हवा बरसात की।

—"ज़ाहिद" इलाहाबादी

ऐ मेरे सय्याद[12] उठने दे घटा बरसात की,
तीलियों को सब्ज़ कर देगी हवा बरसात की।
देखता हूँ मैं जिधर दुनिया उधर की सब्ज़ है,
रङ्ग लाई बाग़ में चल कर हवा बरसात की।
देखिए जिसको वही अब शाद[13] है दिल शाद है,
दूर ग़म से रखती है ठण्ढी हवा बरसात की।
मैं तो ऐ "ग़ाफ़िल" वतन से अपने कोसों दूर हूँ,
मुझको तड़पाती है ग़ुर्बत[14] में हवा बरसात की!

—"ग़ाफ़िल" इलाहाबादी

ऐ "हुनर" मुद्दत हुई मैं तो असीरे[15] दाम हूँ,
मेरी क़िस्मत में कहाँ ठण्ढी हवा बरसात की।

—"हुनर" गयावी

इसने चल कर और मेरे दिल को छलनी कर दिया,
तीर से कुछ कम नहीं ठण्ढी हवा बरसात की।
इसको थम-थम कर ज़रा अहले चमन चलने तो दो,
गुल खिलाएगी गुलिस्ताँ में हवा बरसात की।
हर तरफ़ हर सिम्त हरियाली नज़र आने लगी,
क्या असर जादू का रखती है हवा बरसात की।
क्या नसीमे[16] बाग़े-जन्नत की हो 'बिस्मिल' आरज़ू,
यह मेरा प्यारा वतन है, यह हवा बरसात की।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

रङ्ग में डूबे हुए हैं नौ उरूसाने[17] चमन,
पत्ते-पत्ते से टपकती है अदा बरसात की,

—"अमीर" लखनवी

यह तरश्शुह[18] यह हवा यह बर्क़[19] यह अब्रे सियाह,
लूटती है मेरे दिल को हर अदा बरसात की।

—"नूह" नारवी

हर शजर[20] में कोपलें फूटीं लगे शाख़ों में फूल,
सौ अदाओं की अदा है एक अदा बरसात की।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

१०—बाग़ वाले, ११—शराब का घर, १२—बहेलिया, १३—ख़ुश, १४—परदेश, १५—क़ैदी, १६—हवा, १७—नई दुलहन, १८—बूँदें पड़ना, १९—बिजली, २०—पौदे।

मिश्र के मुसलमानों और क़िब्तियों में समझौता

(१९वें पृष्ठ का शेषांश)

क़िब्ती मन्त्री रक्खे, और मिश्र का सारा मन्त्रि-मण्डल दस मन्त्रियों का होता था, इसलिए मन्त्रि-मण्डल में क़िब्तियों की संख्या बीस प्रति सौ हो गई, यद्यपि उनकी जन-संख्या मिश्र में केवल ४ प्रति सौ से अधिक नहीं है।

फिर यह भी ध्यान में रखने की बात है कि केवल मन्त्रि-मण्डल में ही उनकी संख्या आबादी के देखते अधिक नहीं रक्खी गई, क्योंकि मन्त्रीगण तो नामित होते हैं, प्रत्युत साधारण परिषद् (हाउस ऑफ़ कॉमन्स) और धनिक परिषद् (हाउस ऑफ़ लार्ड्स) दोनों ही राज्य-परिषदों में उनकी संख्या बहुत बढ़ गई।

साधारण परिषद में ८ प्रति सौ और धनिक परिषद् में ९ प्रति सौ क़िब्ती सदस्य पहुँच गए। यह संख्या दूसरे ईसाइयों और यहूदियों से, जो दोनों परिषदों में चुन कर आए थे, अतिरिक्त थी। १९२४ से आज तक यही बात चली आती है।

अब मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सारे देश में क़िब्ती इस तरह पर फैले हुए हैं कि कहीं भी उनकी अधिकांशता नहीं है। सर्वत्र अधिकांशता मुसलमानों की ही है और मुसलमान ही क़िब्तियों को इतनी अधिक संख्या में चुन कर राज्य-परिषदों में भेजा करते हैं। यह बात केवल क़िब्तियों के ही साथ नहीं, बल्कि दूसरे ईसाइयों और यहूदियों के साथ भी है, जो गणना में क़िब्तियों से भी कम हैं।

१९२७ में हमारे वर्तमान नेता साहबुद्दौला मुस्तफ़ा निहास पाशा ने अपना पहला मन्त्रि-मण्डल बनाया और १९३० में दूसरा मण्डल बनाया। इन दोनों मन्त्रि-मण्डलों में दो-दो क़िब्ती मन्त्री मौजूद रहे, फिर पार्लामेण्ट का प्रधान भी एक क़िब्ती ही था।

सरकारी नौकरियाँ

नवीन विधान के पहले सरकारी नौकरियों में क़िब्ती ३० प्रति सौ के अनुपात से थे, यद्यपि यह गणना में, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ४ प्रति सौ से अधिक नहीं हैं। लेकिन जब नया विधान जारी हुआ, नौकरियों के मामले में अङ्गरेज़ों की कारस्तानियाँ कम हो गईं, तो मुसलमानों ने क़िब्तियों से लेखा नहीं लिया, सबको उनकी नौकरियों पर ज्यों का त्यों बना रक्खा, किसी के विचार में भी यह बात नहीं आई कि नौकरियों का बटवारा धर्म और सम्प्रदाय के आधार पर होना चाहिए। बल्कि सबने यही कहा कि नौकरी उसे मिलनी चाहिए, जो उस काम के लिए ज़्यादा योग्य हो। बाद में भी अङ्गरेज़ों ने अनेक बार इस बात की कोशिश की कि क़िब्तियों और मुसलमानों को लड़ा दें, लेकिन हर बार उन्हें अकृतकार्यता का मुँह देखना पड़ा।

उपर्युक्त वक्तव्य से आपको अपने प्रश्नों का उत्तर स्वतः मिल जायगा। फिर भी मैं थोड़े से शब्दों में बतला देना चाहता हूँ कि मिश्री मुसलमानों और क़िब्तियों के अधिकारों के बारे में कोई भी समझौता नहीं हुआ। समझौता होता भी कैसे, जब कि दोनों के पृथक-पृथक अधिकार ही नहीं माने गए। दोनों के पृथक अधिकार भी कैसे रक्खे जाते, जब उन्हें दो पृथक जाति ही नहीं माना। दोनों एक ही जाति के लोग हैं, धर्म अलबत्ते दोनों के अलग-अलग हैं।

फलतः न इनमें कोई समझौता हुआ, न म्यूनिसिपैलिटियों और पार्लामेण्ट में इनके लिए अलग-अलग जगहें (सीटें) नियत और सुरक्षित की गईं। इनमें पारस्परिक विश्वास और सहयोग का उत्साह काम कर रहा है और यह इस आधार पर कि वे सब के सब एक जाति की व्यक्तियाँ हैं और एक ही जन्म-भूमि के बच्चे हैं।

यह विश्वास और सहयोग अनुदिन बढ़ता ही जा रहा है। जो बात इन भावों को दिन-दिन उन्नत कर रही है, वह सम्मिलित कष्ट और कठिनाइयाँ हैं; जिन्हें दोनों समुदाय के लोग देश-सेवा के मार्ग में सन्तोष और शान्ति के साथ सहन करते हैं। पवित्र अभीष्ट के लिए कठिनाइयों का सहना ही सब से अधिक हृदयों को मिलाने वाला और मेल-जोल तथा एकता पैदा करने वाला होता है।

इतना लिखने के बाद मैं निर्णय आपके हाथ में छोड़ता हूँ। आप अपने देश के स्वभाव और सामाजिक परिस्थिति से पूरी जानकारी रखते हैं। सोच लें कि वहाँ हिन्दू-मुसलमान इस तरह पर एक हो सकते हैं या नहीं, जिस तरह मिश्र में क़िब्ती और मुसलमान एक हो गए हैं। मेरी प्रबल कामना है, मेरी जाति के हर व्यक्ति की बड़ी इच्छा है कि भारत में एकता पैदा हो जाय और आशा है कि समस्त भारतवासी एक जाति होकर अपनी स्वतन्त्रता लेने के लिए खड़े हो जायँगे।

सावधान

यह कदापि न समझना कि महात्मा गाँधी के नेतृत्व में जो उज्ज्वल कृतकार्यता आपके राष्ट्रीय आन्दोलन ने प्राप्त की है, वह आपके झगड़े का अन्तिम ध्येय है—कदापि नहीं। १९२४ से अब तक हमारे सीमातीत कटु-अनुभवों ने हमें अच्छी तरह सिखा दिया है कि अङ्गरेज़ी शासन किस तरह धोका दे सकता है मगर हथियार नहीं डालता। आपको उचित है, कि हमारे अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करें। अङ्गरेज़ी शासन का सब से बड़ा अस्त्र है आपस में सदा फूट फैलाने की चेष्टा करते रहना। अतः आप इससे सावधान रहें। परमात्मा हमारे हिन्दुस्तानी भाइयों का सहायक और साथी हो और उन्हें कृतकार्य और विजय प्रदान करें।

❀ ❀ ❀

ग़रीबी और उसके कारण

[श्री० लक्ष्मणप्रसाद गुप्ता, एडवोकेट]

मारे कृषि-प्रधान भारत देश में देखा जाय तो पता लगेगा कि ८० प्रतिशत लोग गाँवों में रहते हैं। इनमें से प्रायः ६५ प्रतिशत ऐसे हैं जो खेती करते हैं; १० प्रतिशत मज़दूरी करते और बाक़ी ५ प्रतिशत ऐसे हैं जो ज़मींदारी, लेन-देन, दूकानदारी या नौकरियों से अपना निर्वाह करते हैं। शहर के २० प्रतिशत लोगों में से कम से कम आधे ऐसे हैं, जो हर प्रकार के आराम से रहते हैं। शेष आधे भी अपना गुज़र अच्छी तरह कर लेते हैं। कम से कम उन्हें अन्न और वस्त्र का दुख नहीं भोगना पड़ता। परन्तु गाँवों के ८० प्रतिशत लोगों में से ७५ प्रतिशत ऐसे हैं, जिन्हें भर पेट भोजन भी नहीं मिलता। सर्दी-गर्मी से बचने और शरीर ढाँकने को काफ़ी कपड़े मिलना तो दूर की बात है, उनके घर में बर्तन तक नहीं और न छाया में बैठने को काफ़ी मकान ही हैं! बात यह है कि वहाँ ग़रीबी का घोर अट्टहास हो रहा है। ऐसा क्यों है? यदि कारण जानने के लिए परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाय तो पता चलेगा कि ग़रीबी के बहुत से कारणों में से कुछ मुख्य कारण निम्न-लिखित हैं:—

(१) सामाजिक और व्यक्तिगत बुराईयाँ, (२) क़ुदरती मुसीबतें, (३) अनावश्यक टैक्स, (४) मैशीनें और (५) विदेशी व्यापार आदि कुछ ऐसी मुख्य बातें हैं, जिन्होंने भारतीय गाँवों की श्री को घुन लगा दिया है।

किसानों की मुख्य आय खेती है। इसी में से किसान लगान देता है, बोहरों का क़र्ज़ चुकाता है, और कपड़े ख़रीदता है। तात्पर्य यह है कि इसीसे वह अपनी सारी आवश्यकताएँ पूरी करता है। इसके स्पष्ट अर्थ यह हैं कि दूसरे लोग जो खेती न करके अन्य काम, जैसे—दर्ज़ीगीरी, बढ़ईगीरी, लुहारी, राजगीरी, वैद्यक, दूकानदारी और वकालत इत्यादि करते हैं, वे सभी किसानों की पैदा की हुई पैदावार से अपना निर्वाह करते हैं।

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि किसी देश के किसानों को उससे अधिक ग़ल्ला इत्यादि पैदा नहीं करना चाहिए, जितना कि स्वयं उनको चाहिए। जहाँ तक हो सकता है, प्रत्येक देश अपने लिए खाने की वस्तुएँ अपने ही यहाँ पैदा करता है; यदि कोई, इङ्गलैण्ड की तरह नहीं पैदा करता तो वह सदैव ख़तरे में रहता है और लड़ाई के दिनों में तो उसे सदैव ही भूखों मर जाने का डर रहता है। इस प्रकार सभी बातों का मनन करने से हमें यही पता चलेगा कि यदि अधिक पैदावार की भी गई तो वह व्यर्थ जायगी, और एक-दो साल बाद सड़ जाया करेगी। अधिक ग़ल्ला पैदा करके दूसरे देशों में भेजने का सिद्धान्त सदा लागू नहीं रह सकता। क्योंकि कोई देश अपने खाद्य पदार्थों के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहना कभी स्वीकार न करेगा। दूसरी बात यह भी है कि जितना हम ज़मीन से पैदा करते हैं, उतना ही हमको किसी न किसी रूप में उसे वापस भी कर देना चाहिए। हम जो अन्न खाते हैं उससे कफ, थूक, पाख़ाना, पेशाब, हड्डी और मांस इत्यादि बनते हैं और वह मल के रूप में ज़मीन को वापस होते रहते हैं। यह तो अनुभव की बात है कि जिस ज़मीन को खाद अच्छी मिलती है, उसमें अच्छी पैदावार भी होती है और जिसमें खाद कम मिलती है उसमें पैदावार कम होती है। इसलिए यदि हम अपने देश का करोड़ों मन ग़ल्ला, तैल पदार्थ, हड्डी और मांस इत्यादि बाहर भेजते रहें, तो उनसे जो खाद

बनती है, वह हमें यहाँ न मिलेगी और पैदावर में उतनी ही कमी हो जायगी। तात्पर्य यह है कि खाद की कमी के कारण ज़मीन दिन पर दिन कमज़ोर होती जायगी और एक समय ऐसा आवेगा, जब वह बञ्जर हो जायगी।* कुछ लोग कृषि-सुधार के बड़े पक्षपाती हैं। परन्तु वे भूले हुए हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि नए वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा अच्छी खेती हो सकती है। परन्तु ये आविष्कार हमारी जड़ खोदेंगे, क्योंकि पृथ्वी के अन्दर ग़ल्ला पैदा करने वाली जो शक्ति है, उन्हें ये आविष्कार कुछ दिनों में निकाल कर उसे बञ्जर बना देंगे। ये आविष्कार खाद का काम नहीं दे सकते; ये तो ज़मीन के जो भीतरी तत्व , उसे जल्दी और अधिक अंश में निकालने के साधन मात्र हैं। जैसे एक ढीले पहिए पर पानी डालने से उसमें ताक़त आ जाती है और वह ठीक चलने लगता है, परन्तु फिर ख़ुश्क हो जाने पर पहिले से भी अधिक ढीला हो जाता है। उसी प्रकार इन वैज्ञानिक आविष्कारों से कुछ दिन तक तो पैदावार अच्छी हो सकेगी, परन्तु उतनी ही खाद न मिलने के कारण ज़मीन कमज़ोर पड़ती जायगी। दूसरा लाभ इन आविष्कारों से यह बताया जाता है कि थोड़े ही आदमी इनके द्वारा इतना पैदा कर सकते हैं कि देश के सभी आदमी उसे खा सकते हैं और बाक़ी दूसरे आदमी दूसरे प्रकार की आवश्यकताओं में पूरा करने में लग सकते हैं। परन्तु इस देश में खेती की उन्नति इस आशय से नहीं की जा रही है कि यहाँ का पैदा किया हुआ ग़ल्ला बाहर न जायगा और किसानों का समय बचा कर उनसे उनके दूसरे आराम की चीज़ें पैदा कराई जाएँगी। कभी-कभी हमारे भूले हुए भाई यह भी कह देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्यों बाहर ग़ल्ला भेजता है। यदि ऑस्ट्रेलिया भूल करे तो क्या यह उचित है कि हम भी भूल करें? दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जितने आदमी रहते हैं, उनकी ज़रूरत से साठ गुनी अधिक ज़मीन वहाँ है। उन्हें अपनी ज़मीन के ग़रीब होने का भय नहीं है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि रासायनिक (Chemical) खाद द्वारा पैदावार बढ़ाई जा सकती है, परन्तु वे यह भूल जाते हैं कि यह मूल्यवान रासायनिक खाद सारे देश के लिए कहाँ से आवेगी। कुछ लोग कहते हैं कि अभी खानों की खाद से काम नहीं लिया गया। परन्तु वे यह नहीं बताते कि खानों से खाद निकाल कर उसके प्रयोग के साधन क्या हैं और कैसे वह सारे देश में फैला दी जा सकती है।

इन बातों के उल्लेख का मतलब यह है कि किसानों की खेती की पैदावर सीमित है, सीमित ही रहेगी; वह बढ़ाई नहीं जा सकती और यदि

* इन्हीं उसूलों को ध्यान में रख कर अमेरिका वाले, यदि किसी साल में उनके यहाँ ग़ल्ला अधिक पैदा हो जाता है तो वे उसे अपने यहाँ ही बरबाद करा देते हैं और बाहर नहीं जाने देते। यह बात नहीं है, जैसा कि एक साहब ने किसी पहले लेख में बताया, कि अमेरिका के धनी लोग ग़रीबों को उसका लाभ नहीं मिलने देते हैं, इसीलिए उसे बरबाद करा देते हैं।

—लेखक

बढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा तो उससे देश को कोई लाभ नहीं होगा, और यदि कुछ सार्थक भी हुआ तो थोड़े दिन के वास्ते। हाँ, यदि देश के लोगों के लिए देश में काफ़ी अन्न पैदा न होता हो तो अवश्य पैदावार बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए और अपने खाने की आवश्यकता की सीमा तक वह हमेशा सार्थक होगी। परन्तु भारत को अब और अधिक पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुल देशों के लोग आवश्यकता से अधिक ग़ल्ला पैदा करने का प्रयत्न करें तो जो ग़ल्ला अधिक पैदा किया गया है वह सड़ेगा या दूसरे साल लोग कम पैदा करेंगे। फलतः अपने देश की आवश्यकता से अधिक ग़ल्ला पैदा करने वाली बात निरर्थक रही। क्योंकि अब क़हत वग़ैरह के अलावा कभी कोई भी देश दूसरे देश का ग़ल्ला नहीं चाहता।

अब विचारणीय यह है कि इस सीमित खेती की पैदावार को किस ढङ्ग से ख़र्च में लाया जावे, जिसमें बेचारे किसान भूखे न मरें।

पहिली बात जो लेखक के ध्यान में आती है और जो ग़रीबी के बहुत से कारणों में से एक कारण है, वह है सामाजिक और व्यक्तिगत फ़िज़ूलख़र्ची। कुछ लोग ऐसे हैं, जो सामर्थ्य से बाहर ख़र्च करने के लिए क़र्ज़ ले लेते हैं, और अपने आपको ग़रीबी के गढ़े में ढकेल देते हैं। कुछ लोग शराब पीने में, व्यभिचार करने में और शौक़ीनी में ही अपनी सारी आमदनी ख़र्च कर डालते हैं। कुछ लोग सामाजिक रीति-रिवाज़ों से ऐसे मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें ख़र्च करना ही पड़ता है। और यदि वे नहीं करते तो उस समाज में उनकी निन्दा होने लगती है। यदि कोई मनुष्य अपने माँ या बाप के मरने पर धूमधाम से श्राद्ध न करे, और बिरादरी वालों तथा ब्राह्मणों को भोजन न करावे तो उसे लोगों के ताने सहने पड़ते हैं। इसी प्रकार की हज़ारों सामाजिक और व्यक्तिगत फ़िज़ूलख़र्चियाँ होती हैं, जिनके कारण हज़ारों आदमी अपना धन खोकर ग़रीबी के दुख भोगते हैं, इन बुराइयों के सुधार से बहुत-कुछ ग़रीबी से बचाया जा सकता है।

कुछ मुसीबतें प्राकृतिक हैं। जैसे समय पर वर्षा का न होना, अधिक वर्षा होकर खेती का नष्ट हो जाना, खेती में कीड़ा लग जाना, टिड्डियों का आ जाना, पाला पड़ जाना, आग लग जाना और नदियों में बाढ़ आ जाना, इस प्रकार की आपत्तियाँ अधिकतर मनुष्यों के वश से बाहर हैं। परन्तु ख़ैरात द्वारा तथा पारस्परिक सहायता से यह मुसीबतें बहुत-कुछ कम हो सकती हैं। क़र्ज़ द्वारा भी इनका प्रतिकार हो सकता है। परन्तु क़र्ज़ एक स्वयं मुसीबत बन जाता है। क़र्ज़ देने वालों के विषय में लोगों के बड़े बुरे ख़यालात होते हैं और जिन लोगों ने क़र्ज़ लिया है वे तो उसे बहुत ही बुरा कहते हैं। परन्तु यह काम कम सूद पर क़र्ज़ देने वाली समवाय समितियों की सृष्टि से हो सकता है।

ग़रीबी का तीसरा कारण अनावश्यक टैक्स है। किसी देश में सरकारी कर्मचारियों को इतनी ऊँची तनख़्वाहें नहीं दी जातीं, जितनी हिन्दुस्तान में। इङ्गलैण्ड के सब से बड़े कर्मचारी यानी प्रधान-मन्त्री को ६,०००) रु० मासिक ही मिलता है, परन्तु यहाँ वायसरॉय को २१,०००) रु० और गवर्नर को १०,०००) रु० माहवार मिलते हैं। यहाँ अङ्गरेज़ों को तो ऊँची तनख़्वाहें मिलती हैं, परन्तु भारतवासियों को भी कम नहीं मिलतीं। तनख़्वाहें मुक़र्रर करने का सिद्धान्त यह है कि जिस आदमी को नौकर रखना है, उसको उतनी ही तनख़्वाह दी जाए जितना कि उसकी सी योग्यता के आदमी स्वतन्त्र जीवन में पैदा करते हों। लेकिन यहाँ की सरकार ने जो तनख़्वाहें रक्खी हैं, वे इस सिद्धान्त से कहीं अधिक हैं।

फ़ौज में साठ-साठ करोड़ रुपए ख़र्च होते हैं। इसमें से लगभग तीस करोड़ रुपए पचास हज़ार गोरी फ़ौज पर ख़र्च होते हैं। और दूसरे तीस करोड़ बाक़ी २ लाख के लगभग हिन्दुस्तानी फ़ौज पर ख़र्च होते हैं। ये सब रुपए टैक्स द्वारा आते हैं, जिनका अधिकांश किसानों को देना पड़ता है।

ग़रीबी का चौथा कारण मैशीनें हैं। जिस काम को पहले हाथ से एक हज़ार आदमी करते थे, उसी काम को अब मैशीनें केवल १०० आदमियों की सहायता से कर डालती हैं। अर्थात् जिस मेहनत के लाभ को पहले एक हज़ार आदमी पाते थे, अब उसे केवल एक मैशीन का मालिक ले लेता है! आजकल लोग श्रमजीव आन्दोलन के बड़े पक्षपाती हो रहे हैं और बड़े उत्साह से श्रमजीवियों का साथ देते हैं, परन्तु हमारी राय में वे थोड़ी सी भूल करते हैं। क्योंकि यह श्रमजीवी आन्दोलन (Labour Movements) केवल उन्हीं आदमियों द्वारा सञ्चालित और उन्हीं के लाभ के लिए है, जो मिलों में काम करते हैं। परन्तु इन लोगों को तो मामूली मज़दूरों की अपेक्षा कहीं अधिक तनख़्वाहें मिल जाती हैं। यह ठीक है कि यह श्रमजीवी आन्दोलन मैशीन के मालिकों से, मिलों के मज़दूरों में धन बटवाने में सहायता देते हैं। परन्तु उन ग़रीब मज़दूरों को, जिनका रोज़गार ही इन मिलों ने मार दिया है, क्या मिलता है? श्रमजीवी-आन्दोलन की बड़ी-बड़ी कोशिशों का नतीजा यह होता है कि मिल का मालिक जो ९०० आदमियों के रोज़गार का नाश करके उसके सारे लाभ को स्वयं रख लेता था, उस लाभ का कुछ हिस्सा उन १०० मज़दूरों में बँटवा दिया जाता है। इससे अधिक यह आन्दोलन कुछ नहीं करता। होना यह चाहिए कि मिल का लाभ उन तमाम लोगों को मिलना चाहिए (यदि सब न हो तो कुछ) जिनका रोज़गार उस मिल ने छीन लिया है। यह इस प्रकार हो सकता है कि मिल के मालिकों के लाभ का एक विशेष भाग सरकार टैक्स के रूप में ले ले और ग़रीबों पर लदा हुआ टैक्स कम कर दे।

विदेशी व्यापार के कारण भी देश में बड़ी ग़रीबी फैल गई है। विदेशी व्यापार यदि इस अर्थ से किया जाय कि जो वस्तु दूसरे देशों में नहीं हैं वह यहाँ से पहुँचाई जावें और जो यहाँ

(शेष मैटर ३०वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए)

लाहौर षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

३१ जुलाई को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के मामले में सबूत-पक्ष की ओर के गवाहों की गवाही जारी रही।

सबूत के गवाह मि० दुर्गाप्रसाद ने, जो शिमला के पास धरमपुर के रहने वाले हैं, षड्यन्त्र केस के नौ अभियुक्तों के बीच में अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख़्त की। गवाह ने कहा कि अभियुक्त ने पिछले साल धरमपुर में मेरा मकान किराए में लिया था। किराएनामे पर उसने अपना नाम कुन्दनलाल और पूरा पता लिखा था। अभियुक्त के साथ एक और व्यक्ति था, जिसने अपना नाम रतनचन्द्र बतलाया था। जब अभियुक्त ने किराए पर मकान लिया था, उस समय वह लँगड़ाता हुआ आया था। पूछने पर अभियुक्त ने मुझसे कहा कि मेरे पैर में मोच लग गई है।

गिरदावर क़ानूनगो की गवाही

लाहौर के गिरदावर क़ानूनगो सरदार करतारसिंह ने अपनी गवाही में कहा कि मेरे ससुर का एक मकान गवर्नमेण्ट प्रेस के पीछे है। उसी जगह मुसम्मात धानदेवी का भी एक मकान है। मुसम्मात धानदेवी का मकान इन्द्रपाल नाम का एक व्यक्ति किराए पर लिए हुए था, जिसको मैं जानता था।

इस पर मुख़बिर इन्द्रपाल दस अभियुक्तों के बीच में शनाख़्त के लिए खड़ा कर दिया गया। गवाह ने कहा कि इन अभियुक्तों में इन्द्रपाल नहीं है। लेकिन जब ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने इन्द्रपाल से खड़े हो जाने के लिए कहा, तब गवाह ने तुरन्त कहा कि "यह इन्द्रपाल है।" इसके बाद गवाह ने कहा कि इन्द्रपाल अपनी स्त्री और तीन भाइयों के साथ रहा करता था। कुछ समय के बाद अभियुक्त जहाँगीरी और कुन्दनलाल भी वहाँ आए और मकान के ऊपर हिस्से में रहने लगे। कुछ दूसरे व्यक्ति भी उन लोगों के पास आया करते थे, जिनको मैं देख सकता था। इस पर गवाह से अभियुक्तों की ओर देखने और यह बतलाने के लिए कहा गया कि इनमें से कौन व्यक्ति उस मकान में रहते थे या वहाँ जाया करते थे। गवाह ने कृष्णगोपाल, कुन्दनलाल, भीमसेन, इन्द्रपाल, जयप्रकाश, हरनामसिंह और सुखदेवराज की ओर इशारा किया।

मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि सुखदेवराज का नाम मुझे लाहौर फ़ोर्ट में शनाख़्त की परेड के बाद मालूम हुआ था।

जिरह के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने सुखदेवराज को इन्द्रपाल के मकान पर मई और जून सन् १९३० में ५ या ६ बार जाते हुए देखा था। गवाह के यह कहने पर कि मैंने सुखदेवराज के साथ एक और सज्जन को इन्द्रपाल के मकान में जाते हुए देखा था, अदालत में हँसी हुई।

मि० सलीम के एक प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि वह सज्जन अच्छे कपड़े पहने हुए थे। गवाह को यशपाल का फ़ोटो दिखलाया गया। फ़ोटो देख कर पहले गवाह ने कहा कि मैंने उस मकान में ऐसे आदमी को कभी नहीं देखा था, लेकिन फ़ोटो की ओर फिर देख कर उसने कहा कि मुझे याद आ गया कि यह यशपाल है, जोकि अपनी माँ को देखने के लिए उस मकान में आया करता था। गवाह ने कहा कि मैंने पुलीस को सुखदेवराज की हुलिया नहीं बतलाई थी। मुझे पुलीस ने सुखदेवराज का नाम बतलाया था और मुझसे सुखदेवराज की शनाख़्त करने के लिए कहा था, जोकि शालामार बाग़ में गिरफ़्तार किया गया था। दूसरे व्यक्तियों के नाम भी, जिनकी मैंने शनाख़्त की थी, पुलीस ने शनाख़्त के बाद मुझे बतलाए थे। गवाह ने कहा कि पुलीस ने मुझे सुखदेवराज की हुलिया नहीं बतलाई थी, परन्तु मैंने वे विज्ञापन देखे थे, जिनमें फ़रार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी के लिए इनाम की घोषणा हुई थी। उन विज्ञापनों में फ़रार अभियुक्तों के चित्र भी प्रकाशित हुए थे। मैंने विज्ञापनों में सुखदेवराज का चित्र भी देखा था। परन्तु मैंने उस चित्र की शक्ल को सुखदेवराज की उस शक्ल से तुलना नहीं की थी जोकि मुझे याद थी।

इस गवाह की गवाही लगातार मनोरञ्जक रही। वह प्रश्नों का उत्तर तुरन्त हाँ कह कर दिया करता था, परन्तु बाद में अपना उत्तर बदल दिया करता था।

मि० सलीम और रायबहादुर गङ्गाराम सोनी ने गवाह से प्रश्न पर विचार करने के बाद उत्तर देने के लिए सावधान किया।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

ता० ३१ जुलाई को दूसरे लहौर षड्यन्त्र केस की भी सुनवाई हुई। सबूत की ओर से केवल गुजरानवाला के दयालसिंह नाम के व्यक्ति की गवाही हुई थी। उसने अपनी गवाही में कहा कि मैंने १८ जून, सन् १९३० की रात को ब्रह्म-अखाड़ा में दो सिक्ख नवयुवकों को देखा था। गवाह अभियुक्त अमरीकसिंह और गुलाबसिंह की शनाख़्त नहीं कर सका, जोकि ११ बाहरी व्यक्तियों के साथ मिला दिए गए थे।

इसके बाद सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने गवाह से जिरह की।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

ता० १ अगस्त को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में अभियुक्त सुखदेवराज की उस अर्ज़ी पर बहस हुई, जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त सुखदेवराज के साथ रहने के लिए अच्छी श्रेणी के क़ैदियों का प्रबन्ध होना चाहिए।

मि० श्यामलाल ने बहस में कहा कि यद्यपि अदालत ने निर्णय किया था कि सुखदेवराज की ग़ैर-क़ानूनी हिरासत हटा देनी चाहिए, फिर भी जेल-अधिकारियों ने वैसा नहीं किया। उन्होंने अभियुक्त को केवल साधारण क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त दी और अदालत के सामने उन कारणों को बतलाने से इनकार कर दिया, जिनसे अभियुक्त को ट्रिब्यूनल की आज्ञानुसार उसी की श्रेणी के क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकी।

मि० सलीम—आपका तात्पर्य यह है कि अभियुक्त की गिनती ए क्लास के क़ैदियों में होनी चाहिए और उसके अनुसार उसे अच्छी श्रेणी के क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त होनी चाहिए और उसके रहने का स्थान दूसरे क़ैदियों से अलग होना चाहिए?

मि० श्यामलाल—जी हाँ।

इसके बाद ट्रिब्यूनल के सदस्य १५ मिनट तक परस्पर सलाह करते रहे।

मि० सलीम ने सरकारी वकील से कहा—यदि आप यह नहीं बतलाते कि अभियुक्त सुखदेवराज से आपको क्या आशङ्का है, तो हम उपस्थित परिस्थितियों के अनुसार अपना निर्णय देने के लिए बाध्य हैं। हम आशङ्काओं के अनुमान नहीं लगा सकते।

सरकारी वकील पण्डित ज्वालाप्रसाद ने कहा—मैं उन कारणों को केवल मि० श्यामलाल की उपस्थिति में बतला सकता हूँ, परन्तु अभियुक्त सुखदेवराज की उपस्थिति में नहीं बतला सकता।

मि० सलीम—परन्तु मि० श्यामलाल उन्हें अभियुक्त सुखदेवराज से छिपा नहीं सकते।

मि० श्यामलाल—मेरा सम्पूर्ण अधिकार अभियुक्त सुखदेवराज की ओर से प्राप्त है।

सरकारी वकील पं० ज्वालाप्रसाद—ऐसी परिस्थिति में अदालत के सामने उन कारणों के प्रकट करने के पहले मुझे गवर्नमेण्ट से सलाह कर लेना ज़रूरी है। इसके लिए मैं समय चाहता हूँ।

अदालत ने सरकारी वकील को समय देना स्वीकार कर लिया और ता० ६ अगस्त तक के लिए बहस स्थगित कर दी। अभियुक्त सुखदेवराज की प्रार्थना पर मामले की कार्रवाई भी तब तक के लिए स्थगित कर दी।

ता० ३ अगस्त को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की कार्रवाई अभियुक्त भागराम के बीमार हो जाने के कारण, जिसकी दवा मेयो अस्पताल में हो रही है, स्थगित हो गई। अभियुक्त भागराम ने ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट के पास पत्र लिखा था कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी ओर से कोई पैरवी न करे। इसलिए अदालत की कार्रवाई स्थगित कर दी गई।

अभियुक्त सुखदेवराज का मामला भी नहीं पेश हो सका, क्योंकि सुखदेवराज अपनी सफ़ाई के सम्बन्ध में सलाह करने के लिए हाईकोर्ट की इजाज़त से दिल्ली में दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्त धन्वन्तरि, विद्याभूषण और वैशम्पायन से मिलने के लिए गए थे।

ता० ४ अगस्त को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में अभियुक्त भागराम की बीमारी के कारण अदालत की कार्रवाई फिर स्थगित हो गई।

भागराम ने स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने आज एक अर्ज़ी पेश की, जिसमें उसने कहा है कि मैं दो महीने से कठिन हिस्टीरिया रोग से पीड़ित हूँ। इसी बीच में मुझे लक़वा भी हो गया था, जिससे मेरा बायाँ अङ्ग बेकाम हो गया है। उस समय मैं मेयो अस्पताल में था। जेल-अधिकारियों द्वारा यह विश्वास दिलाए जाने पर कि मैं मेयो अस्पताल में स्थायी रूप से दवा करने के लिए लाया गया हूँ, मैंने अदालत में अपनी अनुपस्थिति के लिए अपनी पैरवी कराना स्वीकार कर लिया था। परन्तु बाद में मैंने देखा कि मैं केवल जाँच के लिए अस्पताल भेजा गया था, स्थायी रूप से दवा कराने के लिए नहीं। मैं पहली अगस्त को अस्पताल से जेल भेज दिया गया था।

मेयो अस्पताल में ठीक तरह से और सहानुभूति के साथ औषधि होने से मेरी हालत निश्चय रूप से सुधरती हुई दिखलाई पड़ने लगी थी। मेरा बायाँ हाथ हिलने लगा था, यद्यपि वह एक बार फिर बेकाम हो गया था। मुझे विश्वास है कि मैं अच्छा हो गया होता, अगर वही दवा कुछ समय तक जारी रहती। जेल की औषधि फिर प्रारम्भ होने पर कष्ट भी पूर्ण रूप से प्रारम्भ हो गया। इस समय मुझे बेहोशी के दौरे आ जाया करते हैं और मेरा बायाँ अङ्ग हरकत करने में असमर्थ है। बिना सहायकों के सहारे मैं पेशाब तक नहीं कर सकता।

"पानी के लिए मुझे चिल्लाना पड़ता है"

तीन पहरेदार, जो मेरी देख-रेख रखने के लिए तैनात किए गए हैं, सहानुभूति के साथ और ठीक तरह से कार्य नहीं करते। वे शुश्रूषा करना नहीं जानते, इसलिए पानी तक के लिए मुझे चिल्लाना पड़ता है, विशेषकर रात के समय, जबकि वे गहरी नींद में सो जाते हैं।

मैं अदालत को यह बतला देना चाहता हूँ कि मेरा विचार अदालत की कार्रवाई में किसी प्रकार की बाधा डालने का नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि इस विषय में जितनी जल्दी हो, उतना ही अच्छा है। मेरा विश्वास है कि मेरे लिए अच्छा ही है, अगर अदालत की कार्रवाई में जल्दी हो। परन्तु मैं यह कह देना चाहता हूँ कि जेल के अधिकारियों और सरकार की यह ज़बरदस्त कोशिश है कि मैं अपनी अनुपस्थिति में अपनी पैरवी वापस ले लूँ।

उपरोक्त परिस्थितियों से विवश होकर मैं अपनी अनुपस्थिति में दूसरे किसी को अपनी पैरवी का अधिकार नहीं दे रहा हूँ। मेरा ख़्याल है कि मैं अपने क़ानूनी सलाहकार को, शरीर और मन की ऐसी हालत में ठीक तरह से सलाह नहीं दे सकता। मैं अपने क़ानूनी सलाहकार को तब तक पैरवी करने का अधिकार नहीं देता, जब तक कि मैं मेयो अस्पताल में स्थायी रूप से औषधि कराने के लिए न भेज दिया जाऊँ, या जब तक मैं ठीक तरह से दवा कराने के लिए ज़मानत पर न छोड़ दिया जाऊँ।

अर्ज़ी पर बाद में किसी समय विचार होगा।

गम्भीर दोषारोपण

ट्रिब्यूनल के सामने दूसरी अर्ज़ी

जो अभियुक्त अदालत में हाज़िर हुए थे, उन्होंने एक दूसरी अर्ज़ी ट्रिब्यूनल के सामने पेश की, जिसमें कहा गया था कि सेण्ट्रल जेल के हाते के अन्दर अत्यन्त नियम-विरुद्ध और अमानुषिकता का व्यवहार किया जाता है। पञ्जाब सरकार ने सी० आई० डी० और जेल-अधिकारियों से मिल कर हम लोगों को अपनी उचित सफ़ाई से वञ्चित करने के लिए एक षड्यन्त्र बना लिया है। यह बात मुख़बिर मदनगोपाल और इन्द्रपाल ने जेल-अधिकारियों के विरुद्ध जो दोषारोपण किए थे और प्रमाण में जो काग़ज़ी सबूत पेश किए थे, उनसे स्पष्ट है। हम लोगों को यह स्वीकार करते हुए लज्जा मालूम होती है कि विदेशी गवर्नमेण्ट के ग़ैर-क़ानूनी कार्यों को कार्य रूप में परिणत करने के षड्यन्त्र में हिन्दुस्तानियों ने बहुत बड़ा भाग लिया है।

हम लोगों को जो भोजन दिया जाता है, वह ऐसा रहता है जो मनुष्य खा नहीं सकता, न हज़म कर सकता है। हम लोगों को धूल में मिला हुआ गेहूँ का आटा दिया जाता है। इधर कुछ दिनों के अन्दर हम लोग दो बार उसे लौटा चुके हैं। बड़ी मुश्किल से अच्छा आटा दिया गया। तरकारी बिल्कुल सड़ी हुई होती है।

हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हँसी में दिए जाते हैं। जेल-अधिकारियों ने इस बात पर हम लोगों का बाहर के लोगों से मिलना बन्द कर दिया कि एक अभियुक्त के पास एक काग़ज़ निकला, जोकि उसने जेल अधिकारियों को देना अस्वीकार कर दिया। उस अभियुक्त ने सुपरिण्टेण्डेण्ट से कहा कि उस काग़ज़ में मामले की सफ़ाई के सम्बन्ध में कुछ सलाहें लिखी हैं। इसलिए मैं उसे जेल-अधिकारियों को नहीं दे सकता। इस पर भी अगर जेल-अधिकारी सन्तुष्ट नहीं थे, तो वे उसे दण्ड दे सकते थे। परन्तु एक की ग़लती के लिए सबको कष्ट दिया जाय, इसका कोई कारण नहीं है। परन्तु सुपरिण्टेण्डेण्ट ने इस उचित प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ग़ैर-क़ानूनी और मनमाना हुक्म निकाल दिया कि एक की ग़लती के लिए सबको कष्ट सहन करना होगा।

अदालत से हम लोगों की प्रार्थना है कि वह मामले की जाँच करे और जेल-अधिकारियों को, क़ानून के अनुसार सफ़ाई के लिए हम लोगों को पूर्ण सुविधा देने की आज्ञा दे।

इसके बाद ६ ता० तक के लिए अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

ता० ५ अगस्त को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के मामले में दो और सबूत के गवाहों की गवाही हुई।

लाहौर के फ़र्स्ट क्लास के मैजिस्ट्रेट सय्यद बशीर हैदर ने अपनी गवाही में कहा कि लाहौर फ़ोर्ट में अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख़्त-परेड मैंने की थी। आपने कहा कि मेहरचन्द, देविया मेहतर, फ़ज़लदीन ताँगा हाँकने वाले, मोहनी मिस्त्री, शेर मोहम्मद और लालामल ने अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख़्त की थी। इन लोगों ने कहा था कि अभियुक्त को हमने भावलपुर रोड के बँगले पर देखा था।

अभियुक्त सुखदेवराज की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने डिप्टी कमिश्नर की आज्ञा के अनुसार शनाख़्त परेड की थी। फ़ोर्ट पहुँचने पर पुलीस ने मुझसे कहा कि गवाह बारहदरी में है। मैंने वहाँ सय्यद अहमदशाह डी० एस० पी० को देखा था। मैंने सी० आई० डी० के दफ़्तर में शनाख़्त की परेड की थी। परन्तु परेड के समय वहाँ कोई पुलीस-अफ़सर नहीं था। मैंने वहाँ सब इन्स्पेक्टर खड़गसिंह को देखा था। परन्तु वे उस कमरे में उपस्थित नहीं थे, जिसमें परेड हुई थी। मैंने पुलीस अफ़सरों के गवाहों से बातचीत करने के सम्बन्ध में कोई रुकावट नहीं डाली थी, न मैंने उन लोगों के नाम और पते लिखे, जोकि अभियुक्त के साथ मिला दिए गए थे, क्योंकि मैंने उसे आवश्यक नहीं समझा। मुझे याद नहीं है कि अभियुक्त ने वैसा करने के लिए मुझसे कहा था या नहीं।

इसके बाद फ़ज़लदीन ताँगा हाँकने वाले की गवाही हुई, जिसने अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख़्त की और कहा कि मैं अभियुक्त को भावलपुर रोड के मकान से तार के दफ़्तर ले गया था।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

(क्रमशः)

ग़रीबी और उसके कारण

(२८वें पृष्ठ का शेषांश)

न हों, वह दूसरे देशों से, जहाँ वे होती हैं, लाई जावें तो कोई हानि नहीं। अर्थात् जब व्यापार बराबरी का होता है तो कोई हानि नहीं होती। परन्तु जब विदेशी व्यापार अपने देश के व्यापार का नाश करने वाला हो तो वह अत्यन्त हानिकारक होता है। एक कपड़े को ही लीजिए। यदि यहाँ की कपास यहीं ओटी जावे, यहीं धुनी जावे, यहीं काती जावे, यहीं बुनी जावे, और यहीं रँगी जावे तो यहाँ के लाखों आदमी ओटाई, धुनाई, बुनाई की मज़दूरी से गुज़र करें, परन्तु यदि वह कपास विदेशी ले जायँ और वहाँ से कपड़ा बना कर भेजें तो वह सब मज़दूरी जो ओटाई, धुनाई, कताई बुनाई वग़ैरह में यहाँ मज़दूरों को बँटती वह विदेश के लोगों में बँटी और उसका लाभ उनको पहुँचा। इसी प्रकार हर एक क़िस्म की चीज़, जो दूसरे देशों से तैयार होकर आती है, उसके बनाने की मज़दूरी और मुनाफ़ा दूसरे देश वालों के ही पास रहता है। देश के शत्रु यह दलील दिया करते हैं कि जो मेहनत करेगा वह लेगा। बाहर के लोग श्रम करते हैं और वह लेते हैं। सवाल यह होता है कि क्या यहाँ के लोग मेहनत नहीं करते थे और कपड़ा इत्यादि चीज़ें तैयार नहीं करते थे? यदि करते थे और करने को तैयार हैं तो उन्हीं से क्यों नहीं कराया जाता? उत्तर मिला है कि किसने रोका है। दूसरे देश के लोग सस्ती और अच्छी चीज़ें बनाते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों के बनाए हुए माल की खपत नहीं होती है और इसीलिए वह माल बनाना छोड़ देते हैं। लोगों का ऐसा ख़्याल है कि यहाँ के लोगों को चीज़ें बनाने में बड़ी बाधाएँ डाली जाती हैं, परन्तु हम इस विषय पर इस छोटे से लेख में कुछ नहीं लिखेंगे। हम यह मान लेते हैं कि बाधाएँ नहीं डाली जाती हैं और हम यह भी मान लेते हैं कि बाहर का माल सस्ता और अच्छा आने के कारण यहाँ के माल की खपत नहीं होती और इसी कारण यहाँ के लोग माल नहीं बनाते हैं। परन्तु क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि यहाँ के बनाने वालों की रक्षा के हेतु वह बाहर के माल को न आने दे। क्या जर्मनी के रङ्ग के ख़िलाफ़ आजकल इङ्गलैण्ड में ऐसा नहीं हो रहा है, क्या Imperial Preference की नीति के पीछे इङ्गलैण्ड नहीं पड़ा हुआ है?

अस्तु, अब समय आ गया है कि हम अपनी ग़रीबी के इन कारणों पर विचार करें और उनके प्रतिकार की तदबीर सोचें।

* * *

दिल्ली षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

ता० २८ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के जजों के बैठते ही अभियुक्तों ने "बिमलदास चिरञ्जीवी हो" के नारे लगाए। अभियुक्तों के देर से आने के कारण अदालत की कार्रवाई बारह बजे के पहले नहीं प्रारम्भ हो सकी।

अभियुक्त निगम और वात्स्यायन अस्वस्थ हो जाने के कारण अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ थे। उनकी अनुपस्थिति में भी ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा ५१४ के अनुसार अदालत की कार्रवाई होती रही।

सन्तरी घायल

विद्याभूषण ने ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट से कहा कि ड्यूटी पर तैनात एक सन्तरी के हाथ में उसकी बन्दूक़ से संयोगवश आज गोली लग गई है। हम लोगों को डर है कि इस तरह का अयोग्य व्यक्ति किसी दिन किसी रास्तागीर या किसी अभियुक्त को गोली न मार दे। ऐसे व्यक्ति को सड़क पर रखना जनता के लिए ख़तरनाक है। ऐसे व्यक्तियों की जगह योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए।

ख़ाँ बहादुर अमीरअली ने कहा कि इस मामले की जाँच हो रही है।

डॉ० किचलू ने चार पृष्ठों में छपी हुई एक लम्बी अर्ज़ी ट्रिब्यूनल के सामने पेश की। अर्ज़ी में कुछ षड्यन्त्र केसों की फ़ाइलों के मँगाने की प्रार्थना की गई है। अर्ज़ी में कहा गया है कि उन षड्यन्त्र केसों का हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध बतलाया गया है। सबूत की ओर से उन षड्यन्त्र केसों का हवाला भी दिया गया है। सबूत-पक्ष उन षड्यन्त्रों से इस षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों का सम्बन्ध भी प्रमाणित करना चाहता है। इसलिए निम्न-लिखित षड्यन्त्र केसों की फ़ाइलें मँगाना आवश्यक है :—

(१) लैमिङ्गटन रोड गोली-काण्ड केस, (२) पहला लाहौर षड्यन्त्र केस, (३) काकोरी षड्यन्त्र केस, (४) भुसावल बम केस, (५) एसेम्बली बम केस, (६) अहमदाबाद ट्रेन डकैती केस, (७) चटगाँव शस्त्रागार केस, (८) दूसरा लाहौर षड्यन्त्र केस।

अदालत ने अर्ज़ी पर बहस करने के लिए ता० ३१ जुलाई नियत की है। सरकारी वकील को उस दिन अर्ज़ी पर बहस करने के लिए नोटिस दी गई।

इसके बाद मि० एस० एन० बोस ने मुख़बिर कैलाशपति से जिरह प्रारम्भ की। मुख़बिर ने कहा कि मुझे यह याद नहीं है कि २९ नवम्बर को पुलीस के सामने दिए गए बयान में मैंने कहा था कि निगम से मेरा परिचय अगस्त सन् १९२९ में हुआ था। मि० बोस ने अदालत से कहा कि मुख़बिर ने एक दफ़ा यह भी कहा है कि मेरा निगम से फ़रवरी में परिचय हुआ था। आपने कहा कि ये परस्पर विरोधी बातें हैं।

आगे जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा कि मैं अजमेर के श्री० अर्जुनलाल सेठी को बहुत समय से जानता हूँ। मैं यह जानता था कि सेठी ने पहले षड्यन्त्रकारी आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया था। यह बात मुझे शैलेन्द्रनाथ चक्रवर्ती से मालूम हुई थी। मुझे यह याद नहीं है कि श्री० अर्जुनलाल सेठी किस दल के सदस्य थे या वे दल का कौन सा कार्य करते थे। मैंने यह शैलेन्द्रनाथ चक्रवर्ती से नहीं पूछा था। इसके बाद श्री० अर्जुनलाल सेठी के सम्बन्ध में अन्य अनेक प्रश्नों के उत्तर में मुख़बिर ने कई बार यही उत्तर दिया कि "मुझे याद नहीं है।"

मुख़बिर ने कहा कि दिल्ली में श्री० अर्जुनलाल सेठी के सम्बन्ध में मुझे मालूम हुआ था कि श्री० अर्जुनलाल सेठी षड्यन्त्रकारी दल से सहानुभूति रखते हैं। मुझसे यह बात बिमलप्रसाद जैन ने बतलाई थी, क्योंकि वह श्री० अर्जुनलाल सेठी के संसर्ग में रह चुका था। बिमल ने मुझसे यह नहीं कहा था कि सेठी अच्छी स्थिति के व्यक्ति हैं, परन्तु मैं जानता था कि अर्जुनलाल धनी व्यक्ति नहीं हैं।

मुख़बिर ने कहा कि मैंने बिमल से श्री० अर्जुनलाल सेठी को मेरा सच्चा नाम कैलाशपति बतला देने के लिए कहा था, जिससे श्री० सेठी को मालूम हो जाय कि मैं अभियुक्त हूँ और मुझे रुपए की ज़रूरत है।

प्र०—उस समय तुम एक चोरी के मामले में फ़रार थे?

उ०—नहीं, मैं पहले लाहौर षड्यन्त्र केस में फ़रार घोषित किया गया था। बिमल ने मुझे लिखा था कि श्री० अर्जुनलाल से रुपए नहीं मिल सके। मुख़बिर ने कहा कि पहले-पहल मैं जनवरी सन् १९३० में अजमेर गया था। बिमलप्रसाद जैन मेरे साथ गए थे। वहाँ हम लोग मुख़बिर मदनगोपाल से मिले, जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला था। बिमलप्रसाद ने मुख़बिर मदनगोपाल से परिचय कराने में कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया था, न कोई विशेष बातचीत ही हुई। उस समय मैंने श्री० अर्जुनलाल सेठी को पहले-पहल देखा था। हम लोगों ने परस्पर नमस्कार किया। श्री० सेठी ने पूछा कि दल क्या कर रहा है। मैंने कहा कि दल धन न होने के कारण असङ्गठित हो गया है और कोई कार्य नहीं हो सकता। मुझे याद नहीं है कि और क्या बात हुई थी। सेठी ने मुझसे केशवचन्द्र को धन का प्रबन्ध करने के लिए भेजने के सम्बन्ध में कहा। परन्तु धन का प्रबन्ध नहीं हो सका। डेढ़ घण्टे के बाद हम लोग एक-दूसरे से अलग हुए। वहाँ से मैं मुख़बिर मदनगोपाल के घर गया। एक घण्टे के बाद मैं बालकृष्ण के घर पर केशवचन्द्र गुप्त से भी मिला था।

इसके बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई।

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मि० बोस की जिरह के उत्तर में मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि दूसरी दफ़ा मैं अजमेर अकेला गया था और वहाँ मुख़बिर मदनगोपाल के साथ फ़रवरी के दूसरे सप्ताह तक रहा था। मैं अर्जुनलाल सेठी से दो या तीन बार मिला था। मैंने सेठी से रुपयों के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि अगर कुछ समय तक रुक सको तो मैं कुछ प्रबन्ध करूँगा। मैंने रुपयों के लिए उनसे दो या तीन बार कहा था, परन्तु उन्होंने मुझे कोई आशा नहीं दिलाई और न रुपया ही मिला।

(क्रमशः)

* * *

भविष्य

"सरदार भगतसिंह" का फ़ैसला

जिस "सरदार भगतसिंह" नामक पुस्तक के लिखने और छापने के अभियोग में श्री० जतीन्द्रनाथ सान्याल तथा 'भविष्य' के सम्पादक श्री० त्रिवेणीप्रसाद को क्रमशः २ वर्ष और ६ मास की सज़ाएँ दी गई थीं, और जिनकी अपील हाई-कोर्ट में १६ अगस्त को दायर कर दी गई है, उसके सम्बन्ध में इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० आर० एफ़० मुडी ने निम्न-लिखित फ़ैसला लिखा है।

—सम्पादक 'भविष्य'

जतीन्द्रनाथ सान्याल और त्रिवेणीप्रसाद पर "सरदार भगतसिंह : संक्षिप्त जीवन-चरित्र" नामक पुस्तक के लिए, जिसे जतीन्द्रनाथ सान्याल ने लिखा है और त्रिवेणीप्रसाद ने "फ़ाइन आर्ट प्रिन्टिङ्ग कॉटेज, इलाहाबाद" में मुद्रित किया है, इण्डियन पीनल कोड की दफ़ा १२४-ए के अनुसार राजद्रोह का अभियोग लगाया गया है। इसके पूर्व कि अभियोग और सरकारी तथा अभियुक्त-पक्ष की दलीलों पर विचार किया जाय, यह आवश्यक है कि पुस्तक का सारांश जान लिया जाय।

भगतसिंह, जिसका जीवन-चरित्र सान्याल ने लिखा है, वास्तव में लाहौर के असिस्टेण्ट पुलीस सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० सॉण्डर्स का हत्याकारी है और वह उन दो आदमियों में से एक है, जिन्होंने अप्रैल, १९२९ में लेजिस्लेटिव एसेम्बली में बम फेंका था। पुस्तक के आरम्भ में भगतसिंह के वंश का परिचय दिया गया है। कहा गया है कि उसके पूर्वजों ने महाराज रणजीतसिंह को "पश्चिम की तरफ़ उपद्रवी पठानों के विरुद्ध और पूर्व की तरफ़ ख़तरनाक अङ्गरेज़ों के विरुद्ध सहायता दी थी।" इसके पश्चात् भारत के उग्र राजनीतिक आन्दोलन के साथ भगतसिंह के कुटुम्ब का सम्बन्ध बतलाया गया है। उसके चचा अजीतसिंह के सम्बन्ध में लिखा है कि वे "लाला लाजपतराय को मातृ-भूमि की सेवा के राजनैतिक क्षेत्र में खींच लाए।" उनके लिए "बङ्ग-भङ्ग ईश्वरी देन के समान जान पड़ा" और वे "सन् १८१८ के तीसरे स्वेच्छाचार पूर्ण रेगुलेशन के अनुसार, जिससे बाद में सरकार को बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई है" बर्मा को निर्वासित कर दिए गए। इन्हीं दिनों भगतसिंह के पिता और एक दूसरे चचा राजद्रोह के लिए क़ैद किए गए। उसी "शुभ मुहूर्त में सरदार भगतसिंह का जन्म हुआ, जो अपने पिता के द्वितीय पुत्र थे।" लेखक प्रश्न करता है "क्या यह केवल एक संयोग था अथवा कोई दैवी घटना।"

आगे चल कर भगतसिंह की बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है। चौदह वर्ष की उम्र में "मातृ-भूमि की सेवा के उत्साह के फल स्वरूप भगतसिंह का सम्बन्ध पञ्जाब की कुछ क्रान्तिकारी संस्थाओं से हो गया।" अपने पिता की गिरफ़्तारी, जिस पर "क्रान्तिकारियों को एक हज़ार रुपया सहायता देने का" अभियोग लगाया गया था; और "सन् १९१४ और १९१५ के लाहौर षड्यन्त्र केसों में सिक्खों के वीरतापूर्ण बलिदान" के प्रभाव से वह "बब्बर अकालियों के उग्र क्रान्तिकारी मार्ग की तरफ़ अग्रसर होता गया।" पुलीस की निगरानी के कारण भगतसिंह कानपुर को चला गया, जहाँ श्री० गणेश शङ्कर विद्यार्थी के साथ उसकी आजन्म मैत्री स्थापित हुई और वह "भारत के एक सुसङ्गठित क्रान्तिकारी दल का मुख्य अङ्ग बन गया।"

इसके पश्चात् भारतीय क्रान्तिकारी दल वालों की प्रारम्भिक चेष्टाओं का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार "आपस के विश्वासघात के कारण" "कुछ राजपूत और सिक्ख पल्टनों को उभाड़ कर भारत में सशस्त्र क्रान्ति मचाने की चेष्टा" असफल हो गई। सिङ्गापुर की ५वीं लाइट इन्फ़ैण्टरी के "भयङ्कर बलवे" और बाद में सन्दिग्ध रेजिमेण्टों को "फ़्रान्स के सब से कठिन रण-क्षेत्रों" में भेजे जाने का भी वर्णन किया है। "बारदौली की हार" के पश्चात् गुप्त क्रान्तिकारी आन्दोलन ज़ोरों से फैलने लगा और इलाहाबाद में "हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोशिएशन' (भारतीय प्रजातन्त्रवादी समिति) की स्थापना हुई, जिसमें भगतसिंह भी सम्मिलित हुआ। इसके फल से काकोरी ट्रेन डकैती हुई। इस मुक़दमे के बाद भगतसिंह लाहौर वापस चला गया। इस समय तक वह "इतनी बौद्धिक उन्नति कर चुका था, जिससे उसे शेष जीवन भर सामग्री प्राप्त होती रही" और "उसने रूसी क्रान्तिकारियों के आदर्श पर एक "स्टडी सर्किल" (अध्ययन-समिति) की स्थापना की।" उसने "उपयुक्त साहित्य" का एक पुस्तकालय भी संग्रह किया जो "अभाग्यवश" पुलीस की निगरानी के कारण बर्बाद हो गया।

"काकोरी षड्यन्त्र केस में चार नवयुवकों को फाँसी और अनेकों को कड़ी सज़ाएँ मिलने से देश के भावुक नवयुवकों के हृदय में आग लग गई" और भगतसिंह फिर से यू० पी० और बिहार में क्रान्तिकारी दल का सङ्गठन करने लगा। वह लाहौर की रामलीला के जुलूस पर बम फेंकने के अभियोग में पकड़ा गया, जिससे उसका कार्य रुक गया। इस गिरफ़्तारी से उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि "क्रान्तिकारी षड्यन्त्र के सम्बन्ध में किसी भी समय पकड़ लिया जाना तो एक ऐसी बात थी, जिसका विचार स्वभवतः उसे रहता था" पर "दशहरा के समान मेले के दिन निर्दोष पुरुषों और स्त्रियों की हत्या करने के जघन्य अपराध का अभियोग लगाया जाना एक ऐसी बात थी, जिसका उसे स्वप्न में भी विचार न था।"

इस मुक़दमे से छूटने के बाद भगतसिंह देश में भ्रमण करके क्रान्तिकारियों का सङ्गठन करता रहा। एक महत्वपूर्ण मीटिङ्ग में, जो सितम्बर १९२८ में देहली के पुराने क़िले में हुई थी, पार्टी का नाम 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन' से बदल कर 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' रक्खा गया, और निश्चय किया गया कि पार्टी को दो भागों में बाँट दिया जाय; कार्यकर्तागण और सहानुभूति रखने वाले। कार्यकर्ताओं के विभाग का काम हथियार और गोली-बारूद इकट्ठा करना, आतङ्क फैलाने की योजनाओं को कार्य-रूप में परिणत करना, और दल के कार्य को आगे ब ाना था। इस विभाग का नाम 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' रक्खा गया। सहानुभूति रखने वालों का काम फ़ण्ड इकट्ठा करना, प्रचार-कार्य करना और दूसरे विभाग के सदस्यों को आश्रय देना था। कार्यकर्ताओं के विभाग का मुखिया चन्द्रशेखर आज़ाद था जो "बड़ी वीरता के साथ पुलीस से लड़ता हुआ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मारा गया।" क्रान्तिकारी पुस्तकालय की दुबारा स्थापना की गई और भगतसिंह "सम्भवतः अध्ययन की विशालता और गम्भीरता की दृष्टि से किसी से कम न था।"

दिसम्बर, १९२८ में लाहौर में सॉण्डर्स की हत्या हुई। लेखक ने वर्णन किया है कि किस प्रकार भगतसिंह, शिवराम, राजगुरु और चन्द्रशेखर आज़ाद को लाला लाजपतराय की मृत्यु का बदला लेने का आदेश दिया गया "जिससे प्रथम तो सार्वजनिक आन्दोलन का उपद्रव की तरफ़ झुकाव हो और दूसरे संसार जान सके कि लाला जी के पीटने को हिन्दुस्तान ने चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर लिया।" इसके बाद मि० सॉण्डर्स की हत्या और उनके हत्याकारियों के बच निकलने का वर्णन किया गया है।

"सॉण्डर्स-हत्याकाण्ड की सफलता से पार्टी का प्रभाव फैलने लगा और विद्यार्थियों में इसके कारण बड़ी उत्तेजना उत्पन्न हो गई।" थोड़े ही दिनों में हत्याकारियों को चन्दा मिलने लगा। पर कलकत्ता कॉङ्ग्रेस के अवसर पर जब वे क्रान्तिकारी आन्दोलन के पुराने नेताओं से मिले तो उनको पता चला कि यद्यपि वे उनके सशस्त्र क्रान्ति मचाने के अन्तिम उद्देश्य से सहमत हैं, पर "पार्टी के प्रोग्राम में उपद्रवों के रक्खे जाने और रहस्य-गोपन की आवश्यकता" के सम्बन्ध में उन्होंने मतभेद प्रकट किया। बङ्गाल के क्रान्तिकारी दल वाले बम का उपयोग करना पसन्द नहीं करते थे, पर भगतसिंह ने उनमें से एक को बम बनाना सिखाने के लिए राज़ी किया। इसका फल अप्रैल, १९२९ का एसेम्बली बम-काण्ड हुआ। लेखक ने इसे "एक बड़ा सुरक्षित दृश्य" बतलाया है, जैसा "देहली के बादशाही शहर को फिर देख सकना कभी नसीब न होगा।" "बहादुर कौन्सिल मेम्बरों में से अधिकांश के भयभीत होने के हास्य-जनक दृश्य" का वर्णन करके लेखक लिखता है—"पर देखो, सरकारी मेम्बरों की तरफ़, मुख्य द्वार और महिलाओं की गैलरी के बीच में दो नवयुवक दिखलाई पड़ते हैं, वे ऐसे निर्भय और शान्त हैं मानो तन्मय होकर किसी भावी स्वप्न को देख रहे हों। वे दो ऐतिहासिक मूर्तियाँ हैं—सरदार भगतसिंह और श्री० बटुकेश्वर दत्त।" अपनी "पूर्व निश्चित योजना" के अनुसार इन दोनों क्रान्तिकारियों ने भागने की कोशिश नहीं की, वरन् उन्होंने "क्रान्ति चिरञ्जीव हो" "साम्राज्यवाद का नाश हो" के नारे लगाए, जो कि शीघ्र ही भारतवर्ष के नवयुवकों की पुकार बन गए।"

एसेम्बली बम-काण्ड को "केवल भगतसिंह के जीवन की ही नहीं, वरन् क्रान्तिकारी भारत के इतिहास की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना" बतलाया गया है। क्रान्तिकारी दल अपने उद्देश्यों के सम्बन्ध में उत्तेजना-पूर्ण ढङ्ग से घोषणा करना चाहता था। चूँकि सॉण्डर्स हत्याकाण्ड के लिए कोई गिरफ़्तार नहीं किया गया था, इसलिए निश्चय किया गया कि कोई दर्शनीय उपद्रव किया जाय और उसके करने वाले अपने को पुलीस के हाथों में पकड़ा दें। आरम्भ में जिन लोगों से एसेम्बली

बम-काण्ड करने को कहा गया था, उनमें भगतसिंह शामिल न था। पर जब एक मित्र ने उससे ऐसा करने को कहा तो उसने एक पत्र द्वारा "जो प्रेम और भावुकता के भावों से परिपूर्ण था" स्वीकृति दे दी। "अभाग्यवश" यह पत्र अब पुलीस के क़ब्ज़े में है।

"एसेम्बली बम केस की कार्रवाई का क्रान्तिकारी दल के कार्य की वृद्धि करने के लिए पूर्णरूप से उपयोग किया गया" और अभियुक्तों ने वीरतापूर्वक अदालत के सामने बयान देकर अपना यह सन्देश दिया कि भारतवासियों को मज़दूर और किसान-दलों की स्थापना के लिए उद्योग करना चाहिए, जिससे जनता के लिए सच्चा स्वराज्य प्राप्त किया जा सके।" उन्होंने अपना यह "ऐतिहासिक बयान" सेशन कोर्ट के सामने दिया। लेखक के मतानुसार "नवयुवकों के ऊपर इस बयान का बिजली का सा असर पड़ा" और "अनेक समाचार-पत्र और सार्वजनिक कार्यकर्ता नवयुवकों के उद्देश्य की सराहना करने लगे।" नौजवान भारत-सभा ने प्रकाशन कार्य के लिए सङ्गठन किया, जिससे "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के इन दोनों प्रतिनिधियों का नाम हो गया" और "उनका इरादा पूरी तरह से सफल हो गया।"

इसके पश्चात् लेखक ने पञ्जाब की जेलों में क्रान्तिकारियों के अनशन का वर्णन किया है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक क़ैदियों के साथ अधिक अच्छा बर्ताव कराना था और जेल के व्यवहार के उदाहरण स्वरूप बनारस षड्यन्त्र केस में सज़ा पाए ग्यारह अभियुक्तों में एक के पागल हो जाने और तीन के मर जाने का वर्णन दिया है। अनशन के समाप्त होने पर भगतसिंह और अन्य दो व्यक्ति "विचार करने लगे कि पार्टी के उद्देश्यों को किस तरह अधिक से अधिक सिद्ध किया जा सकता है" और "उन्होंने निश्चय किया कि लाहौर कॉन्सपिरेसी केस की कार्रवाई को इस तरह किया जाय, जिससे उनके आदर्शों, उद्देश्यों, लक्ष्य और कार्य-प्रणाली का ख़ूब प्रचार हो सके।" अतएव वे लोग नियमित रूप से अदालत में जाते और कार्रवाई के शुरू में क्रान्तिकारी नारे लगाते। उनके आन्दोलन करने से मुक़दमे की कार्रवाई देखने को, जो कि लाहौर सेण्ट्रल जेल के भीतर होता था, कितने ही दर्शकों को आज्ञा दी गई। ये दर्शक "अदालत में जो कुछ सुनते थे उससे उत्साहित और उद्यत होते थे।" अभियुक्तों ने ऐसे किसी अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया, जिससे "उनकी चेष्टा के वीरत्व" और "उनकी कार्य-प्रणाली के विवरण" का प्रसार हो। इसके बाद लेखक ने "आठ खूँख़्वार पठानों" द्वारा भगतसिंह के पीटे जाने का वर्णन किया है, और बतलाया है कि किस प्रकार फिर भी भगतसिंह ने अपनी टेक न छोड़ी।

गवर्नमेण्ट ने "लाहौर कॉन्सपिरेसी केस से देश के नवयुवकों पर पड़ने वाले भीषण प्रभाव" को कम करने के लिए लाहौर कॉन्सपिरेसी केस ऑर्डिनेन्स बनाया। भगतसिंह ने इसे बहुत शुभ समझा, क्योंकि इससे "ब्रिटिश न्याय की पोल खुलती थी।"

इस अभियोग में सज़ा दिए जाने के बाद "लाहौर और हिन्दुस्तान के दूसरे बड़े शहरों के निवासियों, ख़ास कर नवयुवकों, औरतों और विद्यार्थियों का जोश उमड़ पड़ा" और एक प्रस्ताव जिसमें "भगतसिंह और दूसरों को उनके वीरतापूर्ण बलिदान के लिए बधाई दी गई थी, पास किया गया।" प्रिवी कौन्सिल में अपील करने का आयोजन किया गया जिससे "विदेशों में प्रचार-कार्य हो सके" और 'सभ्य संसार को विदित हो जाय कि भारत के राजनैतिक 'क़ैदियों को कैसा अमानुषिक व्यवहार सहन करना पड़ता है।" "दूसरा उद्देश्य यह था कि इङ्गलैण्ड के शत्रुओं को पता लग जाय कि भारत में एक साम्यवादी क्रान्तिकारी दल मौजूद है।"

भगतसिंह की फाँसी के विरुद्ध आन्दोलन सन्धि हो जाने से रुक गया, "जो नवयुवकों की दृष्टि में सिवाय आत्म-समर्पण के कुछ न थी।" "कॉङ्ग्रेस के नेताओं ने एकाएक सार्वजनिक आन्दोलन को रोक दिया, गवर्नमेण्ट ने अवकाश पाकर साँस ली और तब शान्ति के साथ फाँसी की सज़ाएँ कार्य रूप में परिणित की गईं।" लेखक पूछता है "क्या अपने विरोधियों के ऊपर अन्तिम शानदार विजय पाने के लिए परमात्मा भी भगतसिंह की सहायता कर रहा था?" फाँसी के सम्बन्ध में पण्डित जवाहरलाल का उद्गार—"पर जो अब नहीं रहा है, उसके लिए अभिमान बना रहेगा और जब इङ्गलैण्ड हमसे बातें करेगा और समझौते के लिए कहेगा, तो हमारे बीच में भगतसिंह की लाश पड़ी होगी; जिससे कहीं हम उसे भूल न जायँ, कहीं हम उसे भूल न जायँ।"

अन्तिम अध्याय में, जिसका शीर्षक "संस्मरण और भावनाएँ" हैं, लेखक ने भगतसिंह के चरित्र और उद्देश्यों का वर्णन किया है। बतलाया गया है कि वह एक सुन्दर नवयुवक था, उसकी आवाज़ सुरीली थी, वह भावपूर्ण ढङ्ग से गा सकता था और उसका हृदय भावुकता और सहानुभूति से भरा हुआ था। तत्पश्चात् लेखक ने उसकी साहित्यिक रुचि और उसके नास्तिक मत स्वीकार करने का वर्णन किया है। बतलाया गया है कि वह साम्यवादी था और सिवाय थोड़े से समय के वह कभी आतङ्कवादी नहीं रहा, और "२३ मार्च के सन्ध्या-काल तक, जब कि भगतसिंह अपनी काल-कोठरी से अन्तिम शानदार यात्रा के लिए बाहर निकला, जीवन भर कभी एक क्षण के लिए भी किसी तरह का निराशापूर्ण विचार उसके मस्तिष्क में नहीं आया।" अन्त में लेखक ने 'पीपुल' से यह उद्धरण देकर पुस्तक समाप्त की है—"वर्तमान समय की घटनाओं में किसी ने सर्वसाधारण के ध्यान को इतना अधिक आकर्षित नहीं किया, जितना कि भगतसिंह के वीरतापूर्ण चरित्र ने। उसका अभी से एक उपाख्यान बन गया है और वह एक पौराणिक वीर की भाँति माना जाने लगा है। भारत के नवयुवकों का उस पर अभिमान करना उचित ही है। उसका अनुपम साहस, उसका उच्च आदर्श, उसका निर्भयतापूर्ण भाव प्रकाश-स्तम्भ की तरह कितनी ही भूली-भटकी आत्माओं को मार्ग दिखलाता रहेगा।..............................

...............यद्यपि भगतसिंह मर गया, पर जब लोग 'क्रान्ति चिरञ्जीव हो' का नारा लगाते या सुनते हैं, तो दूसरा नारा 'भगतसिंह चिरञ्जीव हो' भी उसमें सदैव निहित रहता है।"

पुस्तक के अन्त में एक परिशिष्ट है, जिसमें एसेम्बली बम केस में सेशन जज की अदालत में दाख़िल किया गया भगतसिंह का बयान दिया गया है।

मैंने पुस्तक की चर्चा कुछ विस्तारपूर्वक की है, क्योंकि अभियोग उसके कुछ ख़ास वाक्यों के लिए नहीं चलाया गया है, वरन् इसलिए कि उस पूरी पुस्तक के पढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है। अभियोग में पुस्तक के कुछ पन्ने उदाहरण-रूप में निर्दिष्ट किए गए हैं, पर लेखक ने भारत में क़ानून द्वारा स्थापित ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के प्रति अप्रीति फैलाने की चेष्टा विशेष रूप से इस प्रकार की है—(१) भगतसिंह और दूसरे उपद्रवकारियों के कामों का औचित्य सिद्ध करने और उनके प्रति पाठकों में सहानुभूति उत्पन्न करने की चेष्टा करके और (२) भगतसिंह ने जो बयान देहली के सेशन कोर्ट में दाख़िल किया था उसे बिना किसी प्रकार की निन्दा और अप्रत्यक्ष प्रशंसा के साथ परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित करके।

पहले अभियोग के सम्बन्ध में मि० सॉण्डर्स की हत्या (पृष्ठ ३७) "संसार को यह जतलाने के लिए की गई कि लाला जी के पीटने को भारत ने चुपचाप नहीं सह लिया" और इसलिए जो पुलीस अफ़सर "लाला जी की मृत्यु के लिए उत्तरदायी थे" मार डाले गए। (पृष्ठ ३६) एसेम्बली बम-काण्ड वे 'ट्रेड डिसप्यूट बिल और पब्लिक सेफ़्टी बिल के अन्यायपूर्ण नियमों के प्रति अपना विरोध" प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। समस्त पुस्तक में कहीं पर एक भी ऐसा वाक्य नहीं जिससे पाठक यह समझें कि लेखक भगतसिंह और उसके सहकारियों के काम करने के ढङ्ग की निन्दा करता है और मैं सिर्फ़ एक वाक्य में कुछ ऐसी बात पा सका हूँ कि उपद्रव द्वारा क्रान्ति की नीति विचारणीय है। सातवें पृष्ठ पर लेखक ने यह स्वीकार करने के पश्चात् कि बब्बर अकालियों के उपद्रवपूर्ण ढङ्गों को बहुत से लोग पसन्द नहीं करते, कहा है कि उनमें "कुछ लोग सचमुच बड़े उच्च चरित्र के थे।" यद्यपि यह सन्देहास्पद है कि इस अकेले वाक्य का आशय उपद्रवों की निन्दा करना है, पर यदि इसका आशय ऐसा हो भी तो वह समस्त किताब को देखते हुए बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरा विचार है कि जब कि पुस्तक में उपद्रवकारियों के अपने कार्यों के लिए पेश किए गए कारणों और उज़्रों को पूरी तरह से बयान किया गया है। उसमें दरअसल कोई भी ऐसी बात नहीं, जिससे यह प्रकट हो कि समझदार लोग उनके कामों की निन्दा करते हैं।

तमाम किताब को एक बार पढ़ जाने से अथवा मैंने जो सारांश दिया है, उससे इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं रहता कि इसका नायक भगतसिंह है। यह दावा नहीं किया जा सकता कि यह उसके जीवन का पक्षपात-रहित और स्वतन्त्र वर्णन है, वरन् यह उसके उद्देश्यों और काम करने के ढङ्गों की प्रशंसा के समान है। इस बात का इशारा किया गया है कि उसका जन्म परमात्मा की ख़ास इच्छानुसार हुआ था; उसे कई जगह एक उत्साही विद्या-व्यसनी और सुसंस्कृत व्यक्ति बतलाया गया है, जिसका कोमल हृदय सद्भावों से भरा हुआ था। आतङ्कवादियों के कामों के लिए बराबर प्रशंसा के पुल बाँधे गए हैं, उनको जगह-जगह वीर और देशभक्त दर्शाया गया है, जबकि उनकी शत्रु गवर्नमेण्ट का नाम शायद ही कहीं बिना घृणा या निन्दा के लिया गया हो। सॉण्डर्स-हत्याकाण्ड को "सफलता" बतलाया गया है और भगतसिंह के लिए कहा गया है कि उसने अपनी मृत्यु द्वारा भी गवर्नमेण्ट पर एक विजय प्राप्त की, क्योंकि उससे उग्र विचार वालों का पक्ष मज़बूत बन गया। ऐसे उदाहरण और ज़्यादा देना निरर्थक है। इसमें किसी तरह का सन्देह नहीं कि तमाम किताब का कम से कम असर, ख़ास कर नौजवानों के अधूरे दिमाग़ पर, यही होगा कि वे भगतसिंह को श्लाघनीय दृष्टि से देखने लगेंगे और बहुत से उसके कार्यों की नक़ल भी करना चाहेंगे; और वे सरकार को घृणा करने लगेंगे, जिसने उसे मृत्यु-दण्ड दिया।

दूसरा क़सूर यह बतलाया गया है कि भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो बयान सेशन कोर्ट में दिया था, उसे छाप कर सान्याल ने गवर्नमेण्ट के प्रति अप्रीति फैलाने की चेष्टा की है। इस बयान को जो महत्व दिया गया है वह पुस्तक के ८९वें पृष्ठ पर स्पष्ट किया गया है। लेखक के मतानुसार भगतसिंह इसे इतना महत्वपूर्ण मानता था कि एसेम्बली बम-काण्ड का समस्त प्रदर्शन इसे उपयुक्त स्थान देने के लिए ही किया गया था। इसका प्रभाव बिजली के समान बतलाया गया है। भगतसिंह प्रचार-कार्य को जो महत्व देता था, उस पर पृष्ठ ९२ और ९३ में फिर से ज़ोर दिया गया है। इसलिए लेखक प्रचार की दृष्टि से इस बयान के मूल्य को भली-भाँति समझता है, और मुझे जान पड़ता है कि उसने इसको जो स्थान दिया है उसका आशय यही है कि वह उसमें निहित विचारों के लिए पाठकों से सिफ़ारिश करता है। यह सच है कि उसने यह सिफ़ारिश कहीं पर स्पष्ट तौर पर नहीं की है, पर भगतसिंह के लिए उस ढङ्ग से, जिसका वर्णन मैं ऊपर कर चुका हूँ, अपने पाठकों की सहानुभूति प्राप्त करने और यह बतलाने से कि भगतसिंह इस बयान का इतना अधिक महत्व समझता था कि इसे ऐसी परिस्थिति में प्रकट करने के लिए, जिससे इसका अधिक से अधिक प्रचार हो सके, वह लम्बी क़ैद की सज़ा भोगने को तैयार हो गया। सान्याल का आशय यही प्रकट होता है, कि वह चाहता था कि उसके पाठक इस बयान के पहले से ही अनुकूल हो जायँ और इसे पुस्तक का सब से महत्वपूर्ण अङ्ग समझें।

इसलिए इस परिशिष्ट पर विचार करना आवश्यकीय है। एसेम्बली बम-काण्ड के लिए कहा गया है कि वह "उस संस्था के प्रति एक क्रियात्मक विरोध था, जिसने अपने जन्म-समय से ही न केवल अपनी निरर्थकता ही स्पष्ट रूप से प्रकट की है, वरन् अपनी हानि पहुँचाने वाली प्रभावपूर्ण शक्ति को भी प्रकट कर दिया है...... और जो हद दर्जे के उत्तरदायित्व-शून्य और निरङ्कुश शासन का नमूना है।" (पृष्ठ ११६) "संक्षेप में ईमानदारी से खोज करने के बाद भी हम एक ऐसी संस्था का, जिसकी शान-शौकत हिन्दुस्तान के करोड़ों ग़रीबों के परिश्रमपूर्वक पैदा किए धन से बढ़ाई जाने पर भी जो एक कोरा तमाशा तथा दिखावटी ढोंग है, अस्तित्व क़ायम रखने का कोई उपयुक्त कारण नहीं पा सके हैं।" (पृष्ठ ११७) आगे चल कर वे यह भी कहते हैं कि "हिन्दुस्तान की परिश्रम करने वाली करोड़ों जनता एक ऐसी संस्था से किसी प्रकार की आशा नहीं कर सकती जो कि लूटने वाले मालदारों की घातक शक्ति और असहाय श्रमजीवियों की ग़ुलामी के लोभमय स्तम्भ के समतुल्य है।"

इस प्रकार की दशा का इलाज "काल्पनिक अहिंसावाद" द्वारा नहीं हो सकता है। "जब कि शक्ति का उपयोग आक्रमण के लिए किया जाता है तो वह उपद्रव है और इसलिए नैतिक दृष्टि से न्याय-विरुद्ध है। पर जब इसका उपयोग किसी न्याययुक्त प्रयोजन के लिए किया जाता है तो यह नैतिक दृष्टि से न्यायानुकूल होती है।" मानव-जीवन की महत्ता स्वीकार न करते हुए इस बयान के देने वालों ने कहा है कि उन्होंने अपने को जान-बूझ कर "साम्राज्यवादी लुटेरों" के सुपुर्द कर दिया है। इसके बाद उन्होंने बतलाया है कि क्रान्ति से उनका आशय क्या है। यह कम्यूनिस्ट ढङ्ग का लेख है, जिसका अन्त "क्रान्ति चिरञ्जीव हो" से होता है। इस प्रकार यह परिशिष्ट भारत-सरकार के शासन-अङ्गों और स्वयम् भारत-सरकार का ऐसे शब्दों में वर्णन करके जिनसे स्पष्टतया घृणा और अप्रीति उत्पन्न होती है, सशस्त्र क्रान्ति का समर्थन करता है, जिससे इस देश में कम्यूनिस्ट सरकार क़ायम की जा सके। यह वह बयान है जिसके महत्व पर पुस्तक में ख़ूब ज़ोर दिया गया है।

इसलिए इस किताब को लिखने से लेखक का उद्देश्य यही मालूम पड़ता है कि आतङ्कवादियों और उनकी कार्य-प्रणाली की प्रशंसा हो और इस देश के लोग अथवा उतने लोग जो इस पुस्तक को पढ़ें, उपद्रव द्वारा क्रान्ति करने को उत्तेजित हों। पर वह इससे इन्कार करता है और कहता है कि उसका उद्देश्य यह दिखलाना था कि यद्यपि एक समय भगतसिंह हिंसा का पक्षपाती था, पर अन्त में वह साम्यवादी बन गया। लेखक के कथनानुसार साम्यवाद से उसका आशय सामूहिक आन्दोलन से है, न कि अहिंसात्मक आन्दोलन से। इस कथन को सिद्ध करने के लिए अभियुक्त-पक्ष की तरफ़ से पृष्ठ २६ का निम्न-लिखित वाक्य पेश किया गया है—"काकोरी केस की फाँसियों ने उसे (भगतसिंह को) पक्का उपद्रववादी बना दिया था। पर भारतीय समस्याओं के सम्बन्ध में उसके गम्भीर अध्ययन ने, जिन्हें वह संसार की समस्याओं के समतुल्य ही मानता था, उसकी सम्मति को बदल दिया। नेशनल कॉलेज में अध्ययन करने से वह धीरे-धीरे साम्यवाद का अनुयायी बनता गया और रूस के शासन को अपने आदर्श के बहुत कुछ अनुकूल मानने लगा।"

इसका अर्थ यह हो सकता है कि पहले भगतसिंह का उद्देश्य केवल बदला लेना था, पर बाद में उसका उद्देश्य सोवियट सरकार क़ायम करना हो गया। २८वें पृष्ठ में लिखा है कि पुराना क़िला दिल्ली की मीटिङ्ग में भगतसिंह ने "अपने को एक साम्यवादी कार्यकर्ता के रूप में प्रकट किया" और "पुलीस के अफ़सरों और मुख़बिरों की हत्या की बात पीछे पड़ गई।" पर यह बात पूर्ण रूप से न त्यागी गई होगी, क्योंकि यह मीटिङ्ग सितम्बर, १९२८ में हुई थी और मि० सॉण्डर्स उसी वर्ष दिसम्बर में मारे गए। इसके सिवाय ४४वें पृष्ठ में वर्णित बम और उपद्रवों के उपयोग के सम्बन्ध में भगतसिंह और बङ्गाल के क्रान्तिकारियों का मतभेद भी हमको याद है। फिर परिशिष्ट में (पृष्ठ १२५) कहा गया है कि क्रान्ति में "व्यक्तिगत बदले" का कोई स्थान नहीं है। इन वाक्यों के होते हुए यह विश्वास कर सकना असम्भव है कि लेखक का उद्देश्य इस पुस्तक के लिखने से यह था कि भगतसिंह ने आतङ्कवाद को त्याग दिया था। सम्भव है उसने समझ लिया हो कि हत्याओं को ही उद्देश्य मानना निरर्थक है, पर किताब के अन्तिम भाग के अधिकांश में क्रान्तिकारी विचारों के फैलाने के लिए हत्याओं का महत्व ही सिद्ध किया गया है।

अभियुक्त-पक्ष की तरफ़ से यह दलील भी पेश की गई है कि यह किताब अप्रीति उत्पन्न नहीं कर सकती; क्योंकि इसकी सब बातें पहले प्रकट हो चुकी हैं और इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। परन्तु इस बात को छोड़ते हुए भी कि इस सम्पूर्ण पुस्तक को राजविद्रोहपूर्ण बतलाया गया है न कि इसके कुछ विशेष वाक्यों को; यह प्रश्न उठता है कि लेखक ने इसे क्यों लिखा और वह किस उपाय से इसकी एक हज़ार प्रतियों को खपा सका। इसका उत्तर मुझे यही जान पड़ता है कि इस मौक़े पर इस पुस्तक के प्रकाशित करने का उद्देश्य भगतसिंह की स्मृति को जीवित रखना था। मैं पं० जवाहरलाल नेहरू का उद्धरण भी पेश करना चाहता हूँ जो पुस्तक के ९९वें पृष्ठ पर दिया गया है, "कहीं हम भूल न जायँ, कहीं हम भूल न जायँ।"

यह दलील पेश की गई है कि पुस्तक में गवर्नमेण्ट के कार्य की किसी तरह की आलोचना नहीं की गई है। कितने ही अप्रत्यक्ष आक्षेपों के होते हुए भी यह ठीक है। पर दोष यह नहीं लगाया गया है कि पुस्तक गवर्नमेण्ट की आलोचना द्वारा अप्रीति उत्पन्न करती है, वरन् यह कि इसमें गवर्नमेण्ट के शत्रुओं की प्रशंसा करके ऐसा किया गया है।

अभियुक्त-पक्ष ने केवल तीन गवाहों को बुलाया था जिनमें से दो पेश हुए। मैं दरअसल उनकी गवाही को कुछ भी महत्व प्रदान नहीं करता, उनके उत्तर ज़रा भी साफ़ न थे और उनका ढङ्ग विश्वास योग्य न था।

अन्त में मुझे यह कहने में किसी प्रकार की शङ्का नहीं है कि इस पुस्तक के लिखने से लेखक का उद्देश्य गवर्नमेण्ट के प्रति अप्रीति उत्पन्न करना और आतङ्कवादियों तथा क्रान्तिकारियों के लिए अपने पाठकों की सहानुभूति प्राप्त करना था। केवल इतना ही नहीं उसने सशस्त्र बलवे के विचार को फैलाने की भी कोशिश की है। इसलिए मेरा विचार है कि "सरदार भगतसिंह" का लेखक जतीन्द्रनाथ सान्याल और उसका प्रिण्टर त्रिवेणीप्रसाद ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा १२४-ए के अनुसार दोषी हैं।

अब सज़ा का प्रश्न शेष रह जाता है। जतीन्द्रनाथ सान्याल नवयुवक है और उसकी नई उम्र से मुझे उसके साथ रियायत करने का ख़्याल हो सकता था। पर यह किताब केवल अप्रीति और घृणा ही उत्पन्न नहीं करती, वरन् यह भी बतलाती है कि जो लोग अपने देश को प्रेम करते हैं, उनके लिए उचित मार्ग, देश को आतङ्कवाद के प्रचार द्वारा पूरी तरह से तैयार करने के पश्चात् सशस्त्र क्रान्ति ही है। इसलिए इसका अर्थ बहुत बड़ी हानि पहुँचाना है, और इसे हत्या के लिए उत्तेजित करना कहा जा सकता है। इसलिए रियायत करना अनुचित होगा। इसमें निर्दोष व्यक्तियों की जान का सवाल है। इसलिए मैं जतीन्द्रनाथ सान्याल को दो वर्ष की कड़ी क़ैद का दण्ड देता हूँ।

त्रिवेणीप्रसाद का मामला भिन्न प्रकार का है। उसने फ़ाइन आर्ट प्रिण्टिङ्ग कॉटेज का चार्ज इसी वर्ष ९ अप्रैल से लिया था। यह किताब शायद उसकी पहली कृतियों में से है। वह मुझे कोई विशेष बुद्धिमान अथवा चरित्र-बल का व्यक्ति नहीं जान पड़ता और सम्भवतः वह उस ख़तरे को भी नहीं समझता था, जिसे वह ले रहा था। इसलिए मैं त्रिवेणीप्रसाद को एक हज़ार रुपया जुर्माना या उसे अदा न करने पर छः महीने की कड़ी क़ैद की सज़ा देता हूँ।

❀ ❀ ❀

[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

गत १४ अगस्त को, बफ़ज़्ले ख़ुदाताला, मुहर्रम की दसवीं तारीख़ का मज़ा मिल गया। वही जोशो-ख़रोश, वही "हाय हसन हम न हुए" के दिलख़राश नारे! कहीं यह 'काश्मीर-डे' का सिलसिला हमेशा के लिए जारी हो गया तो लखनऊ के बेचारे ग़रीब मर्सिया-ख़्वानों के लिए रोज़ी का एक नया ज़रिया निकल आएगा और साल में एक बार की जगह दो बार बेचारों की पूछ हो जाएगी।

❀

इसलिए श्रीजगद्गुरु की राय है कि आइन्दे से हमारे मुसलमान भाई हर साल १ अगस्त से लेकर १४ तक 'काश्मीर-दिवस' मनाया करें तो और भी अच्छा हो। तेल की पकौड़ी वालों के साथ ही पलङ्ग-तोड़ गोलियाँ बेचने वाले हकीम साहब को भी दो पैसे मिल जाया करें। साथ ही हर साल कुफ़्र का भी थोड़ा सा हिस्सा टूट जाया करे तो और भी अच्छा। क्योंकि मुस्लिम सल्तनत क़ायम करने के वक़्त जब एक साथ ही सिर से पैर तक कुफ़्र तोड़ना पड़ेगा तो थोड़ी सी तवालत होगी।

❀

ख़ैर, यह प्रसन्नता की बात है कि 'अखिल भारतीय काश्मीर कमिटी' की स्थापना हो गई है और काश्मीर के 'काफ़िर राजा' के ख़िलाफ़ जहाद का झण्डा बुलन्द करने की भी तैयारी हो गई है। शौकत-कम्पनी ने फ़तवा भी दे दिया है कि शीघ्र ही मुसलमानों का एक ज़बर्दस्त जत्था काश्मीर भेजा जाए। क्योंकि सिन्ध से बलूचिस्तान तक मुस्लिम सल्तनत क़ायम करने के लिए बीच से काश्मीर के अड़ङ्गे को निकाल फेंकना ही युक्तिसङ्गत है। इसलिए काश्मीर के इस झगड़े के सुवर्ण सुअवसर से लाभ उठाना ही बुद्धिमानी है। बस, "किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तो!"

❀

सुनते हैं, श्रीमती सरकार की पुरानी गुदड़ी में 'सामन्त राज-रक्षा क़ानून' नाम का एक अमोघास्त्र मौजूद है, परन्तु मजबूरी तो यह है कि दाढ़ीदार चेहरे पर उसका कुछ असर ही नहीं होता। इसके सिवा कॉङ्ग्रेसी आन्दोलन की बाढ़ में बहती हुई नौकरशाही के लिए भी केवल दाढ़ी का ही सहारा रह गया है; बेचारी उसी को पकड़ कर किसी तरह किनारे लगने की चेष्टा में है। ऐसी दशा में सामन्त राज-रक्षा क़ानून का प्रयोग कहाँ तक समीचीन होगा, यह एक विचारणीय प्रश्न है। काश्मीर में कोई ग़ुलाम चाहिए, चाहे वह दाढ़ी वाला हो या चोटी वाला, सखी के लिए इतना ही बहुत है। क्योंकि बेचारी ने श्रीमान काश्मीर-नरेश की छट्ठी में नेवता थोड़े ही खाया है।

❀

महात्मा गाँधी ने समझौता तोड़ने के सम्बन्ध में मूलतः सात इल्ज़ाम हमारी सुशीला सखी अर्थात् सिवीलियन-जननी श्रीमती नौकरशाही पर लगाए हैं। फलतः समझौते के सात टुकड़े हो जाने के कारण श्रीमती के 'सती' होने का एक बार नए सिरे से परिचय पाकर श्रीजगद्गुरु परम पुलकित हो रहे हैं और सावन भर दोनों वक़्त श्रीमती के स्वास्थ्य का 'टोस्ट ड्रिङ्क' करने का पक्का इरादा कर लिया है।

❀

भई, असल बात तो यह है कि समझौता किया था लॉर्ड इरविन ने और आजकल ज़माना है, सिविलियन-कुल-कुमुद-कलाधर लॉर्ड विलिङ्गडन का और आप आजकल के सनातनियों की तरह रूढ़ियों के ग़ुलाम या लकीर के फ़क़ीर नहीं हैं कि 'बाबा वाक्यम् प्रमाणम्' मान कर आजन्म उसी का पालन करते रहें।

❀

और फिर समझौता होने के समय देश भर के सिविलियनों ने तुलसी-गङ्गाजल लेकर शपथ थोड़े ही खा ली थी, कि यह जो हो रहा है, वह पत्थर की लकीर है या इसे तोड़ना गुनाह है? इसके अतिरिक्त हमारी तो यह भी धारणा है कि किसी शनीचर की शाम को कपड़े बदल कर जब हमारी अलबेली सखी हवाख़ोरी को निकली होंगी तो ठोकर लग गई होगी और कमबख़्त टूट गया होगा। पुराना तो हो ही गया था; फलतः—

छुवत टूट 'कछु सखिहिं' न दोषू,
मुनि बिनु काज करिय कत रोषू।

❀

तोड़-फोड़ में हमारी सखी परम पटु हैं—बल्कि यों कहिए कि यही उनकी विशेषता है। स्वर्गीया महारानी विक्टोरिया के, सन् ५७ के बाद वाली घोषणा से लेकर आज तक की दर्जनों नहीं, बल्कि कोड़ियों शाही घोषणाएँ और प्रतिज्ञाएँ, इनके सबूट श्रीचरणों की ठोकरें खाकर मुर्ग़ बिस्मिल सी तड़प रही हैं। फलतः अपने राम तो यही कहेंगे कि अगर सखी यह समझौता न तोड़तीं तो उनकी सारी कुल-परम्परागत विशेषता ही नष्ट हो जाती और अपनी हमजोलियों में मुँह दिखाने लायक़ भी न रह जातीं।

❀

बूढ़े लँगोटी-बाबा की यह अजीब माँग कि बारडोली वालों से, समझौते के विरुद्ध जबरन जो रुपए वसूल किए गए हैं, लौटा दिए जाएँ। वल्लाह, हमें तो हँसी आ रही है। अजी जनाब, यहीं तो गृहस्थाश्रम के मज़े हैं! कभी अगर 'भूसी दक्षिणा' में से, भाँग-बूटी के लिए दो चार पैसे बचा कर झोले में रख लिए तो सवेरा होने से पहले ही ग़ायब और पूछने पर बरजस्ता यह जवाब कि "मैं क्या जानूँ? तुमने कहीं गिरा दिए होंगे।"

❀

अब आप ही बतलाइए, चल सकती है, कोई दलील, इस माक़ूल जवाब के बाद? फलतः जो 'गोलक' में चला गया, उसे लौटा लेने की चेष्टा, हमारी राय में तो बालू में से तेल निकालने की तरह व्यर्थ प्रयास है। जब सीधी-सादी गुरुआनी जी मुट्ठी में आया हुआ पैसा नहीं छोड़तीं तो परम सयानी श्रीमती नौकरशाही बारडोली के किसानों से जबरन वसूल की हुई माल-गुज़ारी लौटा देंगी, इस पर भला कौन बुद्धिमान विश्वास करेगा।

❀

भई, सारा खेल हो तो पैसे का है। एक मात्र पैसा ही तो उनका पति, पुत्र और पापा ठहरा। उसी के लिए तो बेचारी सात समुद्र और तेरह नदी पार करके, इस ग्रीष्म-प्रधान देश में आई हैं। फिर गृहस्थी भी लम्बी-चौड़ी ठहरी। आए-दिन के अर्थ-सङ्कट का हाल तो आप जानते होंगे कि चारों ओर घाश ही घाश है।

❀

ऊपर से ७ लाख ६२ हज़ार दूसरी गोलमेज़ को भेंट करने के लिए चाहिए। दिल्ली षड्यन्त्र के लिए (जिसके चलने की आशा इस वर्ष के अन्त तक की जाती है) जो ख़ास अदालत बैठी है, उसके ख़र्च के लिए २,६४,००० रुपए चाहिए और इसके सिवा कानपुर के भावी षड्यन्त्र केस में भी लाख दो लाख लगेंगे ही। एक पर एक ज़रूरी काम आए-दिन सिर पर आए ही रहते हैं। ऐसी दशा में बेचारी रूसी किसानों को न चूसें तो क्या कोंपर चूस कर रुपए निकालें?

❀

उधर गोरे बाल-गोपालों की हठ है कि देश के सभी काले लीडर पकड़ कर अन्ततः दस साल के लिए अवश्य ही समुद्र-पार भेज दिए जायँ, ताकि भारत में ब्रिटिश राज्य की धुरी शेषनाग के फण तक पहुँच जाय और रुस्तम के बाबा के हिलाए भी न हिले। रक्त-क्रान्ति के अपराधी चौबीस घण्टे के अन्दर ही मुक्ति के हिंडोले पर झुला दिए जायँ और राजनीतिक मुक़दमों के विचारार्थ एक ख़ास अदालत क़ायम की जाय और उसकी अपील विधाता के दरबार के सिवा और कहीं न हो सके।

❀

बताइए, जब बबुए मचल गए हैं तो उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर लाड़-दुलारे वंशधरों की ही इच्छा पूरी न हुई तो यह धन-दौलत, राजपाट और ऐश्वर्य किस मर्ज़ की दवा होगा? उन्हीं के लिए तो 'माँ बटोरे गोबर और पूत बख़्शें गुहरौल' वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। इसलिए वे जो कुछ कहेंगे, उसे अवश्य ही करना पड़ेगा और इसके लिए लम्बा-चौड़ा ख़र्च तो चाहिए ही।

❀

इसलिए हमारी तो राय है कि अपनी शान्ति-शीलता, उदारता और सहिष्णुता का परिचय प्रदान करने के लिए श्रीमती कॉङ्ग्रेस एक बार फिर सखी नौकरशाही की तहसीलदारी आरम्भ कर दें, ताकि उपयुक्त पुण्यपूत कार्यों के लिए दो-चार करोड़ रुपए शीघ्र ही सखी के 'गोलक' में आ जाएँ। जब पुण्य फल का बटवारा होने लगेगा तो मुक्ति-मार्ग के लिए सँबल स्वरूप चौअन्नी भर श्रीमती कॉङ्ग्रेस को भी मिल जाएगा।

❀

और अगर ऐसे नहीं मिलेगा, तो महात्मा गाँधी ने लाट साहब का घर तो देख ही लिया है। चप्पल पहन कर लाठी टेकते-टेकते पहुँच जाएँगे और चुटकी भर में ले ही आवेंगे। भई, सच्ची बात तो यह है कि "दे ख़ुदा की राह पर" इस महामन्त्र में अजीब आकर्षण है। लाट तो क्या, अगर सच्चे साधक से काम पड़ जाए तो लोहे की 'लाठ' भी इस महामन्त्र से पसीज कर पानी हो सकती है।

❀

उधर लाट साहब के पसीजने की ख़बर पाते ही लण्डन की टोरी-मोरी गङ्गा जमना की तरह मिल गई हैं। बाल्डविन बाबा 'शेर सीधा तैरता है वक्त रफ़्तम आब में' की अपनी पुरानी आदत छोड़ कर दादा मुग्धानल देव के ठीक नीचे आगए हैं। हमारे भूतपूर्व लॉर्ड ऑर्डिनेन्स शान्ति की सुमिरनी लेकर फ़ारेन सेक्रेटरी बने हैं। इस तरह जो है सो लण्डन की पार्लामेण्ट में एक नवीन त्रिवेणी की सृष्टि हुई है। इसलिए कि कहीं मुग्धानल देव पर भारत के अर्द्धनग्न फ़क़ीर का जादू न चल जाए।

❀

मगर सब से बढ़कर दूर की कौड़ी लाए हैं, लण्डनी 'आबज़र्वर' के कलकतिए सम्वाददाता जी। आपका कहना है कि कॉङ्ग्रेस के धारक और वाहक सभी रक्त-पिपासिनी काली देवी के उपासक हैं। इसलिए जब से वे छूटे हैं, तब से हिंसावादियों का उत्पात बहुत बढ़ गया है। यही राय 'स्टेट्समैन' आदि भारत के नमक-हलालों की भी है और श्री० जगद्गुरु की तो राय है कि बङ्गाल में जो भयानक बाढ़ आ गई है, वह भी कॉङ्ग्रेस वालों की ही कारस्तानी है।

❀ ❀ ❀

का

राजपूताना-अङ्क

"भविष्य" और "चाँद" के विद्वान् लेखक—

डॉक्टर मथुरालाल शर्मा, एम० ए०, डी-लिट्, विशारद

के सम्पादकत्व में प्रकाशित होगा !

इसकी विशेषताएँ :—

राजपूताने की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का

सच्चा चित्र और सुधार के उपाय

इसमें निम्न-लिखित लेख प्रकाशित करने का उद्योग किया जा रहा है :—

वर्तमान राजपूत कौन हैं—हूण या आर्य ?
मेवाड़—प्रताप से पूर्व और पीछे (सचित्र)
राजपूताने के प्रसिद्ध युद्ध
राजपूताने के प्रसिद्ध क़िले (सचित्र)
जौहर और भीषण आत्मोत्सर्ग (सचित्र)
मुग़ल-कालीन राजपूताना (सचित्र)
राजपूताने की रियासतों से अङ्गरेज़ी सरकार की सन्धियाँ ।
राजपूताना और मराठे
राजपूतों के अन्तःपुर
रियासतों का राज-प्रबन्ध
राजपूताने में राजनैतिक असन्तोष
बीजोलिया और बूँदी
ग़ुलाम और बेगार
राजपूताने के कर
मारवाड़ी व्यापारी
राजपूताने के अङ्गरेज़ी अफ़सर
डिङ्गलकाव्य
मीराबाई के भजन
जयपुर का अजायबघर
राजपूत चित्र-कला
इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि ।

शीघ्र ही ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

THE BHAVISHYA

Registered No. A—2085

स्थानीय (इलाहाबाद के लिए)	
वार्षिक चन्दा ...	१२)
छःमाही चन्दा ...	६॥)
तिमाही चन्दा ...	३॥)
एक मास का ...	१॥)

अतिरिक्त स्थानों के लिए (मुफ़स्सिल)	
वार्षिक चन्दा ...	१६)
छःमाही चन्दा ...	८)
तिमाही चन्दा ...	४॥)
एक मास का ...	२)

का

'भविष्य' का **दैनिक संस्करण** मूल्य केवल)॥ पैसा

पहिली सितम्बर को पहिला अङ्क प्रकाशित हो जायगा !!

पाठकों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि पहिली सितम्बर, १९३१ से इस संस्था ने 'भविष्य' का दैनिक संस्करण भी प्रकाशित करने का निश्चय कर लिया है और इसे सब प्रकार से सफल बनाने की तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं।

पाठकों को शायद बतलाना न होगा, कि इस संस्था पर होने वाले आए-दिन के अत्याचारों ने हमें एक बार ही विक्षुब्ध कर दिया है। केवल हमीं पर नहीं, हमारे इस अभागे प्रान्त पर आज जैसा भीषण दमन और अत्याचार हो रहा है, उसने समस्त भारत का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है; किन्तु इतना होते हुए भी इस प्रान्त की राजधानी से कोई भी ऐसे दैनिक का प्रकाशित न होना, जो निर्भीकतापूर्वक अत्याचार-पीड़ितों का करुण-क्रन्दन जनता के सामने उपस्थित कर सके, वास्तव में बड़े लज्जा की बात थी और केवल इसी उद्देश्य को सामने रख कर एक बार हम अपने साधनों की परीक्षा करने पर तुल गए हैं—परिणाम चाहे जो भी हो।

कुछ विशेषताएँ

(१) सर्वसाधारण की पहुँच से बाहर न हो, इसलिए दैनिक संस्करण का मूल्य केवल दो पैसे रखने का निश्चय किया गया है, पत्र में काऊन साइज़ (साप्ताहिक 'भविष्य' के साइज़ का दूना) के चार पृष्ठ छोटे टाइपों में होंगे, जिसका अर्थ यह है कि अन्य सभी दो पैसे वाले दैनिकों की अपेक्षा इसमें दूना मैटर रहेगा। यदि विज्ञापनों का यथेष्ट प्रबन्ध हो गया तो शीघ्र ही ६ पृष्ठ कर दिए जायँगे।

(२) 'भविष्य' के दैनिक संस्करण के लिए एसोसिएटेड तथा फ्री प्रेस आदि सभी सम्बाद-एजन्सियों के विशेष तार भी मँगाए जायँगे, जिसका अर्थ यह होगा, कि पाठक 'भविष्य' में अङ्गरेज़ी के किसी भी फ़र्स्ट क्लास डेली की भाँति सारे ताज़े समाचार पावेंगे।

(३) 'भविष्य' में नित्य तो नहीं, पर प्रायः सामयिक चित्र तथा कार्टून आदि भी पाठकों को मिलेंगे।

(४) 'भविष्य' में पाठकों को उर्दू तथा हिन्दी कविताएँ भी मिलेंगी; सारांश यह कि जो कुछ भी सम्भव होगा—कोई बात उठा न रक्खी जायगी।

(५) 'भविष्य' २४ पाउण्ड के चिकने काग़ज़ पर छपा करेगा और प्रत्येक प्रातःकाल ५ बजे नियमित रूप से प्रकाशित होगा।

(६) 'भविष्य' का साप्ताहिक संस्करण जैसा आजकल प्रकाशित हो रहा है, वैसे ही होता रहेगा; किन्तु दैनिक संस्करण प्रकाशित होने के बाद साप्ताहिक संस्करण बृहस्पतिवार को प्रकाशित न होकर, सोमवार को प्रकाशित हुआ करेगा।

'भविष्य' का सम्पादकीय बोर्ड

१—श्री० त्रिवेणीप्रसाद, बी० ए० (जेल में)
२—श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ए० (जेल में)
३—श्रीमती लक्ष्मी देवी
४—श्री० नन्दकिशोर तिवारी, बी० ए०
५—मुन्शी नवजादिकलाल श्रीवास्तव
६—श्री० देवीदत्त मिश्र, बी० ए०, एल्-एल्० बी०
७—श्री० राधामोहन गोकुल जी
८—श्री० सत्यभक्त जी
९—पं० रामकिशोर मालवीय
१०—कविवर आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव (हि०-कु०-विभाग)

(१) व्यापारियों को 'भविष्य' में विज्ञापन देकर अपने व्यापार में लाभ उठाना चाहिए, रेट मँगा कर देखिए।

(२) प्रत्येक शहर, क़स्बे, तहसील और गाँव में ईमानदार एजण्टों की आवश्यकता है। नियमावली मँगा कर देखिए।

विज्ञापनदाताओं तथा एजण्टों को शीघ्रता करनी चाहिए

मैनेजर 'भविष्य' (दैनिक) चन्द्रलोक—इलाहाबाद

Printed, Published and Edited by Shrimati Lakshmi Devi, vice Sjt. Tribeni Prasad, B. A. and Sjt. Bhuvneshwar Nath Misra, M. A., (both in jail), at The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad